खण्ड-207, अंक-10
शुक्रवार, 20 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(11 सितम्बर, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ११ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल,, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त , श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र विक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवगंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ११ सितम्बर, १९५९

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के छात्रावास की घटना से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट के प्रकाशन की मांग

**१--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर द्वारा भेजी गई कानपुर नगर की उस घटना की जांच रिपोर्ट, जिसका सम्बन्ध स्थानीय डी० ए० वी० कालेज के छात्रावास से था, कब तक प्रकाशित की जायगी ?

गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--कमिश्नर की जांच रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है। घटना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों में जांच करने पर, जो परिणाम निकला है, उसे यथा समय बता दिया जायगा किन्तु जांच रिपोर्ट को प्रकाशित करना जनहित में न होगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से यह कहा गया था कि भार्गव जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की जायगी ? यदि हां, तो सरकार का इरादा बदलने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मुझे इस समय यह स्मरण नहीं है कि सरकार की तरफ से ऐसा वायदा किया गया था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो उन्होंने उत्तर में कहा है कि उसको प्रकाशित करना जनहित में नहीं होगा, उसका कारण यह है कि कमिश्नर की रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, जब परिणाम हम बतलाने को तैयार है तो रिपोर्ट के आधार पर ही परिणाम निकलता है। मैं नहीं समझ सका कि इनका क्या आशय है। लेकिन रिपोर्ट को पूरा प्रकाशित करना जनहित में इस आधार पर भी नहीं होगा कि बहुत सी रिपोर्ट्स आयेंगी और अगर सब इसी तरह से प्रकाशित की जांय तो उनका जो फल होगा वह अच्छा नहीं होगा ।

श्री प्रतापसिंह---मैं माननीय मंत्री जी के स्मरण को ताजा कर दूं कि एक कामरोको प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में आया था तो गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भार्गव कमेटी की रिपोर्ट आने पर प्रकाशित की जायगी । तो क्या माननीय मंत्री जी निश्चितरूप से बतला सकते हैं कि इरादा क्यों बदल गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैंने तो निवेदन किया कि स्मरण दिलाने के बाद भी मेरे स्मरण में वह नहीं आ रहा है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जब सरकार इस नतीजे पर पहुंच जाय कि सदन को आश्वासन दिया गया था कि कमिश्नर की रिपोर्ट जो आयेगी, उसको सदन में रखा जायगा, तो क्या सरकार उसको सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सदन में जो आश्वासन दिया गया था उसको दृष्टि में रखते हुए उस पर फिर, श्रीमन्, विचार किया जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कानपुर में जो घटना हुई है उसको असाधारण बात मान करके पहली बार सरकार ने कमिश्नर के सुपुर्द जांच की पुलिस के मामले में, तो उसे मामूली रिपोर्ट मानकर केवल इसलिये नहीं प्रकाशित कर रहे हैं कि जनहित में हर रिपोर्ट को प्रकाशित करना पड़ेगा । तो इस रिपोर्ट को असाधारण रिपोर्ट मान कर प्रकाशित करने का सरकार विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, ऐसा सुझाव स्वीकार करना सम्भव नहीं है । वैसे तो इस प्रकार की पहले भी जांच कमिश्नर द्वारा हुई है, यह पहली जांच नहीं हुई है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट सरकार के पास आये हुये कितने दिन हो चुके हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जुलाई के अन्त में आयी है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---यह देखते हुए कि सब तरफ से सरकार के पास मांग यह है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाय और जो घटना कानपुर में हुई है वह भी बहुत महत्वपूर्ण थी तो क्या सरकार इस बात पर विचार करके इसको जनता के सामने प्रकाशित करने का विचार करके प्रकाशित करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तो यही विचार है कि परिणाम जो है उसके आधार पर निवदन कर दिया जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस प्रकार का कोई दूसरा उदाहरण भी दे सकेंगे कि जिसमें पुलिस की जांच कमिश्नरों के द्वारा कराई गई हो ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी अतरौली के बारे में ही माननीय गृहमंत्री ने घोषणा की है इस की तो हमें अभी याद ही है ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब रिपोर्ट को आये हुये एक मास से ज्यादा हो गया तो उस पर विचार करने में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---रिपोर्ट आने के बाद में प्रादेशिक सरकार में हर दृष्टि से जांच होती है। हर चीज जल्दी में नहीं फैसल की जाती क्योंकि इस तरह के निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं, जिन की जिम्मेदारी सरकार पर होती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---यह डी० ए० वी० कालेज के छात्रों के सम्बन्ध में जो जांच हुई थी उसके बाद क्या उन विद्यार्थियों के मुकदमें वापस ले लिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---आज की स्थिति तो मालूम नहीं है, कुछ दिन पहले की बात मालूम है कि वापस नहीं हुये। विद्यार्थियों ने जरूर चाहा है कि वह वापस हो जांय ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी उस उत्तर को देखने की कृपा करेंगे कि जिस में कहा गया है कि परिणाम बताये जाएंगे, तो क्या मंत्री जी कमेटी की फाइंडिग्ज बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि एगजामिनेशन के बाद जो परिणाम होगा वह बतला दिया जायगा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या सरकार बतायेगी कि इस कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिग्ज को प्रकाशित न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---वह उन्होंने बता दिया है ।

श्री सुरथबहादुरशाह---उस को डेढ़ मास हो गया तो फिर क्यों नहीं बताते ?

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्यार्थियों को छोड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उस पर फैसला होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो अभी निवेदन किया था कि अभी मुकदमें वापस नहीं हुये हैं, विद्यार्थी चाहते हैं कि वह वापस हो जाय, यदि सरकार उचित समझेगी तो वापस कर लेगी, लेकिन आज यह कहना सम्भव नहीं कि वह वापस हो जायंगे या नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि कमेटी की रिपोर्ट कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---आशा है कि जल्दी ही किसी परिणाम पर पहुंच जायेंगे ।

श्री प्रतापसिंह---रिपोर्ट में जो कहा गया है कि जांच के जो परिणाम निकलेंगे उन्हें यथासम्भव बताया जायगा तो वह समय कब आयेगा और कब तक परिणाम प्रकाशित हो जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी मैंने उत्तर दिया कि आशा की जाती है कि शीघ्र ही किसी नतीजे पर पहुंच जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न

[४ सितम्बर, १९५९ के प्रश्न ९५–९६ जिनको, उक्त तिथि को, उत्तर प्राप्त न होने के कारण ११ सितम्बर, १९५९ के प्रश्नों पर प्राथमिकता दी गई है।]

असेम्बली हाल में स्पीच रिइन्फोर्समेंट सिस्टम लगाने के लिये कोटेशन

*९५–श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी), श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)–क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश असेम्बली हाल में स्पीच रिइन्फोर्समेंट सिस्टम लगाने का कार्य किस कम्पनी को दिया गया था और उसके कोटेशन किस रेट पर थे ?

श्री रामस्वरूप यादव–यह कार्य मेसर्स यूनियन रेडियो एन्ड एपलाइन्सेस लिमिटेड, नई दिल्ली को दिया गया था। इनका कोटेशन १,१९,५७८ रु० था।

*९६–**श्री मलिखानसिंह, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री लक्ष्मणराव कदम**–क्या यह सही है कि उक्त कार्य के लिये किसी भारतीय कम्पनी का कोटेशन केवल ४५ हजार था ?

श्री रामस्वरूप यादव–जी नहीं। मेसर्स यूनियन रेडियो एन्ड एपलाइन्सेस लिमिटेड भी एक भारतीय कम्पनी है।

श्री मलिखानसिंह–क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि असेम्बली हाल में स्पीच रिइन्फोर्समेंट सिस्टम लगाने के लिये एलेक्ट्रिक एन्ड रेडियो कम्पनी के अलवा किस-किस कम्पनी ने टेंडर दिये थे और कितने के दिये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव–जब पहले कोटेशन्स मांगे गये थे तो ३ फर्मों से मांगे गये थे। उनमें से २ ने ही कोटेशन दिये थे एक मेसर्स शिकागो का ९० हजार का और दूसरा इलेक्ट्रिक एण्ड रेडियो कम्पनी का २६ हजार ७० रुपये का ।

श्री मलिखानसिंह–जिन कम्पनियों ने कम का टेंडर दिया उनको यह काम क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव–जो यंत्र वह कम्पनियां प्रयोग करना चाहती थीं, वह इस बदली हुई परिस्थिति में ठीक नहीं समझे गये। यही ठीक समझा गया कि जैसे पार्लियामेंट भवन में यंत्र हैं वैसे ही इस मंडप में भी प्रयोग किये जायं।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)–क्या यह सही है कि कम्पनी को ९० हजार रुपया एडवान्स दिया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव–यह सही है क्योंकि नियमों के अनुसार ९३ हजार रुपया सामान का जो मूल्य था, उसका ९० प्रतिशत दिया गया।

श्री बेचनराम गुप्त–मंत्री जी बताएंगे कि क्या यह एडवान्स का दिया जाना फाइनेन्शियल रूल्स के विरुद्ध नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव–जब उस कम्पनी ने शिपमेन्ट डाक्यूमेन्ट और बीजक दिखा दिये तो वह नियमानुसार ही दिया गया।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)–मंत्री जी बताएंगे कि इतना रुपया लगाने के बाद भी इंस्ट्रूमेन्ट काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार उस कम्पनी से रुपया वापस मांगेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी उस कम्पनी ने काम समाप्त नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि १५ रोज के अन्दर काम पूरा कर देंगे।

श्री राजनारायण---सरकार के पास यह उत्तर कब आया कि १५ रोज के अन्दर काम समाप्त कर देंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो मैं आज उत्तर दे रहा हूं।

श्री राजनारायण---क्या यह सही है कि कम्पनी का उत्तर आज आया है कि १५ दिन के अन्दर काम समाप्त कर देंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि मैं आज उत्तर दे रहा हूं लिहाजा आज से समझा जाय कि १५ दिन के अन्दर कर देंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि ओरिजनल कंट्रेक्ट विदेशी कम्पनी को दिया गया था और उसी को एडवान्स दिया गया और जब वह बैंकक्रप्ट हो गई तो गवर्नमेंट ने मजबूरी अपना पैसा वापस लेने के लिये उनके जंक माल को लिया और फिटिंग दूसरी कम्पनी से कराई जा रही है?

श्री रामस्वरूप यादव---जिस कम्पनी से कोटेशन्स मंगाए थे वह विदेशी कम्पनी की एजेन्सी है यह सही है। कुछ ऐसा भी मालूम हुआ कि इस कम्पनी की आर्थिक-स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ उनमें झगड़ा था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---जब कम्पनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ९० हजार एडवान्स क्यों दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---अब पता चला है कि आर्थिक-स्थिति अच्छी नहीं है। आज प्रश्न पूछ रहे हैं। कंट्रेक्ट हुआ था ५७ के पहले। उस वक्त ऐसी स्थिति की जानकारी नहीं थी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---सरकार जब किसी को कंट्रेक्ट देती है तो उसकी फाइनेन्शियल पोजीशन की जांच पड़ताल कर लेती है, तो क्या इस कम्पनी की फाइनेन्शियल पोजीशन की जांच-पड़ताल सरकार के द्वारा नहीं की गई थी?

श्री रामस्वरूप यादव---जिस वक्त कंट्रेक्ट दिया गया उस वक्त नियमों का पालन किया गया था।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---जब इस कम्पनी को ठेका दिया गया तो कोई अर्नेस्ट मनी दिया गया? वह कितना था?

श्री रामस्वरूप यादव---अर्नेस्ट मनी की धनराशि बताना संभव नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार ही काम हुआ है।

श्री राजनारायण---क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार के जो कंट्रेक्ट देने के नियम बने हैं उसके मुताबिक जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती उनको सरकार अग्रिम धन देकर उनकी स्थिति मजबूत करती है?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सही नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि जब उन्होंने नियमों के अनुसार इस कम्पनी की फाइनेन्शियल हालत की जांच करायी थी तो किस अफसर के जरिये करायी थी और उनकी रिपोर्ट क्या थी?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, ठेका देने के पहले अफसरों द्वारा जांच नहीं होती। नियम के अनुकूल अगर ठेकेदार साबित कर देता है कि उसको ठेका लेने का अधिकार है तो वह स्वीकार कर लिया जाता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अभी मंत्री जी ने कहा कि नियम के अनुसार जांच-पड़ताल ठेका देने से पहले कर ली गयी थी और बाद में उनको जानकारी हुई कि इस कम्पनी की माली हालत खराब है तो दोनों उत्तरों में कौन सा सही है ? क्या यह सही है कि पहले नियमों का उल्लंघन किया गया और बिना जांच-पड़ताल किये हुए ठेका दिया गया, ठेका देने के बाद में इनस्टेबिलिटी मालूम हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां तक मुझे याद है कि मैंने यह नहीं कहा कि जांच पड़ताल के बाद में ठेका दिया गया। मैंने कहा था ठेका दिया गया नियमों के अनुसार। आज प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है तो सरकार को बाद में मालूम हुआ कि उनमें कोई झंझट है, वह मैंने बताया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार की कोई और कम्पनी की हालत ठेका देने के बाद मालूम हो कि अच्छी नहीं है तो सरकार ठेके के नियमों में ऐसे परिवर्तन करेगी कि ठेका देने से पहले जिनके नाम लिस्ट में हों और जो ठेका लेने के हकदार हैं उनकी आर्थिक स्थिति की जांच करके तब ठेके दिये जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो आशा ही करनी चाहिये नियमों के अनुसार ही काम होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उस कम्पनी से केवल १५,००० रु० अर्नेस्ट मनी का लिया गया जब कि ९३,००० रु० एडवान्स किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने कहा था अर्नेस्ट मनी की धनराशि क्या थी वह मुझे नोट में नहीं मिल रही है। लेकिन वह बात सही है कि जब शिपमेंट डाकूमेंट और बीजक उन्होंने दिखा दिया उस वक्त नियमों के अनुसार ही ९३,००० रु० दिया गया था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---माननीय मंत्री जी ने कहा कि ठेका देने के समय नियमों का पालन किया जाता है तो क्या ठेके के नियम में यह नहीं है कि जिसका कोटेशन सब से कम हो उसी को ठेका दिया जाय ? अगर है तो इस नियम का उल्लंघन क्यों किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---टेन्डर्स मांगने और कोटेशन मांगने के नियम अलग होते हैं। काम कौन सा अच्छा होगा, उसमें भी यह देखा जाता है काम किस कम्पनी द्वारा ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। मैंने पहले ही कह दिया है कि जैसे पार्लियामेंट हाउस में लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं उसी तरह के यहां भी लगाने की बात निश्चित हुई, इसी वजह से यह स्थिति बदली और ज्यादा रुपये का कोटेशन स्वीकार किया गया।

श्री प्रतापसिंह---मंत्री जी ने कहा कि नियमों का पालन किया गया और कम्पनी की आर्थिक हालत भी बतायी। तो मंत्री जी बतायेंगे कि कम्पनी की माली हालत ठीक है उसकी गारन्टी करने के लिये सरकार के पास क्या एजेन्सी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---हर कम्पनी जब कोटेशन देती है तो उसके नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार उन्होंने विश्वास दिला दिया था कि उनको ठेका लेने का अधिकार है। मैं यह भी बता दूं कि इस कम्पनी ने अधिक कोटेशन दिया था क्योंकि दूसरे लोगों की मशीनरी बदली हुई परिस्थिति में उचित नहीं समझी गई थी और यह भी तय हो गया था कि पार्लियामेंट की तरह यहां भी लाउड स्पीकर लगें इसलिये इस कम्पनी का कोटेशन और कम्पनियों से

ज्यादा था और वह स्वीकार किया गया। अन्यथा २६,००० और ६०,००० रु० में काफी फर्क होता है उतना ही दोनों की मशीनरी में भी फर्क था। जिस कम्पनी ने कम कीमत का कोटेशन दिया था उसने पूरे इक्विपमेंट का कोटेशन नहीं दिया था और जिसका स्वीकार किया गया कोटेशन उसने पूरे इक्विपमेंट, मशीनरी का कोटेशन दिया था।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

अलीगढ़ में सोशलिस्टों की भूख हड़ताल

*१—**श्री राजनारायण**—क्या सरकार को विदित है कि गत जुलाई, सन् १९५९ को अलीगढ़ में ५० सोशलिस्टों ने २४ घंटे की भूख हड़ताल की थी? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव—तारीख ३१ जुलाई, १९५९ को ५० सोशलिस्टों ने पंचायत कर वसूली के विरोध में विकास खंड छर्रा के सामने २४ घंटे की भूख हड़ताल की थी।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूख हड़ताल करने की स्थिति तब पैदा हुई जब कि वहां पर नाजायज ढंग से जो टैक्स लगा था और उसकी वसूली की सख्ती को बन्द नहीं किया गया और नाजायज टैक्स लगाने की प्रक्रिया बन्द नहीं हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—नाजायज टैक्स की वसूली की सख्ती के बारे में सूचना नहीं है। लेकिन हां सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ऐसी शिकायत की गई थी कि उनकी पार्टी वालों पर सख्ती की जा रही है। उसकी जांच की गई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी शिकायत किस बात की सख्ती की थी, किस सिलसिले में सख्ती की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—सोशलिस्ट पार्टी ने यह शिकायत की थी कि उनके जो मेम्बर्स हैं उन पर वसूली में सख्ती की जाती है, जो अमीन जाते हैं, वह कहते हैं टैक्स दो।

श्री राजनारायण—क्या सरकार के पास वहां की सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक छपा हुआ पर्चा श्री अतीउल्ला खां, क्षेत्र मंत्री और श्री हर प्रसाद, क्षेत्र मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, अलीगढ़, ने भेजा था और उसमें कहा था कि हमारी भैंसें जबरदस्ती कुर्क कर ली गयीं, हमारा घर व सामान जबरदस्ती कुर्क कर लिया गया और जबरदस्ती ताला तोड़ कर सरकारी कर्मचारी घर में प्रवेश कर गये?

श्री रामस्वरूप यादव—श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी ने एक नोटिस पंचायत राज आफिसर को भेजा था।

श्री राजनारायण—जब इस प्रकार की ज्यादतियों की शिकायत सरकार को मालूम हुई थी कि ताले तोड़े जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, भैंस, बैल व घर का सामान जबरदस्ती कुर्क किया जा रहा है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तक सरकार के सामने इस जांच का परिणाम नहीं आया है कि ताले तोड़े गये।

श्री राजनारायण—क्या सरकार के सामने इसका परिणाम आ चुका है कि भैंसें व बैल कुर्क किये गये?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह सवाल हंगर स्ट्राइक के बारे में था। लिहाजा दरख्वास्त की जांच का क्या नतीजा हुआ यह मेरे पास नहीं है, नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल—जैसा मंत्री जी ने बतलाया कि जांच की गयी तो किस आफिसर के द्वारा जांच की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह शिकायत उन्होंने सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, अतरौली को हैंड ओवर कर दी थी, जांच की रिपोर्ट अभी नहीं आयी।

श्री राजनारायण—जांच की कार्यवाही जब पूरी हो जायगी और उससे यह साबित हो जाय कि कुर्की नाजायज की गयी और वसूली जबरदस्ती हुई तो वह तमाम रुपया वापस कर दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—कर तो वापस करने का अख्तियार सरकार को नहीं है क्योंकि वह पंचायत कर है, लेकिन अगर किसी आफिसर ने ज्यादती की है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

बहजनामऊ ग्राम की डकैती

*२—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ६/७ अगस्त, १९५९ की रात्रि को ग्राम बहजनामऊ थाना बंथरा, जिला लखनऊ में डकैती पड़ी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। उक्त डकैती के सम्बन्ध में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका है और दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की चेष्टा की जा रही है। अभी अनुसंधान जारी है।

श्री रामशरण यादव—एफ० आई० आर० में कितने व्यक्तियों के नाम हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—३ व्यक्तियों के नाम हैं।

श्री रामशरण यादव—जो डकैत नामजद हैं वे दारोगा जी के साथ रहे और दारोगा जी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया और दो नहीं हो सके हैं। चेष्टा की जा रही है।

श्री रामशरण यादव—इन डकैतों को बतलाने वाले और उनके खिलाफ गवाही देने वाले जो लोग थे, उनको खुद दारोगा जी ने इन डकैतों से पिटवाया ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

[११ सितम्बर, १९५९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

दारुलशफा के ब्लाक 'ए' में आगन्तुकों के नाम लिखना

*१—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दारुल शफा (लखनऊ) के सदस्य निवास ब्लाक 'ए' के अन्दर जाने वाले लोगों के नाम रजिस्टरों में कब से दर्ज किये जा रहे हैं ? उनके दर्ज करने का क्या उद्देश्य है ? इसके लिये कितना स्टाफ किस-किस वेतन पर किस विभाग द्वारा रक्खा गया है और यह सिलसिला कब तक जारी रक्खा जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---विधायक निवास १ में आने जाने वालों के नाम सितम्बर, १९५८ से दर्ज किये जा रहे हैं। यह योजना विधायक निवास परामर्श दात्री समिति की सिफारिश के आधार पर विधायक निवास १ में प्रारम्भ रूप से चालू की गयी है इसका उद्देश्य विधायक निवास में आने जाने वाले बाहरी लोगों का नाम रजिस्टर में दर्ज करना है ताकि ऐसे अवांछनीय लोग जो विधायक निवास में किसी प्रकार की समाज विरोधी कार्यवाही करने के इरादे से आते हों उनको डर रहे और यह भी पता चल सके कि किस दिन कौन कौन आदमी विधायक निवास में आये ताकि चोरी वगैरह होने पर ऐसे आदमियों का पता आसानी से चल सके। इसके लिये राज्य सम्पत्ति विभाग ने ६०-४-५०-५-१२० रु० के वेतन क्रम में ५ गेट असिस्टेंट रखे हैं और उपरोक्त पदों की अवधि फिलहाल ३१ मार्च, १९६० तक है।

लखनऊ में लड़के तथा लड़कियों को काली मोटर के द्वारा गायब करने की घटनायें

*२---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५८ से १५ मार्च, १९५९ तक कानपुर तथा लखनऊ में काली मोटर पर बिठा कर लड़के तथा लड़कियों को गायब करने की घटनायें कितनी तादाद में हुई हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---इस अवधि में लखनऊ में काली मोटर से सम्बन्धित ३ घटनाओं की सूचना मिली परन्तु कोई व्यक्ति गायब नहीं किया गया। कानपुर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में लड़के व लड़कियों को गायब करने के सिलसिले में काली मोटर से गायब करने के सिलसिले में जो तीन सूचनायें मिली हैं उनमें क्या लिखा हुआ है?

श्री रामस्वरूप यादव---३ मार्च को यह सूचना मिली थी कि एक देवी जी रिक्शा में जा रही थीं। पास में एक मोटर आई और उसमें उनको पकड़ कर ले जाया गया और बाद में उनको छोड़ दिया। ४ मार्च की सूचना यह थी कि एक विद्यार्थी जा रहा था उसको कुछ लोग पकड़ कर ले गये और बाद में आंखों पर पट्टी बांध कर एक स्थान पर छोड़ दिया। तीसरी सूचना यह थी कि २३ सितम्बर, १९५८ को एक देवी जी जा रही थीं। एक कार पास में आई और उससे उतर कर लोगों ने छेड़ना चाहा लेकिन वे फिर चले गये।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इससे सम्बन्धित अपराधियों पर कोई मुकदमा अब तक चलाया गया है या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव---अभियुक्त कौन हैं उनका पता पाने में पुलिस सफल नहीं हुई। एक व्यक्ति के बारे में संदेह था परन्तु कोई ऐसी शहादत नहीं थी जिससे कोई कार्यवाही की जा सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार ने काली मोटर की जांच कराई कि किसकी है और उनका पता लगा?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने वही निवेदन किया कि शक ही रहा, कुछ हाथ नहीं लगा। लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि कौन मोटर है और कौन व्यक्ति हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न घट सकें?

श्री रामस्वरूप यादव---इन घटनाओं के बारे में कोई विशेष कार्यवाही नहीं हो रही है। जो घटनायें हुई हैं उनके बारे में, जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, वे जांच करते रहते हैं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस किस्म का कोई एक गिरोह है जो कानपुर और लखनऊ में लड़के-लड़कियों को भगाने का काम करता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाजहांपुर)---जो स्त्री और लड़का मोटर द्वारा ले जाये गये और फिर छोड़ दिये गये उन्होंने क्या बयान दिये कि वे कहां और किसके द्वारा ले जाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे उन्होंने जगह तो बताई थी और उसीके अनुसार जांच हुई। अगर आप आज्ञा दें तो सब को सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष---आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बयान में यह बताया कि उनके साथ क्या-क्या हुआ। वे मुख्तसिर में उनका कथन सरकार से जानना चाहते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री रामस्वरूप यादव---पहली घटना जो मैंने ३ मार्च की बतायी थी उसमें उन देवी द्वारा यह शिकायत की गई थी कि उनके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसी स्थान पर लाकर छोड़ दिया गया। दूसरी घटना में एक लड़के को ले जाया गया, फिर उसको एक डायरी दी गयी और बाद में उसकी आंखें जांच कर के वहां छोड़ दिया गया। तीसरी घटना के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने मोटर रोकी और छेड़ना चाहा था लेकिन कोई विशेष घटना नहीं हुई।

श्री प्रतापसिंह---इन तीन घटनाओं के सम्बन्ध में, जिन्होंने यह गलत काम किया, उनकी खोज के लिये सरकार की ओर से कब और क्या-क्या प्रयास किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना के बाद तुरन्त ही खोज की गई।

कुंवर श्रीपालसिंह---जिन व्यक्तियों को ये लोग ले गये थे उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा था या नहीं और अगर पढ़े लिखे थे तो अपनी रिपोर्ट में मोटर का नम्बर बतलाया या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, पढ़े लिखे भी थे लेकिन मोटर का नम्बर नहीं बताया।

*३---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[हटा दिया गया।]

*४---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)---[६ अगस्त, १९५९ में प्रश्न ३६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*५---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)---[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

लखनऊ में प्रगति प्रदर्शनी भवन के निर्माण पर व्यय

*६---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ के बनारसीबाग के समीपवर्ती स्थायी प्रगति प्रदर्शनी भवन की सम्पूर्ण तैयारी में कितनी लागत लगेगी तथा कब तक बन कर तैयार होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रदर्शनी भवन के निर्माण पर कुल लागत लगभग ४,०८,००० रु० होगी। भवन तैयार हो गया है।

*७---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त स्थायी प्रगति प्रदर्शनी में गत मार्च तथा अप्रैल महीनों में कितने व्यक्ति देखने के लिये आये ?

श्री रामस्वरूप यादव---इन दो महीनों में लगभग ५,००० व्यक्ति प्रदर्शनी देखने आए थे।

*८---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त प्रदर्शनी भवन में आगन्तुकों के लिये शीतल पेय जल की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---पेय जल की व्यवस्था है।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदर्शनी भवन से लगा हुआ कोई नाट्य गृह भी बनने वाला है? यदि हां, तो उसमें कितना खर्च होने का अनुमान है?

श्री रामस्वरूप यादव---रंगशाला भी बनने वाली है और सूचना संचालक विभाग का भवन भी बनने वाला है।

श्री मदन पांडेय---मैंने अनुमान पूछा था खर्च का।

श्री रामस्वरूप यादव---रंगशाला पर व्यय का अनुमान ५ लाख ७२ हजार और सूचना संचालक विभाग के भवन निर्माण पर ५ लाख २३ हजार रुपया है।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि प्रदर्शनी भवन में जो प्रदर्शनी रखी गई है उसको दिखाने के लिये कितने व्यक्ति मुकर्रर हैं और क्या इसकी जांच करके उनको रखा गया है कि उनमें इतनी योग्यता है कि वह दर्शकों की जिज्ञासा को पूरी कर सकें?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रदर्शनी भवन के निर्माण में, जो ऐस्टीमेट था, उसी के अनुसार बनाया गया है या उसमें ज्यादा खर्चा किया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव--- सूचना की आवश्यकता होगी।

सूचना विभाग द्वारा चलचित्रों पर व्यय

*९---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--- क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि सूचना विभाग की फिल्म शाखा द्वारा १९५७-५८ में आदेश दिये गये पांच चल-चित्रों के निर्माण में जो तीन नहीं निर्मित हो पाये थे वे तैयार हुये या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव---तीनों फिल्में तैयार हो गईं, जिनमें से दो विभाग स्वीकार कर चुका है और तीसरी की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्माता से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

*१०---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त पांच चल-चित्रों क निर्माण के प्रत्येक चल-चित्र के निर्माण में कितना-कितना व्यय हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव--- जो चार चलचित्र स्वीकार हो चुके हैं उनके निर्माण पर निम्नलिखित व्यय हुआ :---

	रु०
१---भूमि कटाव और उसकी रोकथाम	१९,७४०
२---कल के नागरिक	१७,९०४
३---भविष्य के निर्माता	१८,२००
४---प्रजातन्त्र में नागरिक के कर्त्तव्य	१८,२००

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बतायेगी कि इन चारों फिल्मों का निर्माण किस कम्पनी द्वारा हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उत्तर प्रदेश में वाइल्ड कंजरवेशन को सर्वश्री सिने यूनिट आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूना, (२) कल के नागरिक को सर्वश्री शोरी डाक्यूमेंटरी फिल्म्स, न्यू देहली, (३) भविष्य के निर्माता को सर्वश्री वायस एंड विजन प्राइवेट लिमिटेड, अल्मोड़ा, (४) गणतंत्र में नागरिक के कर्त्तव्य को सर्वश्री फिल्मवेज बम्बई, तथा (५) सैलाब को सर्वश्री इन्द्रलोक पिक्चर्स, बम्बई को दिया गया है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बतायेगी कि यह जो फिल्म तैयार की गई है वह एक ही एक कापी तैयार की गई है या कई रील खिचवाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--- श्रीमन्, ओरिजनल तो एक ही फिल्म होती है, प्रिन्ट्स जरूर होते हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--- क्या सरकार बतायेगी कि जो कापियां तैयार करायी गई हैं उनमें कितना रुपया लगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--- इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--- क्या सरकार बतायेगी कि जो चित्र बनवाये गये हैं उनके लिये कोटेशन्स मांगे गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, टेंडर्स जरूर मांगे गये थे ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--- क्या सरकार बतायेगी कि इनके बनाने का क्या उद्देश्य है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो फिल्म के नाम से पता चल सकता है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी कोटेशन्स दिये थे ? यदि हां, तो उनको क्यों रिजेक्ट किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--- श्रीमन्, किस के टेंडर्स आये थे, इनके लिये सूचना की आवश्यकता है । साधारणतया सभी से कोटेशन्स मांगे गये थे ?

'लेथरिज्म' बीमारी की रोकथाम

*११---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उस को यह सूचना है कि प्रदेश के बदायूं, बस्ती, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, उन्नाव, तथा वाराणसी के जिलों में लेथरिज्म बीमारी का प्रकोप है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---बदायूं, बस्ती, गाजीपुर, उन्नाव तथा वाराणसी के जिलों में लेथरिज्म की बीमारी की शिकायत है । देवरिया तथा गोरखपुर से इसके प्रकोप के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--- क्या सरकार बतायेगी कि जहां से सूचना मिली है वहां उस बीमारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किये हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---सिविल सर्जन और मेडिकल आफिसर म्युनिसिपल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की देखभाल करने के आदेश दे दिये गये हैं और लोकल डिस्पेंसरी में ट्रीटमेंट का बन्दोबस्त करने का भी आदेश दे दिया गया है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी इस बीमारी के लक्षण और कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लक्षण तो ये हैं कि पैर कमजोर हो जाते हैं और चलने-फिरने से मजबूर हो जाता है और अक्सर नौजवानों को होती है। कारण यह है कि एक खेसारी दाल होती है नदियों के किनारे, जो कछार के इलाके हैं उनमें पैदा होती है। इस दाल को कहीं-कहीं लतरी भी कहते हैं। डाक्टरों का कहना है कि उसके खाने से बीमारी पैदा हो जाती है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह खेसारी दाल बहराइच में सबसे ज्यादा पैदा होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं। जौनपुर में शायद पैदा होती हो।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी में तहसील चन्दौली में आजकल खेत मजदूरों को मजदूरी में लतरी दी जा रही है और उसके खाने से वहां पर यह बीमारी व्यापक पैमाने पर फैल गयी है और अब तक वहां कोई रोकथाम नहीं की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो मुझे इत्तला नहीं है, कि लतरी मजदूरी में दी जा रही है लेकिन जहां-जहां पर शिकायतें मिली हैं वहां के सिविल सर्जनों को हिदायत कर दी गयी है कि वह इसका प्रबन्ध करें और अस्पताल में मरीजों की दवा दारू का इंतजाम करें।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को जब इस बात का प्रमाण मिल गया कि जो लोग यह खेसारी की दाल खाते हैं उसके परिणामस्वरूप यह रोग पैदा हो रहा है तो सरकार कोई व्यवस्था करेगी कि खेत मजदूरों को मजदूरी में यह अन्न न मिले और उसकी जगह पर दूसरा अन्न मिले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम यह कर रहे हैं कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर विचार करे और जहां-जहां लतरी पैदा होती है इसके कम करने की व्यवस्था की जाय। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और लोगों में प्रचार किया जाय कि इसे न खायें।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की एहतियात रखेंगे कि इस दाल के खाने से, जो जवानों को ही बीमारी होती है, इसको बूढ़े ही खायें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहाड़ पर होती नहीं है। इसलिए माननीय प्रताप सिंह को कोई खतरा नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने कौन-कौन से उपचार रोकथाम के लिये कर रखे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह प्रेस्क्रृप्शन मेरे पास है नहीं। वह डाक्टरों के पास है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)--- क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह बीमारी प्रदेश के और किन-किन जिलों में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां-जहां से सूचना मिली है वह जवाब में बता दिया है।

खाल गांव में कलेक्शन अमीन तथा चपरासी की हत्या

*१२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--- क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि तहसील सिधौली (सीतापुर) के एक अमीन और उसी के साथ चपरासी की हत्या १२/१३ जुलाई सन् १९५९ ई० को महमूदाबाद थाने के अन्तर्गत किसी गांव में कर दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, तहसील सिधौली के कलेक्शन अमीन तथा उनके चपरासी की हत्या दिनांक १२ जुलाई, सन् १९५९ को ग्राम खालगांव, थाना महमूदाबाद में की गई।

*१३--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हत्या की खबर प्राप्त होने पर सर्वप्रथम किस अधिकारी ने मौके पर जा कर जांच की? क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अमीन के पास लगान की वसूलयाबी का सरकारी कितना धन था?

श्री रामस्वरूप यादव--१४ जुलाई, १९५९ को तहसीलदार सिधौली को सूचना मिलने पर उन्होंने तुरन्त कलेक्शन नायब तहसीलदार को मौके पर पता लगाने के लिये भेजा। उन्होंने वापस जाकर बताया कि हत्या का कथन सत्य प्रतीत होता है परन्तु घटनास्थल पर शव का पता नहीं चला। इस घटना की सूचना १४ जुलाई, १९५९ को ७·३० बजे शाम तहसीलदार द्वारा थाना महमूदाबाद पर दी गई और थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल पर तफतीश आरम्भ की। अभी इसका पता नहीं चला है कि अमीन के पास वसूलयाबी का कुल सरकारी धन कितना था। जांच जारी है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर यह हत्या हुई वह स्थान थाना महमूदाबाद से कितनी दूरी पर है?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे कि १२ जुलाई को दो सरकारी कर्मचारियों की हत्या हुई और १४ जुलाई को जब तहसीलदार साहब को सूचना भेजी गई तब ही उनको यह बात जाहिर हो सकी, तो थानेदार की इस कार्य प्रणाली के बारे में, जनता में, व्याप्त घोर असन्तोष को ध्यान में रखते हुये, कोई जांच कमेटी बैठाने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव--कोई विशेष परिस्थिति तो नहीं है। इस मामले के बारे में जांच हो रही है और अपराधी हाजिर हो गये हैं और कुछ गिरफ्तार भी हो गये हैं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन दो कर्मचारियों की हत्या हुई है वह किस हथियार से हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव--कांता व लाठी से मारे गये ऐसी सूचना है।

श्री केशव पांडेय--क्या पुलिस अधिकारियों के पास पहले से इस प्रकार की सूचना की गई थी कि ये हत्याएं हो जायंगी?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि हत्या होने के पहले कोई सूचना दी थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मृतकों के आश्रितों की सहायता के लिये सरकार ने कुछ प्रबन्ध किया है? अगर किया है तो वह क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव--यह १४ जुलाई का वाक्या है। उस पर नियमानुसार विचार किया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हत्या की खबर सब से पहले किस को मिली या किसने प्राप्त की जिसने जाकर तहसीलदार को खबर दी?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने उत्तर में निवेदन किया कि पहले तहसीलदार को सूचना मिली और तहसीलदार ने तुरन्त नायब तहसीलदार कलेक्शन को भेजा। उन्होंने तुरन्त आकर खबर दी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी कलेक्शन अमीन को अपने जीवन की रक्षा के हेतु और सरकारी धन की रक्षा के हेतु सीजन के समय किसी हथियार को देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार की ओर से हथियार बन्दूक की ही बात हो सकती है। अभी कोई ऐसा विचार नहीं है।

लेखपालों का भत्ता

*१४--**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेखपालों को तहसीलों में हाजिरी के समय कितना टी० ए० और दैनिक भत्ता दिया जाता है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--तहसील के मुख्यावास से ५ मील की दूरी पर रहने वाले समस्त लेखपालों को ४ रुपये प्रति मास की दर से नियत यात्रिक भत्ता दिया जाता है। तहसीलों में हाजिरी के समय लेखपालों को प्रथम दो दिनों को छोड़कर शेष दिनों का ७५ नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाता है।

*१५--**श्री गरीबदास**-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेखपाल को गांव समाज के मन्त्री पद पर काम करने का भी कोई भत्ता दिया जाता है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल-- जी नहीं।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लेखपाल को केवल ७५ नये पैसे दैनिक भत्ता दिया जाता है और तहसील में उनकी हाजिरी एक-एक महीने तक रहती है जिसमें उनकी पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती है। ऐसी हालत में मन्त्री जी उनका भत्ता बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- हम समझते हैं कि १२ आना रोज तहसील में काफी है।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जब लेखपाल से ग्राम-समाज के सेक्रेटरी का काम लिया जाता है तो उसको भत्ता इस काम के लिये क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जरूरत नहीं समझी गई।

श्री प्रतापसिंह--क्या माल मंत्री जी वह आंकड़े बतलाने की कृपा करेंगे जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि १२ आना रोज भत्ता काफी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तहसील देहात में अक्सर होती हैं वहां पर खर्चा कम होता है।

बरेली जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*१६--**श्री शिवराजबहादर** (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, सन् १९५९ से ३० जून सन् १९५९ तक बरेली जिले में कुल कितने कत्ल हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव--उक्त अवधि में बरेली जिले में १६ कत्ल हुए।

*१७--**श्री शिवराजबहादुर**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ और १९५९ में कुल कितनी डकैतियां बरेली जिले में हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् १९५८ में १४ तथा १ जनवरी, सन् १९५९ से ३० जून, १९५९ तक ११ डकैतियां हुई ।

*१८---**श्री शिवराजबहादुर**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले में कुल कितनी राहजनी और चोरी की घटनायें १ जनवरी सन् १९५९ से ३० जून सन् १९५९ तक हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त अवधि में बरेली जिले में ११ रहजनी और २८९ चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट हुई ।

श्री शिवराजबहादुर---क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रापर सिटी में कितने कत्ल हुए और देहात में कितने हुए ?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरे पास श्रीमन्, थानेवार विवरण है, इसलिये यह बतलाने के लिये जोड़ बाकी करनी पड़ेगी ।

श्री शिवराजबहादुर---क्या मंत्री जी यह बतलाने की जहमत गवारा करेंगे कि दिन में कितने कत्ल हुए और रात में कितने कत्ल हुए ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

सिविल एन्ड सेशन्स जजेज के रिक्त स्थान तथा मुन्सिफों व ए० डी० एम० (जे०) का एलाउन्स

*१९---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिविल ऐन्ड सेशन जजेज के परमानेन्ट केडर में गत कई वर्षों से कई जगहें खाली हैं और भरी नहीं गई हैं ? यदि हां, तो कितनी जगहें हैं और कब से भरी नहीं गई हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं । जगहें वास्तव में पिछले मई से खाली हुई हैं, उनकी संख्या १३ है और उनके लिये चुनाव निकट भविष्य में किया जायगा ।

*२०---**श्री मुक्तिनाथराय**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मुन्सिफों के प्रोमोशन सिवल जजी पर होने पर उसके वेतन में बढ़ोत्तरी या एलाउन्स नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां । इसलिये कि दोनों पद एक ही केडर में हैं और दोनों का वेतन-क्रम एक ही है ।

*२१---**श्री मुक्तिनाथराय**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ए० डी० एम० (जे०) को कितना रुपया एलाउन्स मासिक दिया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---१०० रुपया मासिक एलाउन्स दिया जाता है ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चुनाव किस प्रकार किया जायगा ? लोग विभाग से लिये जायंगे या सीधे बार से चुने जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सिविल और सेशन जज में यू० पी० सिविल सर्विस 'जुडिशियल' आंच से कुछ प्रमोशन्स होते हैं और कुछ डाइरेक्ट भी होते हैं ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन १३ जगहों के लिये कितने बाहर से लिये जायेंगे और कितने विभाग से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह हिसाब अभी नहीं निकाला गया है ।

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा सहायता देने के लिये केन्द्र से पत्र-व्यवहार

*२२--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या भारत सरकार से हाल में कोई धनराशि प्रदेशीय सरकार को राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को वजीफे या छात्रावास और फीस आदि की सहायता के लिये प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री रामस्वरूप यादव---भारत सरकार से कोई आर्थिक सहायता अभी तक नहीं मिली है परन्तु एक प्रस्ताव अवश्य प्राप्त हुआ है जिसमें ५० प्रतिशत सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया गया है। प्रस्ताव के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हो रहा है।

*२३--श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजनीतिक पीड़ितों को या उनके बच्चों को कोई सुविधा या सहायता देना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रदेशीय सरकार की राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को शिक्षा हेतु सहायता और सुविधा देने की योजना बहुत पहिले से ही चल रही है, इसके लिये शिक्षा बजट में १,९२,००० रुपये की व्यवस्था है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुल कितनी धनराशि भारत सरकार से मिलने की आशा या आश्वासन मिला है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जब यह योजना बन जायगी तो करीब ३,८४,००० रुपये की होगी जिसमें से १,९२,००० रुपया भारत सरकार से प्राप्त होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भारत सरकार से जो प्रस्ताव पास हुआ है और जो योजना बन रही है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह पत्र-व्यवहार डाइरेक्टर के पास है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो आश्वासन मिला है भारत सरकार से उसको मिले हुए कितने दिन हो गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो पत्र-व्यवहार जारी है और हाल ही में वहां से ऐसी चिट्ठी आयी है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जिन-जिन राजनीतिक पीड़ितों के विद्यार्थियों को सरकार सहायता देती है क्या उन सभी को कुछ न कुछ सहायता मिल रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसके नियम तो ऐसे हैं कि ४५ प्रतिशित से अधिक अंक जिनको मिलते हैं पिछली परीक्षा में उनको दी जाती है और जिनको कम मिलते हैं उनको अनावर्तक अनुदान पुस्तकों के रूप में दे दिया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १,९२,००० हजार रुपया जो छात्रों के लिये निश्चित है वह क्या उन्हीं राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को मिल रहा है कि जिनकी जेल यात्रा ६ महीने या ६ महीने से अधिक है ?

श्री रामस्वरूप यादव---हां, यह भी नियम है कि कन्टीन्यूअस ६ महीने से ज्यादा जो जेल में रहे हों।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो सुविधा या सहायता देना विचाराधीन है उसमें कोई नयी सुविधा देने की बात भी सोची जा रही है, जो मिल रही हैं उनके अलावा ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने अभी निवेदन किया कि जो पत्र भारत सराकर से आया उसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी । रुपया तो दूना हो ही जायगा ।

*२४---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर के माध्यमिक शिक्षालयों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*२५---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर के कुछ माध्यमिक शिक्षालयों द्वारा गत वर्ष फीस की रकम का दुरुपयोग करने, हिसाब ठीक-ठीक नहीं रखने तथा अनियमित फीसें वसूल करने आदि के सम्बन्ध में विभागीय जांच की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्री रामस्वरूप यादव---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें कानपुर शिक्षालयों के सम्बन्ध में आई हैं वह शिकायतें क्या इतनी ज्यादा हैं कि उनकी अभी तक पूरी जांच नहीं हो पायी ? यदि वह अधिक हैं तो कब तक जांच हो पायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---संख्या के बारे में तो सूचना नहीं मिल सकी है । लेकिन कोशिश की जा रही है जल्दी ही सूचना एकत्रित करने की ।

ग्राम लोक की डकैती में हत धनराज सोनार की विधवा का पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*२६---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम-लोक, या थाना मधुवन, जिला आमजगढ़ में ५-१-५९ की रात को कोई डकैती पड़ी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

*२७---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस डकैती में डकैतों का मुकाबला करते हुये धनराज सोनार की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्ति की विधवा पत्नी ने जीवन निर्वाह हेतु सरकार से पेन्शन की याचना की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । धनराज सोनार डाकुओं द्वारा मारा गया । मृतक की स्त्री ने जीवन निर्वाह के लिये पेन्शन की दरख्वास्त दी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उसकी दरख्वास्त पर कब तक फैसला हो जायगा और विधवा स्त्री के साथ कितने नाबालिग लड़के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---पत्र-व्यवहार हो रहा है उस सम्बन्ध में । प्रयत्न किया जायगा कि जल्दी ही निर्णय हो जाय ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो डकैती पड़ी थी उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। १९ व्यक्तियों का चालान किया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस विधवा स्त्री के साथ कितने नाबालिग लड़के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मधुबन थाने की पुलिस की ढिलाई के कारण वहां सिर्फ वही डकैती नहीं हुई बल्कि और भी बहुत सी डकैतियां उस इलाके में पड़ी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

नैनी स्वदेशी काटन मिल के मजदूरों पर लाठी चार्ज

*२८--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या नैनी स्वदेशी काटन मिल पर गत जून के माह में मजदूरों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, साधारण लाठी चार्ज हुआ था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह लाठी चार्ज क्यों हुआ और किस स्थान पर हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, थाने में एक घटना की सूचना मिली थी। उसकी जांच के बाद उस घटना की रिपोर्ट के आधार पर १४७, १४३, १४४ और भी कई धारायें हैं जिनके अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ और कुछ अभियुक्त गिरफ्तार हो कर थाने लाये गये। इस थाने लाने की सूचना मिल के अन्य हड़तालो मजदूरों के द्वारा नैनी तथा सी० ओ० डी० चौकी के मजदूरों तक पहुंच गई। उस समय सी० ओ० डी० के हड़तालो मजदूर बड़ी संख्या में ४००, ५०० से कम न थे, जुलूस बनाकर नारे लगाते हुए थाना नैनी पहुंचे और उन लोगों ने उस मुकदमे के जो अभियुक्त थे उनको मुक्त कराने का प्रयत्न किया। सर्किल आफिसर जमुनापार तथा करछना थाने पर मौजूद थे। उन्होंने इस जनसमूह को अवैधानिक कार्य करने से मना किया, परन्तु पूरे समूह ने अफसरान और पुलिस के कर्मचारियों पर ईटों से प्रहार करना शुरू किया जिससे कि पुलिस के दो कर्मचारीगणों को चोटें आयीं। इस स्थिति में यह आवश्यक था कि लाठी चार्ज किया जावे।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस लाठी चार्ज से कितने मजदूरों को चोटें लगी थीं और उस सम्बन्ध में क्या कोई मुकदमा भी चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने मजदूरों पर ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। इस घटना के उपरान्त मुकदमा अभियोग नम्बर १६८, १४३, १४४, ३४३, ३३२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत नैनी थाने में कायम किया गया है। इनमें से ३ अपराधी पकड़े गए और अन्य भाग गये। उन सबके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हो रही है। लाठी चार्ज के फलस्वरूप जिनको साधारण चोटें आई थीं उनको नैनी जेल भेज दिया गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस लाठी चार्ज के बाद कितने मजदूरों पर मुकदमा चल रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--३ गिरफ्तार हो गये थे। कितनों पर मुकदमे कायम किये गये इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

'एयर गन' पर लाइसेन्स

*२९—श्री माताप्रसाद—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में "एयर गन" पर लाइसेंस है ?

श्री रामस्वरूप यादव—एयर गन के लाइसेन्स देने का प्रश्न उत्तर प्रदेश आर्म्स रूल्स क नियम १६ तथा भारतीय आर्म्स रूल्स के शेडयूल २ (Schedule 2) के प्रविष्टि २, स्तम्भ २(iii) पर निर्भर हैं। जो एयर गन उक्त नियमों में वर्णित परीक्षा व शर्तों की पूर्ति करते हैं उन पर लाइसेन्स नहीं लिया जाता है और जो पूर्ति नहीं करते हैं उन पर लाइसेन्स की आवश्यकता होती है। यह नियम राज्य के प्रत्येक जिले के लिये हैं।

*३०—श्री माताप्रसाद—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कब से "एयर गन" पर लाइसेंस लगाया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जौनपुर जिले के सम्बन्ध में कभी कोई विशेष आदेश नहीं जारी किये गये। जैसा कि प्रश्न २९ के उत्तर में बताया गया है 'एयरगन' के लाइसेन्स नियम के अनुसार ही दिये जाते हैं।

श्री माताप्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आर्म्स रूल्स के नियम १६ तथा भारतीय आर्म्स रूल्स के परिशिष्ट २ के नियम २ क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, नियम मेरे पास मौजूद हैं, कहिये तो मैं पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अपने दफ्तर में आप उनको बता दीजिये, यहां सब लोग इंटेरेस्टेड नहीं हैं।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 'एअर गन' पर लाइसेंस कितने दिनों का होता है और उसपर कितना शुल्क देना पड़ता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता होगी।

*३१-३३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में अदालत माल के मुकदमें

*३४—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में कितने मुकदमे अदालत माल में एक साल से अधिक से चल रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*३५—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३६—श्री चन्द्रजीत यादव—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

साहित्यकारों को पुरस्कार

*३७—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य सरकार हिन्दी, संस्कृत और उर्दू साहित्यकारों के प्रोत्साहनार्थ प्रति वर्ष पुरस्कार देती है ? यदि हां, तो अलग-अलग इन साहित्यों के लिये प्रति वर्ष कितनी धनराशि की व्यवस्था की जाती है और पुरस्कारों का निर्णय किसके द्वारा होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

हिन्दी, संस्कृत तथा उर्दू तीनों भाषाओं में मिलाकर प्रतिवर्ष ७५,००० रुपये की धन-राशि की व्यवस्था पुरस्कारार्थ की जाती है । पुरस्कारों के निर्णय में शासन को सलाह देने के लिये तीनों भाषाओं के लिये अलग-अलग समितियां बनाई गई हैं ।

*३८---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन १९५९ में राज्य सरकार ने कोई ऐसा निर्णय किया है कि जिसके द्वारा प्रति वर्ष हिन्दी की सर्वोत्तम कृति को पुरस्कृत किया जायगा ? यदि हां, तो उसपुरस्कार की धनराशि एवं नाम तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों का नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी, संस्कृत और उर्दू, इन तीनों भाषाओं में अलग अलग कितना रुपया पुरस्कार के लिये रखा गया और क्या इन संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सलाहकार बोर्ड में सरकार रखती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुरस्कार के लिये अलग-अलग धनराशि निर्धारित तो नहीं रहती है, लेकिन सामान्यतः लगभग ६०,००० रुपया हिन्दी तथा संस्कृत और उर्दू पर १५,००० का पुरस्कार दिया जाता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---मैंने एक प्रश्न उसी में पूछा था कि क्या सरकार संबंधित भाषाओं संबंधी जो साहित्यिक संस्थायें हैं, उनके प्रतिनिधि भी सलाहकार बोर्ड में रखती हैं ? यदि हां, तो उसके चुनाव के क्या नियम हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---समिति बनी हुई है, उसमें बहुत से शिक्षा विशारद हैं, बहुत से खास खास आदमी हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाल साहित्य के प्रोत्साहन के संबंध में जो उन्होंने कदम उठाये हैं उसके परिणामस्वरूप अबतक कुछ पुस्तकें प्रकाशित होकर प्रकाश में आयी हैं ?

श्री रामस्वरूप याद ---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह हिन्दी और उर्दू आदि की जो अलग-अलग कमेटियां मुकर्रर हैं इनमें सदस्यों की नामावली भी अलग अलग है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, समिति अलग-अलग ही हैं ।

टीरों गांव में आग लगने की कथित घटना

*३९---**श्री ऊदल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस वर्ष गत मई में गांव टीरों, पोस्ट कांटा, चन्दोली, जिला वाराणसी की पूरी हरिजन बस्ती आग लगने से जल गई थी, तथा उपरोक्त गांव के हरिजनों ने कलेक्टर वाराणसी, हरिजन कल्याण आफिसर वाराणसी तथा सरकार के पास प्रार्थना-पत्र देकर आर्थिक सहायता मांगी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त गांव के हरिजनों को कौन-कौन-सी सहायता सरकार से प्राप्त हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस वर्ष गत मई के महीने में टीरों गांव में आग नहीं लगी। अतएव अन्य संबंधित प्रश्न उठते ही नहीं।

*४०---**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

नोट---तारांकित प्रश्न ३८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

हरैया तहसील के सदर मुकाम पर थाना न होना

*४१--श्री रणबहादुरसिंह--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बस्ती जिले में कोई ऐसी तहसील है जिसके सदर स्थान पर न तो थाना है और न चौकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बस्ती जिले की तहसील हरैया के हेड क्वार्टर पर इस समय कोई थाना या चौकी नहीं है ।

धौरहरा कलां को तहसील बनाने की जानकारी

*४२--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार कस्बा धौरहरा कलां, तहसील निघासन, जिला खीरी में एक दूसरी तहसील बनाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

*४३--श्री जगन्नाथ प्रसाद--यदि यह सत्य है, तो कब तक दूसरी तहसील बन जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न नहीं उठता ।

छिबरामऊ डिस्पेन्सरी का प्रान्तीयकरण न होना

*४४--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिस्पेंसरी छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद का प्रांतीयकरण होने जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--निकट भविष्य में ऐसी कोई सम्भावना नहीं है ।

*४५--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सूचना विभाग द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापनों पर व्यय

*४६--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार की ओर से कोई पत्र इस आशय का अन्य विभागों को भेजा गया है कि वे पत्रों में विज्ञापन सूचना विभाग द्वारा ही दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

*४७--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूचना विभाग ने किन-किन समाचार-पत्रों को कितनी-कितनी कीमत के विज्ञापन उक्त अवधि (पत्र भेजने के बाद से १५ जुलाई तक) में दिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पिछले कई वर्षों में जब से यह आदेश लागू हैं प्रत्येक समाचार-पत्र को कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत का विज्ञापन जारी किया गया है, इस सामग्री के संकलन में जितना परिश्रम और समय लगेगा उसे ध्यान में रखते हुए यह छानबीन लाभप्रद न सिद्ध होगी ।

कानपुर में टी० बी० अस्पताल की आवश्यकता

*४८--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने कानपुर में टी० बी० अस्पताल खोलने के लिये कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो प्रांतीय सरकार ने केंद्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी है और उसके संबंध में केंद्रीय सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

उसहत थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराध की घटनाएं

*४९- श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं में थाना उसहत के अन्तर्गत जनवरी, सन् १९५९ से जुलाई, सन् १९५९ तक कितनी कत्ल, डकैती तथा राहजनी की वारदातें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कत्ल की ३ व डकैती की ४ घटना हुईं। राहजनी की कोई घटना नहीं हुई।

बमनपुरा निवासी श्री भगवानदास का कत्ल

*५०---श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार को विदित है कि भगवान दास, निवासी बमनपुरा, थाना हजरतपर, जिला बदायूं का कत्ल दिन दहाड़े १६-७-५९ को हुआ था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। दिन के ९ बजे कत्ल हुआ।

*५१---श्री हरदयालसिंह---क्या यह सही है कि उक्त कत्ल की नामजद रिपोर्ट हुई थी परन्तु आजतक अपराधी गिरफ्तार नहीं किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, परन्तु अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं।

'सैनिक' समाचार-पत्र को सरकारी विज्ञापन

*५२---श्री मदन पांडेय तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा के 'सैनिक' और कानपुर के उर्दू दैनिक 'सियासत' को चालू वित्तीय वर्ष में सरकार की ओर से कितने विज्ञापन दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---'सैनिक' को चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ३७० कालम विज्ञापन दिये गये हैं। 'सियासत' नाम का कोई पत्र कानपुर से प्रकाशित नहीं हो रहा है।

*५३---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

मेलों में संक्रामक रोगों की रोकथाम का प्रबंध

*५४---श्री राजेन्द्रसिंह---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रांत में कितने मेले ऐसे हैं जिनमें रोग फैलने की आशंका रहती है और उसके लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---छोटे बड़े सभी मेलों में संक्रामक रोगों विशेषतया कालरा के फैलने की आशंका रहती है। प्रांत में लगभग ४०० मेले होते हैं।

सरकार द्वारा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये मेलों में निम्न उपाय किये जाते हैं:---

(१) इन मेलों में सफाई का विशेष प्रबन्ध किया जाता है। जो व्यक्ति या संस्था इन मेलों की आय लेती है वही व्यक्ति या संस्था चिकित्सा तथा सफाई का व्यय-भार सहन करती है। कुछ विशेष स्थानीय मेलों में सफाई आदि के लिये सरकार ने १५,००० रुपये वार्षिक तक की सहायता का प्रबन्ध कर रक्खा है।

(२) जिला स्वास्थ्य तथा नगर कर्मचारी पीने के जल की सफाई, मक्खियों की रोकथाम तथा हैजा निवारक टीका लगाने का प्रबन्ध करते हैं।

(३) संक्रामक रोग ऐक्ट १८९७ की धारा २ के नियम मेलों में लगा दिये जाते हैं, यह नियम कटे हुए, कच्चे तथा अधिक पके हुए फलों, धूल तथा मक्खी बैठे हुए भोजन खाने के सामान तथा पीने की वस्तुओं को बेचने से रोकते हैं।

(४) प्रांत के कुछ विशेष मेलों में जहां पर संक्रामक रोगों के फैलने की अधिक संभावना रहती है वहां पर मेलों में जाने वालों के लिये हैजा निवारक टीका लगवाना आवश्यक कर दिया जाता है। यात्रियों के टीका लगाने की सुविधा के लिये जिले में तथा मेलों के नाकों पर प्रबन्ध किया जाता है।

(५) संक्रामक रोग के रोगियों के ठहरने तथा चिकित्सा की सुविधायें भी ऐसे मेलों में की जाती हैं।

संडीला तहसील में समय पर खरीफ बोने में कथित विलम्ब

*५५--**श्री राजेन्द्रसिंह**--क्या न्याय मंत्री को ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष हरदोई जिले की संडीला तहसील में समय पर वर्षा न होने के कारण खरीफ की फसल समय पर नहीं बोई जा सकी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हरदोई जिले की संडीला तहसील में वर्षा इस वर्ष समय से पूर्व प्रारम्भ हो गयी थी और खरीफ की बोवाई समय से हुई।

*५६--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[हटा दिया गया।]

लाल बेगियों की रीतिरिवाज के सम्बन्ध में रिपोर्ट

*५७--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने गत ३ वर्षों में लालबेगी जाति के निमित्त प्रदेश में कोई प्रश्नावली घुमायी थी? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, जांच की रिपोर्ट संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१३ पर)

गोरखपुर जिले में हैजे तथा चेचक से मृत्युएं

*५८--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में सन् १९५८ से जुलाई, १९५९ तक कुल कितने व्यक्ति हैजे और चेचक से बीमार पड़े और कितने मरे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९१४ पर)

*५९--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में हैजे और चेचक से बचने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१५ पर)

*६०-६१--**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६२--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)--[मुख्य मंत्री से संबंधित आठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वेजीटेबिल आयल में रंग मिलाने का प्रयास

*६३—**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह अब भी वेजिटेबिल आयल के शुद्ध देशी घी से सम्मिश्रित होने को रोकने के लिये उसमें कोई रंग मिलाने या किसी योजना को बनाने का विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वेजीटेबिल आइल से मिलाने के लिये उचित रंगों की खोज अब भी जारी है। परन्तु अभी तक कोई रंग नहीं मिला है।

फर्रुखाबाद जिले में रिवाल्वर के लाइसेंस

*६४—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में १ जनवरी, १९५७ से अब तक कितने रिवालवर के लाइसेन्स दिये गये, उनमें से कितने विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्यों को और कितने अन्य लोगों को दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल २० लाइसेन्स दिये गये जिनमें ३ विधान सभा के सदस्यों को तथा १७ अन्य लोगों को दिये गये।

*६५—**कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद में १ जनवरी, १९५७ से आज तक जिन लोगों के पास रिवाल्वर के लाइसेंस थे उनमें से कितने व्यक्तियों से लाइसेंस वापस ले लिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे ७ व्यक्तियों के लाइसेंस खारिज किये गये।

*६६-६७—**श्री शीतलाप्रसाद** (जिला गोंडा)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किय गय।]

*६८-६९—**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)—[मुख्य मंत्री से संबंधित आठवें गुरुवार के लिये प्रश्न ३०-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गोरखपुर जिले में ग्रामसमाजों से सम्बन्धित शिकायतें

*७०—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम समाज शोशगढ़ N. E. S. ब्लाक, नौतनवां, जिला गोरखपुर की ग्राम समाज सम्पत्ति (आमदनी बाजार) के अनियमित रूप से खत्म करने की शिकायत सरकार को १६-१-५९ व २८-४-५९ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*७१—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम समाज बैरवां जंगल तथा रघुनाथपुर छाया क्षेत्र, लक्ष्मीपुर, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर के ग्राम समाज सम्पत्ति को अधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से उचित मूल्य से बहुत कमती में नीलाम करके ग्राम समाज को क्षति पहुंचाने की शिकायत क्षेत्रीय एम०एल०ए० द्वारा भेजी हुई सरकार को १९५८ में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*७२-७३—**श्री धरमपालसिंह** (जिला गोंडा)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७४-७६—**श्री राजनारायण**—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं जिले में पुलिस कर्मचारी के घर चोरी

*७७– **श्री टीकाराम**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में मास मई–जून, सन् १९५९ में पुलिस के कितने कर्मचारियों के यहां चोरियां हुई हैं और कितने माल की चोरी की रपट लिखायी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक पुलिस कर्मचारी के यहां चोरी हुई और ७२५ रु० ८ आ० मूल्य के माल की चोरी की रपट लिखाई गई ।

*७८---**श्री मुरलीधर कुरील**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७९–८०---**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८१---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में कुष्ट रोग की रोक के लिये कण्ट्रोल सेण्टर खोलने की योजना

*८२---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत कोढ़ियों की कुल कितनी संख्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह सही-सही नहीं बताया जा सकता कि बाराबंकी जिले में कुष्ट रोगियों की संख्या कितनी है, परन्तु भारतीय सरकार की कुष्ट निरोधक समिति की रिपोर्ट के अनुसार बाराबंकी जिले में कुष्ट रोगियों की संख्या लगभग ५.० प्रति हजार के है ।

*८३---**श्री जंगबहादुर वर्मा**---क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सरकार का विचार जिला बाराबंकी में कुष्ट रोग का अस्पताल खोलने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। बाराबंकी जिले में कुष्ट रोग की रोकथाम के लिये एक कन्ट्रोल सेंटर खोलने का सरकारी आदेश जारी हो चुका है । उसे चालू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*८४–८६---**श्री प्रतापसिंह**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८७–८८---**श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव** (जिला बहराइच)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८९–९०---**श्री मुरलीधर कुरील**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९१–९२---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---]वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार क लिये स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर जिले में ओलाग्रस्त फसल के लगान में छूट देने का प्रस्ताव

*९३---**श्री पढबरराम** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ में रबी की फसल के अवसर पर गाजीपुर जिले में ओला वर्षा के कारण हुई बर्बादी को ध्यान में रख कर कितने पीड़ित गांवों की मालगुजारी में कितनी छूट दी गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तक कोई छूट नहीं दी गयी है, किन्तु जिले के ४९९ क्षतिग्रस्त ग्रामों में मालगुजारी में १,८७,९४९ रुपये की छूट देने का प्रस्ताव है।

*९४-९५--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९६--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*९७--श्री मोतीलाल अवस्थी--[वित्त मंत्री से संबंधित सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९८--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फतेहपुर जिले में विभिन्न अपराधों की घटनाएं

*९९--श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में बजट वर्ष सन् १९५८-५९ में कितने कत्ल व डकैतियां पड़ीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९१६ पर)

*१००--श्री वासुदेव दीक्षित--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में चोरियों की संख्या सन् १९५८-५९ में कितनी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--फतेहपुर जिले में १ जनवरी, सन् १९५८ से १५ अगस्त, १९५९ तक ६५८ चोरियां हुईं जिनमें से १९५ चोरियां बरामद हुईं ।

*१०१--श्री गोपाली (जिला बुलन्दशहर)--[सहकारिता मंत्री से संबंधित सातवें सोमवार के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१०२--श्री रामसुन्दर पांडेय--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मऊरानीपुर में एच० टी० सी० ट्रेनिंग कालेज खोलने की प्रार्थना

*१०३--श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में यानी कस्बा मऊरानीपुर में लड़कों के लिये एच० टी०सी० ट्रेनिंग कालेज सन् १९५९ की जुलाई से सरकार खोलने वाली थी ? यदि हां, तो वह ट्रेनिंग कालेज अब तक न खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रदेश में ४२ लड़कों के तथा ६ लड़कियों के राजकीय नार्मल स्कूल खोलने की स्वीकृति भारत सरकार से अभी ही प्राप्त हुई है । शिक्षा संचालक से कहा गया गया है कि वे विद्यालयों को खोलने के लिये उचित स्थानों को चुनें । यह कार्य अभी शिक्षा संचालक कर रहे हैं और आशा है कि यह विद्यालय शीघ्र ही कार्य आरम्भ करेंगे । जहां तक मऊरानीपुर, झांसी का सम्बन्ध है, यह शिक्षा संचालक ने उस स्थान को उपयुक्त समझ कर नार्मल स्कूल खोलने के लिये संस्तुति की तो उस पर शासन अवश्य विचार करेगा ।

राज्य में आत्म हत्याएं

*१०४--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सारे प्रदेश में १९५८ ई० में आत्महत्याओं की कुल कितनी घटनाएं हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--समस्त प्रदेश में सन् १९५८ में २,२५७ आत्महत्या की घटनाएं हुईं ।

*१०५--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनमें से प्रत्येक कमिश्नरी में कुल कितनी घटनाएं हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९१७ पर)

*१०६--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितनी आत्महत्यायें विद्यार्थियों ने कीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--२,२५७ आत्म हत्या करने वालों में से ३४ विद्यार्थी थे।

मुहम्मदाबाद गोहना में ताजियों का रुकना

*१०७--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गत १४ एवं १८ जुलाई, १९५९ को मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ से ताजिया रुकने के सम्बन्ध में कोई तार मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। ऐसे दो तार प्राप्त हुए थे। इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी जिससे मालूम हुआ है कि वहां के ताजियेदार एक ऐसे रास्ते से ताजिये का जुलस निकालना चाहते थे जो पुलिस रेकार्ड के अनुसार एक नया रास्ता था। इसलिये उस रास्ते से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गयी। परन्तु बाद में २७-८-५९ को जुलूस निकाला गया।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा नार्मल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियों की जानकारी

*१०८--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा नार्मल स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के स्थायी तथा अस्थायी कितने स्थान रिक्त पड़े हैं ?

*१०९--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १९५७ में विभागीय चुनाव प्रधान अध्यापकों का हुआ है ? यदि हां, तो उनमें कितनों को स्थान मिल सके हैं ?

*११०--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा नार्मल स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति बिना राज्य सेवा आयोग की स्वीकृति लिये की गयी है और उनको कार्य करते हुए एक साल से अधिक हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्रों को बन्द करने की कथित सूचना

*१११--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के कुछ महिला एवं शिशु कल्याण केन्द्रों को बन्द किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन केन्द्रों के नाम तथा उन्हें बन्द करने का कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कोई भी प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र बंद नहीं किया गया है ।

समाजवादी दल द्वारा जिलाधीश देवरिया को दिया गया मांग-पत्र

*११२--श्री उग्रसेन--सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में देवरिया में किसानों द्वारा १० मई, १९५९ को जिलाधीश को दिये गये मांग-पत्र के सम्बन्ध में २८-८-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने उक्त मांग-पत्र में उल्लिखित मांगों की पूर्ति की क्या व्यवस्था की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मांग-पत्र में उल्लिखित मांगों में से मांग संख्या १ (ख) और २ (ग) (प्रथम भाग) के बारे में अभी भी सूचना एकत्र नहीं हो पायी है ।

शेष मांगों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९१८ पर)

चक्की भूसाडोही के किसानों का अधिकारियों के विरुद्ध जिलाधीश आजमगढ़ को पत्र

*११३-श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ के यहां १७-६-५९ को चक्की भूसाडोही के किसानों ने पैदल चल कर १४२ व्यक्तियों के हस्ताक्षर से देवरिया जिले के अधिकारियों द्वारा की गयी, ज्यादतियों के विरोध में प्रार्थना-पत्र तत्काल कार्यवाही करने हेतु दिया है ? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां । दिनांक १७ जून, १९५९ को चक्की भूसाडोही के किसानों ने ५९ आदमियों के हस्ताक्षर से एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश आजमगढ़ को दिया । जिलाधीश आजमगढ़ ने जिलाधीश देवरिया से दिनांक ४ जुलाई, १९५९ को इस विषय में जांच करने की प्रार्थना की । जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई ।

महात्मा गांधी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल, सुल्तानपुर के अध्यापक की बर्खास्तगी पर विचार

*११४-श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, सुल्तानपुर के १ जनवरी, १९५९ से ३० जून, १९५९ तक कितने अध्यापक मुअत्तल और बर्खास्त किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- एक ।

*११५-श्री रामसिंह चौहान वैद्य--क्या सरकार को यह विदित है कि क्या इन बर्खास्त किये गये अध्यापकों के विषय में प्रबंधक समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गयी थी ।

*११६--श्री रामसिंह चौहान वैद्य--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि--

(क) क्या यह सही है कि इनमें कुछ अध्यापकों की बर्खास्तगी को जिला विद्यालय निरीक्षक ने रद्द कर दिया था और प्रबंधक समिति को आदेश दिया कि संबंधित अध्यापकों को कार्यभार तत्काल सौंप दिया जाय ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रबंधक समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक के उक्त आदेश को अमान्य कर दिया था ? यदि हां, तो प्रबंधक समिति के विरुद्ध सरकार क्या कार्य-वाही करने जा रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---(क) जी हां ।

(ख) जी हां, प्रश्न विभाग के विचाराधीन है ।

बलिया जिले की शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों तथा प्रबन्ध समितियों से सम्बन्धित कथित विवाद

*११७---श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले की किन-किन शिक्षण संस्थाओं में कितने-कितने दिनों से प्रबंध समितियों तथा आचार्यों के निष्कासन सम्बन्धी विवाद उप शिक्षा संचालक, वाराणसी क्षेत्र के समक्ष उपस्थित है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कोई नहीं ।

*११८---श्री गौरीशंकरराय---उपरोक्त विवादों के सम्बन्ध में क्या इन अधिकारियों के आदेशों के सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार के पास आई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

जौनपुर जिले में हरिजन कूपों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार

*११९---श्री माताप्रसाद---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ ई० में कूपों के निर्माण और जीर्णोद्धार हेतु कितने अनुदान स्वीकृत हुये और उनमें कितने कूप निर्मित हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१९५७-५८ के अनुदान के वितरण के सम्बन्ध में अभी पूछतांछ की जा रही है ।

१९५८-५९ में जिला जौनपुर में ३७ कुओं के निर्माण के लिये १५,२०० रु० तथा ३४ कुओं के जीर्णोद्धार के लिये ६,२५० रु० के अनुदान स्वीकृत हुये। उनमें से ३ कुओं का निर्माण तथा २ कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है ।

खलीलाबाद तहसील के हरिजन सम्मेलनों में मंत्रियों का भाग लेना

*१२०---श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में कितने ऐसे हरिजन सम्मेलन जनवरी, सन् १९५९ से जुलाई, सन् १९५९ तक हुये जिनमें मंत्रि-मंडल के सदस्यों ने भाग लिया हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---दो ।

आजमगढ़ जिले में छठी कक्षा निःशुल्क करने की क्षतिपूर्ति न मिलना

*१२१---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के छठवें क्लास के छात्रों की फीस माफी के कारण हुई क्षति का धन अप्रैल, मई तथा जून, सन् १९५९ का शिक्षा संस्थाओं को अब तक सरकार द्वारा नहीं प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——प्रश्नगत क्षतिपूर्ति का धन आजमगढ़ जिले की कुल ६६ शिक्षा संस्थाओं को देना था उनमें से केवल १४ संस्थाओं को वह धन अब तक नहीं दिया जा सका है क्योंकि उनके प्रार्थना पत्र या तो विलम्ब से प्राप्त हुए और या उनके प्रार्थना पत्रों में अशुद्धियां थीं। आवश्यक संशोधन के लिये अशुद्ध प्रार्थना पत्र वापस किये गये हैं और उन्हें संशोधित रूप में भेजने के लिये संस्थाओं को निर्देश दिये जा चुके हैं। संशोधित रूप में प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही इन सभी संस्थाओं को आवश्यक अनुदान दे दिया जायेगा।

उपनिवेश योजना, रुद्रपर के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि

*१२२——श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)——क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिवेश योजना, रुद्रपुर, जिला नैनीताल में इस समय कृषि के लिये वितरण करने योग्य कितनी भूमि शेष है?

श्री हुकुमसिंह विसेन——सूचना एकत्र की जा रही है।

*१२३——श्री गजेन्द्रसिंह——यदि हां, तो उसके वितरण में राजनीतिक पीड़ितों को प्राथमिकता दी जाती है?

श्री हुकुमसिंह वसेन——इस योजना के अन्तर्गत कृषि के लिये भूमि वितरण करने में राजनीतिक पीड़ितों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

कानपुर जिले में काश्त किये जाने वाले बागों पर लगान लगाने का विरोध

*१२४——श्री मोतीलाल अवस्थी——क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फसली वर्ष में कानपुर जिले में काश्त किये जाने वाले बागों का लगान पिछले कितने वर्षों का मांगा जा रहा है? क्या यह पिछला लगान बिना कोई पर्चियां (Slips) बांट कर मांगा जा रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन——ऐसे बागों पर लगान १३६० फसली या उसके उपरान्त से जब से वे जोते जा रहे हैं या बाग की रूप रेखा में नहीं हैं, लगाया जा रहा है। लेकिन एक साथ मांग के लिये आदेश सिर्फ मौजूदा वर्ष के अलाव पिछले दो और वर्षों के बकाया के ही हैं। बकाया लगान के लिये कोई पर्चियां नहीं बांटी गईं।

*१२५——श्री मोतीलाल अवस्थी——क्या यह सही है कि इस प्रकार के बागों के लगान वसूली के विरुद्ध सरकार से लिखित अभ्यावेदन दिये गये हैं अथवा किसान प्रदर्शन तहसीलों में किये गये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन——कानपुर जिले की केवल दो तहसीलों (कानपुर व बिल्हौर) में प्रदर्शन हुए थे और उसी समय अभ्यावेदन पत्र भी दिये गये, जिसपर उचित कार्यवाही की जा रही है।

टेहरी गढ़वाल में नवीन माध्यमिक विद्यालय खोलने तथा अध्यापकों के भत्तों के सम्बन्ध में जानकारी

*१२६——श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)——क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी गढ़वाल में राज्य सरकार की ओर से विगत ३ वर्षों के अन्दर कितने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किन-किन स्थानों के अन्दर खोले गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी——विगत तीन वर्षों के अन्दर तो कोई भी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेहरी में नहीं खोला गया है।

*१२७--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल के नैलचामी हायर सेकेन्डरी स्कूल को सरकार अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

*१२८--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल के उन अध्यापकों को जो विलीनीकरण से पूर्व उस जिले के राजकीय विद्यालयों में काम करते थे और जिन्हें पर्वतीय और शरत्कालीन भत्ता मिला करता था अब भी यह भत्ता मिलता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विलीनीकरण से पूर्व ऐसे अध्यापकों को भत्ता नहीं दिया जाता था। अतः भत्ता मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्कों पर व्यय

*१२९--श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर-देवरिया जिले में वर्तमान वर्ष में कहां-कहां टेस्ट वर्क चलाये गये हैं और उन टेस्ट वर्कों पर कितना धन प्रति टेस्ट वर्क व्यय किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८१९ पर)

अस्वीकृत प्रश्नों को समाचार-पत्रों में न छापने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कल कुछ प्रश्न पूछे गये थे, श्री राधे-श्याम मित्तल को गोली लगने के सम्बन्ध में, मैं देखता हूं कि पायनियर अखबार में उस का एक प्रश्न जिसकी मैंने इजाजत नहीं दी थी पूछने की क्योंकि उसमें किसी मंत्री महोदय के नाम का जिक्र था और वैयक्तिक आक्षेप होने के कारण मैंने इजाजत नहीं दी थी, उसका जिक्र भी छप गया है। तो जिस उद्देश्य से मैं इजाजत नहीं देता वह यह है कि किसी के ऊपर डिफेमेटरी कोई आक्षेप न हो यहां पर सदन में, इसलिये मैं रोक देता हूं, लेकिन अगर वह प्रकाशित कर दिया जाता है तो जिस परिणाम को मैं रोकना चाहता था वह तो हो ही गया। तो मैं इस सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं कि जिस प्रश्न को मैं रोक देता हूं वह प्रकाशित नहीं होना चाहिये क्योंकि अगर प्रकाशित हो जाता है तो यहां सदन में, जो सुरक्षा यहां की कार्यवाही छापने के सम्बन्ध में रहती है वह नहीं रहेगी और फिर डिफेमेशन का मुकदमा पत्रकार पर कायम हो सकता है। यह मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि इजाजत न रहते हुए भी अगर अखबार कोई बात छाप दें तो उनकी जिम्मेदारी खुद की हो जाती है और साथ ही विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भी इस सदन में उठ सकता है। इस वक्त चूंकि इस प्रकार का यहां पर कोई प्रश्न उठाया नहीं गया इसलिये मैं केवल सूचना दे देता हूं अखबार के प्रतिनिधियों को यहां पर कि जिस प्रश्न को मैं इजाजत नहीं देता हूं वह अगर इस किस्म का हो, वैयक्तिक आक्षेप के ऊपर आधारित हो तो उसको न छापा करें और वैसे मामूली प्रश्न की कभी-कभी मैं अन्य कारणों से इजाजात नहीं देता हूं वे अगर छप भी गये हों तो उसके लिये आक्षेप की बात नहीं है, क्योंकि कार्यवाही में से मैं उन्हें नहीं हटाता हूं, लेकिन जिस समय वैयक्तिक आक्षेप होता है किसी के प्रश्न में तो उसको मैं कार्यवाही से भी हटा देता हूं। इस विषय में मैंने यह सचना देदी है जिस में भविष्य में इस की पुनरावृत्ति न हो।

वित्त लेखा परीक्षा तथा बिक्रीकर विभाग की विज्ञप्ति*

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० -८००/१०--९०२ (८)-५८, दिनांक १ सितम्बर, १९५९ ई० को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा (३) की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश (विनियोग १९५९-६० का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं सूचना देता हूं कि सन् १९५९ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० ई० का प्रथम अनुपूरक) विधेयक जो विधान सभा द्वारा ८ सितम्बर, १९५९ ई० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १० सितम्बर, १९५९ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (सन् १९५५-५६ के बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं सूचना देता हूं कि सन् १९५९ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (सन् १९५५-५६ के बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, जो विधान सभा द्वारा ८ सितम्बर, १९५९ को पारित किया गया तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १० सितम्बर, १९५९ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, आपने जो पायनियर का उदाहरण दिया वह आपने स्वयं देखा था या कोई दूसरा आपकी नोटिस में लाया? और क्या किसी की हिम्मत है डिफेमेशन लाने की?

श्री अध्यक्ष---किसी के हिम्मत का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन बात यह है कि मेरे कमरे में इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया था और स्वयं मैंने भी सबेरे अखबार पढ़ा था तो देखा था, उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि यह चीज छपनी नहीं चाहिये थी। तो दोनों बातें हुईं, मेरा ध्यान भी आकर्षित किया गया और मैंने भी स्वयं पढ़ा था।

श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न अवस्थी जी ने उठाया और मैंने उसके लिये इजाजत नहीं दी है क्योंकि उन्होंने इसे उस विषय के सम्बन्ध में उठाया है जो कि कार्य वृत्ति के आधार पर एक पुस्तिका हमारे सचिव ने प्रकाशित की। चूंकि कार्यवृत्ति के सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी मेरी रहती है और ऐसे मामलों का भी इससे सम्बन्ध था जिस विषय में विशेषाधिकार समिति सम्बन्धित घटनाओं के सम्बन्ध में जांच कर रही है, इसलिये कोई कारण प्रश्न उपस्थित करनेका इस समय नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---(जिला कानपुर)---कुछ मौका मुझे भी देंगे?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

---

*छापी नहीं गई।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मैं आपके कमरे में समझाने की कोशिश कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—हां।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था जानना चाहता हूं। यदि कोई चीज आपके सचिव की ओर से प्रकाशित हो जाय जो सदन में हुई चीज से भिन्न हो तो उस सम्बन्ध में क्या नियम अख्तियार किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—मेरे कमरे में आकर आप बतलाइये कि क्या उसमें भिन्नता है ?

श्री राजनारायण—ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भिन्न कार्यवाही प्रकाशित हो जाय तो उस पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठ ही नहीं सकता है ?

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आकर बतलावें।

श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—रूप चन्द्र जी की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है जिसमें सदस्यों के जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ है। उसमें बहुत से सदस्यों के बारे में जो बातें सही नहीं हैं वे लिखी हुई हैं। उस पर मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की आप को सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—जब उठाना हो तब उठाइये।

लखनऊ विश्वविद्यालय के निम्न कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय सुरथबहादुरशाह, रामस्वरूप वर्मा और वंशीधर शुक्ल जी के ३ कमरों का प्रस्ताव आये हैं। श्री रामस्वरूप वर्मा और सुरथबहादुरशाह जी के करीब-करीब एकसे ही हैं। सुरथबहादुरशाह जी का पहले और बाद में रामस्वरूप जी का आया है। पहले को पढ़ कर सुनाये देता हूं।

"मैं आज विधान सभा की बैठक में श्री अध्यक्ष की आज्ञा से एक निश्चित तथा आवश्यक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न, अर्थात लखनऊ विश्वविद्यालय में निम्नतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के हड़ताल से वहां के काम में जो रुकावट पैदा हुई है, यहां तक कि मैले की टट्टियां भी साफ नहीं की गयी हैं, पर विचार करने के लिये, सदन के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि ऐसा करने की आज्ञा मुझे प्रदान होगी।"

यह विश्वविद्यालय से संबंधित है। वह एक आटोनामस बाडी है। इसका संबंध उसके कुछ कर्मचारियों की हड़ताल से है। माननीय सुरथबहादुर शाह यह स्पष्ट करें कि सरकार को इस विषय में क्या कार्य करने का अधिकार था जो उसने नहीं किया।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—मान्यवर, जब हाफिज मोहम्मद इब्राहीम साहब द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि ५ रुपये और २।। रुपये १०० रुपये तक के कर्मचारियों के बढ़ाये जावेंगे वह यूनिवर्सिटी में कार्यान्वित नहीं हुई है। सरकार से शायद यूनिवर्सिटी ने इस बात की प्रेरणा की थी कि उसे कार्यान्वित करने के लिये उन्हें रुपया दिया जाय। वह नहीं दिया गया और इसके कारण वहां हड़ताल है। मेडिकल कालिज में, जो कि essential services में आता है, वहां भी हड़ताल होने की सम्भावना है। इसलिये यह एक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है। बड़ी गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

श्री अध्यक्ष—तो मेडिकल कालेज की हड़ताल की सम्भावना के ऊपर आप यह उठा रहे हैं ?

श्री सुरथबहादुरशाह—जी नहीं। यूनिवर्सिटी में सब शामिल हैं, और यूनिवर्सिटी में तमाम काम बन्द हैं, लाइब्रेरीज से किताबें नहीं मिल रही हैं, लेबोरेटरीज बन्द हैं, गैस प्लान्ट्स बन्द हैं, यहां तक कि वहां लैटरिन्स की सफाई भी बन्द है। इससे हेल्थ और एजूकेशन दोनों सफर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—इसकी वैधानिकता के सम्बन्ध में सरकार को कोई आक्षेप है ?

* मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उन्होंने कहा है कि हाफिज मोहम्मद इब्राहीम साहब ने कोई चीज यहां सदन में कही थी जिसके कारण यह हड़ताल हुई। मेरा कहना है कि हाफ़िज साहब ने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही जिसके कारण कोई हड़ताल होनी चाहिये थी। हाफिज साहब ने जो कुछ कहा वह यह था कि जिस समय यह रुपया बढ़ाया गया था उस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से आया था कि ५ रुपये बढ़ाये जावें जिनमें २/३ हिस्सा गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी और १/३ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकारी कर्मचारी, और लोकल बाडीज के कर्मचारियों के लिये यह है। यह सूचना हाफिज जी ने यहां दी थी। उसी के अनुसार काम किया गया है। यूनिवर्सिटी उस घोषणा में नहीं आती है और न भारत सरकार ने उनके लिये एक पैसा दिया है। इसलिये सरकार का कोई सम्बन्ध इससे नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मेरा निवेदन है कि जब हम लोग सोशलिस्ट आन्दोलन के सम्बन्ध में जेल में थे उस समय हाफिज साहब ने घोषणा की थी कि जिनकी १००) रु० से कम तनख्वाह है उनके ५ रुपये बढ़ाये जावेंगे। उनके असन्तोष का कारण मुख्य रूप से यह है कि जब यूनिवर्सिटी की फाइनेंस को कन्ट्रोल करती है सरकार, तो अगर यूनिवर्सिटी में वह नहीं बढ़ाती है, यानी यूनिवर्सिटी को इसके लिये रुपया नहीं देती है और उसके कारण हड़ताल होती है तो सरकार का सीधा सम्बन्ध इससे आ जाता है। इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि हाफिज जी ने क्या कहा। वह तो एक आम घोषणा थी कि ९५ रुपये तक पाने वालों के ५ रुपये बढ़ाये जावेंगे। इसलिये यूनिवर्सिटी से और सरकार से इसका सीधे ताल्लुक है।

श्री सुरथबहादुरशाह—आटोनामस बाडीज के बारे में जो मुख्य मंत्री साहब ने फरमाया है, यूं तो म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी आटोनामस हैं। जब आप उनको देते हैं तो यूनिवर्सिटी को देने में कौन-सी आटोनामी खत्म हो जायगी ?

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—जहां तक इस प्रश्न की वैधानिकता का प्रश्न है, अगर विद्यार्थी केवल हड़ताल करते हैं तो सरकार कहीं नहीं आती है। परन्तु सरकार ने सारे रूल्स और स्टैट्यूट्स बनाने के अधिकार ले रखे हैं तो जो रूल्स और स्टैट्यूट्स वहां के कर्मचारियों के लिये सरकार बनवायेगी उन्हीं के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारी काम करेंगे। जितना भी वहां रुपया खर्चा होता है वह सरकार देती है, ग्रान्ट्स सब यहीं से जाती हैं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय सभापति जी, जिस समय यूनिवर्सिटी का विधेयक यहां आया था, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, तब सदन में यह बात बार-बार आई थी कि डी० ए० के प्रश्न को लेकर गवर्नमेंट की पालिसी को यूनिवर्सिटी के अधिकारी मानने के लिये तैयार नहीं हैं। कई बार वहां लोन लेने की भी आवश्यकता थी। इससे यह बात तो साफ़ जाहिर है कि अगर डी० ए० को लेकर गवर्नमेंट और वहां के अधिकारियों में कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

मतभेद चलता रहे और उसकी वजह से वहां समस्यायें खड़ी हो जावें, जैसा कि ५ या ढाई रुपये का सवाल डी० ए० से है तो सरकार का सीधा सम्बन्ध हो जाता है। इसलिये जरूरी है कि गवर्नमेंट को ५ रुपया देकर इस समस्या का समाधान करना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, माननीय प्रताप सिंह जी ने शायद एक बात कहनी चाही मगर वह पूरी कह नहीं पाये। इसलिये मैं सिर्फ एक लीगल प्वाइंट पर अर्ज कर दूं। यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी जरूर है। लेकिन जो यहां पर नया आर्डिनेंस आया उसमें यह है कि जब कोई डिफिकल्टी सरकार के सामने आयेगी तो वे रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर निकाल सकते हैं। उसने जो आर्डर निकाले उन्हें चैलेंज किया गया और वह क्वैश हो गये। फिर उन्होंने नया आर्डिनेंस निकाला। उसमें यूनिवर्सिटी की सारी ताकत गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में ले ली थी, स्टैट्यूट्स बनाने की भी ताकत स्वयं ले ली जिनके बनाने की ताकत पहले केवल यूनिवर्सिटी को थी।

वहां के इन्तजाम के लिये अब सरकार आर्डिनेंस स्वयं ईश्यू करती है। इसके अतिरिक्त वहां की लोगों के तनख्वाह, भत्ता आदि का प्रबंध भी सरकार ने उनसे छीन कर अपने हाथ में ले लिया है, और अब सरकार १२ महीने के बजाय ३० महीने तक इस शक्ति का प्रयोग सरकार कर सके ऐसा कर दिया जाय ऐसा हमसे कह रही है। इस प्रकार से जो भी आटोनामस बाडी के फंक्शन्स थे वे सब सरकार ने गवर्नर के हाथ में दे दिये हैं। इस प्रकार से जब सारी यूनिवर्सिटी की ताकत गवर्नमेन्ट के हाथ में है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, इस मामले में भी वह इंतजाम करे।

श्री अध्यक्ष---यह कहा गया कि यह सरकार से इसलिये संबंधित है कि सरकार बहुत सी चीजों में यूनिवर्सिटी के कामों को नियंत्रित करती है। लेकिन यह यूनिवर्सिटी और उसके कर्मचारियों के बीच का सवाल है और उन्होंने सरकार से इस सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की जिसकी वजह से इसका सम्बन्ध कोई सरकार से आ जाता। इसलिये इसका सरकार से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। किसी ने इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया कि सरकार के पास यह मामला आया, यूनिवर्सिटी ने उसको सरकार के पास रिफर किया, और सरकार ने यूनिवर्सिटी की उस मांग से इंकार कर दिया गया हो, ऐसी चीज कोई सामने नहीं आयी। जो कुछ आया वह यही कि एक एलान सरकार ने किया था जिसका स्पष्टीकरण मुख्य मंत्री जी ने सदन को दे दिया कि वह यूनिवर्सिटी के लिये लागू नहीं होता। आटोनामस बाडी के शब्द मैंने इस्तेमाल किये थे कि गवर्नमेंट वहां मदाखलत नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिये वह घोषणा नहीं हुई। स्थानीय संस्थाओं के लिये उन्होंने ५ रुपया बढ़ाने की बात कही थी। इस तरह से भी सरकार के ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आती। दूसरे यूनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है। उसके और उसके कर्मचारियों के बीच झगड़ा है, अतः उसके सम्बन्ध में इस सदन में बहस नहीं हो सकती। इसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत नगरमहापालिकाओं के चुनाव-कार्यक्रम के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न उपस्थित किया ह महानगर निगम के चुनावों के सम्बन्ध में। एक राम स्वरूप वर्मा जी का भी है। मैं समझता हूं, क्योंकि अब सदन बैठेगा नहीं तो माननीय सदस्य इसी में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। राजनारायण जी ने इसमें कहा है कि महानगर निगम के चुनाव के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति डांवाडोल रही है। बार-बार घोषणायें हुईं, तारीखें बन्धीं, मगर उन्हें एक न एक सफाई देकर सरकार ने टाल दिया। ६ सितम्बर को पुनः सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति

निकली है जिसमें सरकारी निर्णय की बात नहीं है बल्कि यह लिखा गया है कि अभी सरकार १८ सितम्बर को चुनाव सम्बन्धी तिथियों की सूचना निम्नांकित ढंग पर निकालने का प्रस्ताव करती है—

नामांकन दाखिल करने की तिथि	..	१ अक्तूबर
नामांकन जांच ..	..	३ अक्तूबर
पर्चा वापस लेने की आखिरी तिथि	..	६ अक्तूबर
वोट पड़ने की तारीख ..	..	२५ अक्तूबर

सरकार की उपर्युक्त ढंग की अनिश्चित घोषणा से जनता में भ्रम पैदा हुआ है और लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकार यह तिथि भी टालेगी। अतः मैं सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित कर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं। तो क्या संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ?

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—श्रीमान् जी, माननीय राजनारायण जी ने जो महानगर पालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है और उस सम्बन्ध में शासन की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति निकली है जिसमें चुनाव का टाइम टेबिल दिया गया है और यह भी कहा गया है कि उसके सम्बन्ध में नोटीफिकेशन १८ सितम्बर को निकलेगा, उस पर आपको आपत्ति है और उससे आप समझते हैं कि गवर्नमेन्ट उसे भी टालमटोल करना चाहती है। श्रीमन्, प्रेस विज्ञप्ति में जो तिथियां दी गयी हैं उनके अनुसार ही चुनाव कराने का हमारा इरादा है.....

श्री अध्यक्ष—यानी यह निश्चित है।

श्री जयराम वर्मा—जी हां। अब जहां तक नोटीफिकेशन की बात है वह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सभासदों के निर्वाचन का संचालन आज्ञा, १९५९ के पैरा १४ (२) के अनुसार गवर्नमेन्ट निकालने जा रही है। नोटीफिकेशन जिस तिथि को निकलेगा उस तिथि से ७ दिन के पहले और १४ दिन के बाद नामांकन नहीं हो सकता। यानी नोटीफिकेशन की तिथि से ७ दिन और १४ दिन के बीच में नामिनेशन की तिथि होनी चाहिये। और जो टाइमटेबिल प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निकला है उसमें नामांकन की तिथि पहली अक्तूबर रखी गयी है। उसके हिसाब से १८ सितम्बर के पहले नोटीफिकेशन नहीं निकाला जा सकता। तो जो अर्लिएस्ट डेट नोटीफिकेशन के लिये हो सकती है उस डेट को वह निकलेगा। सब को पहले से उसकी जानकारी हो जिससे जो संबंधित व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड हों, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई दल हो उससे बराबर लाभ उठा सके। इसीलिये प्रेस विज्ञप्ति निकाली गयी थी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—जो समाचार पत्रों में ; जैसे वाराणसी के 'आज' अखबार में निकला है कि सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति निकली है उसके बारे में जनता को भ्रम है और जनता ऐसा कह रही है कि सरकार यह चुनाव ही टालेगी, क्योंकि इन पंच महानगरों में अभी तक कोई कांग्रेस पार्टी को उपयुक्त उम्मीदवार ही नहीं मिल पाया है ....।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप प्रचार कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—तो क्या सरकार को यह सूचना है कि जनता में यह भ्रम है और उस भ्रम के निवारणार्थ सरकार आज कहने को तैयार है कि चुनाव होगा ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह तो दिया।

श्री राजनरायण—क्या सरकार इस हैसियत में है कि वह आज घोषित करे कि जो तिथि ६ सितम्बर के अखबारों में निकली है उसी तिथि पर चुनाव होंगे ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, जो टाइम टेबिल हमने निकाला है उसी हिसाब से चुनाव कराने का इरादा है लेकिन नोटीफिकेशन १८ सितम्बर को निकलेगा, उसके बाद यह निश्चित हो जायगा। उसके पहले नोटीफिकेशन नहीं हो सकता। टाइम टेबिल निकल गया है और सूचना दे दी गयी है लेकिन नोटीफिकेशन १८ सितम्बर को निकलेगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन महानगरियों में शीघ्र चुनाव कराने का विचार है उन की वोटर लिस्ट और पोलिंग बूथ्स की लिस्ट तैयार हो चुकी है ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, चुनाव की कार्यवाही सब तैयार है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन तारीखों में उन का चुनाव कराने का इरादा है वह केवल इरादा है या उन्हीं तारीखों में वाकई चुनाव कराया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---बगैर इरादे के चुनाव नहीं कराये जा सकते।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---प्रभी मंत्री जी ने जिस इरादे का जिक्र किया वह इरादा तो बहुत पुराना है लेकिन अगर अब नई बात की है तो कौन सी तारीख निश्चित की जा रही है जिस तारीख पर कि सूबे की जनता विश्वास कर ले कि अब के चुनाव हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष---वह तारीख उन्होंने बता दी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार के पास अब कोई कारण नहीं रह गया है कि जिस से चुनाव टाले जा सकते हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---सरकार ने कभी टालने की कोशिश नहीं की।

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस सदन में पहले कई बार चुनाव कराने की घोषणा की जा चुकी है और इस के पूर्व पहले सेशन में भी ऐसी घोषणा सदन में की गई थी कि ५ जुलाई को चुनाव होंगे लेकिन बाद में चुनाव न करने का कारण बताया गया कि गर्मी बहुत है और यह भी कहा गया कि कुछ विरोधी दलों के लोगों ने भी चाहा है कि गर्मी में चुनाव न कराये जायं और माननीय त्रिलोकी सिंह के पत्र का भी हवाला दिया था कि नेता विरोधी दल ने आग्रह किया है कि चुनाव टाले जायं, तो ऐसी स्थिति में क्या इस बार यह कहना ठीक है कि चुनाव अब नहीं टाले जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बिलकुल ठीक है, क्योंकि विरोधी दल के नेता ने मांग की थी इसलिये उन की बात मान ली गई थी, सरकार ने चुनाव कभी नहीं टाले।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सब जगहों के जो सीमा सम्बन्धी विवाद थे वे सब हल हो गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा---इस के बारे में सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष---वह वार्डों के डिलिमिटेशन के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा---वह सब कार्यवाही पूरी है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एक मीटिंग माननीय अली जहीर साहब के यहां हुई थी जिस में विभिन्न दलों के नेता भी थे जिस में विचार हुआ था कि एलेक्शन की डेट गर्मी के कारण स्थगित की जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह पुरानी बात है यहां कभी-कभी आपस में जो जवाब दिये जाते हैं उनमें कुछ मजाक होता है, यह प्रश्न रिलेवेंट नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वोटर लिस्ट तैयार होने और पोलिंग बूथ्स की लिस्ट तैयार होने के पहले क्या नियमानुकूल रिकगनाइज्ड राजनीतिक दलों के पास भेजी गई थीं और उन की राय ली गई थी ?

श्री जयराम वर्मा—नियमों के अनुसार ही सब कार्य हो रहा है ।

श्री राजनारायण—सरकार के पास अब किसी दल विशेष के नेता का पत्र चुनाव टालने के लिये तो नहीं आया है ?

श्री जयराम वर्मा—इस वक्त तक कोई पत्र नहीं आया है ।

उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण विधेयक, १४५९ की संयुक्त प्रवर समिति के सभापति का मनोनयन

श्री अध्यक्ष—कल मैंने कहा था कि जोत सीमा विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति के लिये मुझे सभापति मनोनीत करना है । नियमावली में तो यह नियम नहीं है कि वह व्यक्ति कोई असरकारी व्यक्ति होना चाहिये, उसमें नियम सिर्फ यह है कि यदि डिप्टी स्पीकर सदस्य हों तो वह उसके अध्यक्ष होंगे नहीं तो मुझे अधिकार दिया है कि मैं किसी को सदस्यों में से अध्यक्ष नियुक्त कर दूं । लेकिन यह नियमावली बनाते वक्त जो रिपोर्ट उपस्थित की गई थी उसमें यह सुझाव दिया गया था कि नियम में तो हम यह नहीं देते हैं कि असरकारी सदस्य अध्यक्ष होना चाहिये लेकिन ऐसी परम्परा स्थापित करनी चाहिये, औचित्य की दृष्टि से हो । समिति ने यह आशा प्रकट की कि स्वस्थ्य परम्पराओं द्वारा इस प्रथा का स्थापित किया जाना अधिक उचित होगा । इस प्रकार परम्परा के लिये मेरे पास एक सुझाव समिति ने दे दिया । इसके पहले परम्परा यह रही कि सदैव किसी प्रवर समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित विभाग का मंत्री हुआ करता था । यह हमेशा परम्परा रही है । परम्परा यह रही कि अध्यक्ष मंत्री को ही नामजद करते रहे हैं । उस परम्परा को छोड़ कर वही परम्परा प्रारम्भ करना, यह धीरे-धीरे ही हो सकता है यानी मैं एकदम से इस बात का निर्णय नहीं देता हूं कि सदैव असरकारी व्यक्ति ही उसका अध्यक्ष होगा, लेकिन प्रस्तुत परिस्थिति में जैसी कि घटना यहां घटी कि एक प्रस्ताव आ गया उपाध्यक्ष के बारे में फिर उसे वापस लिया गया, उस अवस्था में मैं समझता हूं कि इसमें औचित्य है कि इस बार तो कम से कम असरकारी सदस्य ही इस प्रवर समिति का सभापति हो और इसलिये मैं श्री राममूर्ति जी को इसका अध्यक्ष मनोनीत करता हूं ।

विभिन्न विषयों पर जानकारी की मांग

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । मेरा दुर्भाग्य है कि शायद मेरी अर्जी वही, श्रीमन्, देख पाये । दानपुर में हजारों आदमियों की जिन्दगी बड़े खतरे में है, ३ आदमी मर चुके हैं । हड़सीला, गैरखेत सुडिग, कुछ गांव बह गये थे, कुछ बहने को तैयार हैं सरयू नदी में । मेरे पास स्पेशल मैसेन्जर आया है । एसेम्बली आज बन्द हो जायगी । इसलिये मुझे दो मिनट कहने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी से आपकी तरफ से कहे देता हूं । आप उनके कमरे में जायं वह सूचना दे देंगे और जो मदद हो सकती है वह करेंगे ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जो वाकया बताते हैं उसके बारे में कोई इत्तला हमारे पास नहीं है । हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उस में एक हफ्ता, दो हफ्ता लगेगा ।

श्री अध्यक्ष--जो कुछ मदद हो सकती है वह करें और सूचना इकट्ठी कर लें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं । वह यह कि पिछली साल की तरह से इस साल भी यह खबर आई है कि खैरागढ़ तहसील में वह बांध फिर टूट गया है और उससे जगनेर तथा कई गांव खतरे में हैं । मैंने अभी एक पत्र भी माननीय माल मंत्री की सेवा में भेजा है कि वायरलेस से सूचना मंगा लें और उचित आदेश दें । आशा है वह इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--श्रीमन्, जगनेर वाला भी मैंने दिया था । दानपुर की पट्टियां हैं, कई पुल टूट गये हैं .....

श्री हुकुम सिंह विसेन--हम पता लगा लेंगे ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, आपके द्वारा मेरा निवेदन है कि आपने कहा था कि मेरे कमरे में बातचीत किया करो । श्रीमन्, मैं आपके कमरे में गया था । कमरा खाली था । आप आराम कमरे में थे । मैंने जय राम जी की, आपने सुना नहीं । अब मैं कहां जाऊं । इसलिये मैं कह रहा हूं मैंने एक प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था कि सादाबाद तहसील में डकैती में जो कत्ल हुआ, शूट कर दिया गया उसके सम्बन्ध में था । लेकिन हम गरीबों की कोई सुनता नहीं क्योंकि दमदार जो आगे रहते हैं, सब हिलेंगे सन् १९६२ में ।

श्री अध्यक्ष--उनके नेतृत्व में आप न रहें ।

कृषि-विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय के प्रबंधक बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा १० की उपधारा (२) ङ के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का चुनाव करें ।

श्री अध्यक्ष--इस विषय पर मैं राय लिये लेता हूं---

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंधक बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा १० की उपधारा (२) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का चुनाव करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, अब तो मैं राय ले रहा हूं, आप पहले बोल सकते थे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं अब चुनाव तो हो नहीं सकता क्योंकि आज सदन उठ रहा है, तो जब फिर सदन बैठेगा तब चुनाव होगा । एक रास्ता इसके लिये और भी है, अगर समझौते से सब लोग आज नाम दे देंगे कि सर्वसम्मति से ये दो व्यक्ति चुने जाने चाहिये तो मैं इस बात का शाम को मौका दे दूंगा उठने के पहले कि वह प्रस्ताव आ जाय और सर्वसम्मति से वे चुने जायं । फिर चुनाव-फल को मैं घोषित कर दूंगा । लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं चुनाव की कोई तारीख जब सदन फिर से बैठेगा उस समय निश्चित करूंगा ।

सदन की आगामी बैठक की तिथि के बारे में सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, कोई जानकारी इस सम्बन्ध में हो सकती है कि यह सदन फिर कब बैठने जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री का अगर कोई अंदाजा हो तो बता दें क्योंकि आखिर में तो निश्चित तिथि वह और मैं नियत करेंगे ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा खयाल है कि हम या तो नवम्बर के आखिरी सप्ताह में या दिसम्बर के पहले सप्ताह में मिलेंगे ।

श्री राजनारायण द्वारा जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमने कुछ स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में निवेदन किया था अगर आपकी आज्ञा हो तो कह दूं मंत्री जी से ।

श्री अध्यक्ष---आप कहें ।

श्री राजनारायण---प्रश्न यह है यहां पर कि जो तमाम योजनायें चल रही हैं उनके सम्बन्ध में शिकायतों तथा धन के दुरुपयोग की जांच के लिये सरकार ने एक डिप्टी चीफ इंजीनियर, श्री प्राग नारायण को नियुक्त किया था । हम लोगों ने बहुत-सी शिकायतें उनके पास भेजी हैं जांच के लिये । और हमको ऐसा लगता है, हमको मालूम है कि वह रिटायर होने वाले हैं और पहली अक्तूबर से ४ महीने पहले ही छट्टी पर जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---तो आप यह चाहते हैं वह इंक्वायरी होती रहे ।

श्री राजनारायण---जी हां। जितनी शिकायतें हमने भेजी हैं उनमें हमने बतलाया है कि लाखों मन व करोड़ों रुपये का गोलमाल है, अगर वे हट जायेंगे तो उस जांच में बहुत बाधा पड़ेगी । बहुतों में आधी जांच हो चुकी है । इसलिये उनके लिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वे ४ महीने तक और रहें ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी से इस विषय में उनके कमरे में जा कर बातचीत कर लें ।

श्री राजनारायण---जो नियम ५२ में लिख कर भेजा था उसकी कापी उनको मैं भेज दूंगा और एक पत्र भी लिख दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है । यही इसका तरीका है ।

चीनी उद्योग मजदूरों की वेतन-वृद्धि आदि की सुविधाओं के सम्बन्ध में संकल्प † (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---कल प्रतापसिंह जी, श्री मदन पांडेय के प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे। उनका भाषण जारी रहेगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया है उस पर ट्रेजरी बैंचेज की ओर से जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उससे ऐसा प्रतीत होता था कि वे मिल मालिकों के केस को प्लीड कर रहे हैं और विरोधी दल की तरफ से जो सदस्य बोल रहे थे उससे ऐसा लगता था कि वे मजदूरों के काज को प्लीड कर रहे हैं। तो मैं अपना नाम मजदूरों के काज को प्लीड करने में लिखाना चाहता हूं ।

---

† १० सितम्बर, १९५९ की कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष---उपमंत्री जी अगर आगे बैठ जायं तो कोई हर्ज नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मंत्री कोई है ही नहीं। आगे बैठने पर उनको सुनने में भी आसानी होगी।

श्री प्रतापसिंह---मैं श्रम मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसी भी पालिसी के निर्धारण में वे कौन-सा मापदंड मानते हैं। जो प्रस्ताव रखा गया है उसके लिये वे उस नीति को मानते हैं जो सर्वप्रथम कराची कांग्रेस में बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मजदूर नीति के संबंध में निर्धारित हुई थी या उसको मानते हैं जो हमारे संविधान में निर्धारित है या उसको मानते हैं जो लेबर कांफ्रेंसेज में निर्धारित की गयी जैसे एशियन लेबर कांफ्रेंस में या जो लेबर कांफ्रेंस टोकियो में हुई या जो वर्तमान मंत्री हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उसको आधार मान कर मजदूर नीति को निर्धारित करेंगे। संविधान ही एक आइना है और उसमें आर्टिकिल ३९-ए में यह लिखा है :

"That the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livlihood."

तो जैसा कल कहा और जो प्रस्ताव आया हुआ है उसका मकसद यही है कि मजदूर अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से व्यतीत कर सके और उसको यह चिन्ता न रहे फैक्टरी में काम करते वक्त कि वह शाम को घर लौटेगा तो उसका बच्चा भूख से कराह रहा होगा, तो संविधान में भी उसके लिये रखा गया है, लेकिन उसके अनुसार भी कार्य नहीं किया गया। संविधान का अनुच्छेद ४३ इस प्रकार है:---

"The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization or in any other way, to allow workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage."

तो जो ५५ रुपया सरकार ने उनका निर्धारण किया है वह बहुत कम है। दूसरे एक महत्वपूर्ण कांफ्रेंस हुई जिसका तजकिरा मैंने अभी किया। एशियन लेबर कांफ्रेंस ४७ में हुई और उसके बाद वही कांफ्रेंस टोकियो में हुई। यह किताब है लेबर प्राब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री जिसको हमारे लेबर लीडर वी०वी० गिरि, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है

"The resolution said that the common objective of government, employers and workers should be to establish wages at the highest possible level."

तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ५५ रुपया हाइयेस्ट लेविल को लेकर रखा गया है या लोयस्ट लेविल को लेकर रखा गया है। दूसरी चीज इसमें यह कही गयी है:

"Further, according to the resolution, there should be arrangements for continuing consultation between governments, employers and workers, so that policies in the two fields may be effectively co-ordinated and implemented."

मान्यवर, न तो आज एफेक्टिव पालिसी है न उसका कोआर्डिनेशन है और जब कोआर्डिनेशन नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल ही नहीं उठता है।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने ६ तारीख को रानीखेत में कही थी जो बहुत ही सुन्दर थी। उन्होंने कहा था---

"आज हम देखते हैं कि जब कोई सज्जन कहीं जाते हैं तो वे जब मोटर से जाते हैं तो कार से उतर कर चलते हैं लेकिन उन्हें अपने उस श्रमिक मोटर ड्राइवर का खयाल नहीं है जोकि कितने परिश्रम से वहां पहुंच सका होगा। आज वे यह नहीं सोचते लेकिन उन्हें सोचन के लिये मजबूर होना पड़ेगा।"

तो मैं भी माननीय मंत्री जी के ख्यालात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि आज मजदूरों ने ही उनको यहां भेजा है। हम जानते हैं कि उनके दिल में मजबूरों के लिये गुंजाइश है लेकिन उन्हें सरकार को मजबूर करना चाहिये कि आज मजदूरों की वही हालत है जो उस मोटर ड्राइवर की है। आज एक तरफ उन चन्द पूंजीपतियों का सवाल है और दूसरी तरफ ६८ हजार से ऊपर मजबूरों का सवाल है। हमें देखना है कि प्रजातंत्र में उन चन्द पूंजीपतियों का खयाल रखा जाता है या उन ६८ हजार से अपर मजदूरों का खयाल रखा जाता है। चाहे श्रम मंत्री हों या मुख्य मंत्री, रोज कहा जाता है कि हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों के मुकाबले में काफी आगे बढ़ता जाता है। मैं यू०पी० लेबर इंन्क्वायरी कमेटी, १९४६-४८ से जरा पढ़ना चाहता हूं।

श्रम उप मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--यह पुरानी हो गयी।

श्री प्रताप सिंह--"वेजेज आर लोएस्ट इन मद्रास, सी० पी० ऐंड यू० पी०" मंत्री जी कहते हैं कि यह पुरानी हो गयी है लेकिन मैं इसको पुरानी तब मानूंगा जब हम इसकी सिफारिशों को मान कर आगे बढ़ गये हों। मद्रास में तो वेजेज बढ़ गये लेकिन उत्तर प्रदेश में ५५ रुपये हैं। किताब तो पुरानी हो गई लेकिन क्या उन फैसलों को माना गया? यह भी माना कि यह पुरानी है लेकिन हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री, पंडित जवारलाल नेहरू जिनकी कद्र सभी करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग तो करते ही हैं, उन्होंने कहा है –

"The common man's standard should go up everywhere."

यानी साधारण आदमी, या यों कहिये कि मैन आन दि स्ट्रीट का स्तर बढ़ना चाहिये। किताब की बात पुरानी हो सकती है लेकिन नेहरू जी की बात तो पुरानी नहीं है? क्यों नहीं अब तक इस ओर कदम उठाया गया? मैंने भी चीनी मिल मजदूर यूनियनों में काम किया है। उनको ५५ रुपये मिलते हैं लेकिन उनके क्वार्टरों में कोई व्यवस्था नहीं होती। उत्तर प्रदेश में सारे हिन्दुस्तान की ५५ फी सदी शुगर इंडस्ट्रीज है। मजदूर यह नहीं देखता कि कितनी आमदनी हुई बल्कि वह यह देखता है कि कितनी चीनी पैदा हुई और उसके अनुसार उसे बोनस मिलना चाहिये। दूसरी बात यह कि जो मजदूर चीनी मिलों में काम करने आते हैं उनमें से अधिकांश गांवों के खेतिहर लोग होते हैं, उनके पास गांवों में कोई काम नहीं होता है। उनको आफ सीजन में पैसा मिलना चाहिये। हमें मंत्री जी से बड़ी बड़ी आशायें हैं क्योंकि वे भी एक नौजवान हैं और अगर इस तरफ के भी एक नौजवान की बात वे मान लेंगे तो ६८ हजार मजदूरों का मसला आसानी से हल हो जायगा। मुझे जो श्रमिक अधिकारी हैं उनके लिये कहना है कि सावधानी से रहने की जरूरत है। वे जो रखे गये हैं वह मजदूर ही हैं न कि मिल मालिक। यह माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है कि आप मजदूरों के कारण ही रखे गये हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको इलाहाबाद के मजदूरों ने भेजा है तो इसीलिये भेजा है कि आप कैबिनेट में रहते हुए मजदूरों का हित सामने रखें। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने जो बात कही उसी पैमाने पर वह मजदूरों के सवाल को देखें।

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या मंत्री जी के बाद मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—बात तो यह है कि मिनिस्टर साहब की यदि पहले बोलने की इच्छा होती तो मैं उनको इजाजत दे देता। अब इजाजत नहीं दूंगा जबकि प्रश्न उपस्थित हो चुका है। अब तो वह एक ही बार बोलेंगे।

श्री मदन पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से कई महानुभावों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है और उसके सब्सटेंस का तो सभी ने समर्थन किया। जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया है मैं उनका आभारी हूं। उनमें से कुछ बातों के संबंध में मुझे निवेदन करना है और कुछ प्वाइंट्स छूट गये थे उनको रख कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा मुझे कितने मिनट मिलेंगे ?

श्री अध्यक्ष—आपको १५ मिनट मिलेंगे।

श्री मदन पांडेय—बड़ी कृपा है आपकी। जहां तक वेजेज का सवाल है उसक संबंध में कल माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी ने ऐसी बातें कही थी कि जिनका जिक्र करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने यह कहा था कि कुछ सिद्धांत नहीं बताया गया जिसके आधार पर मजदूरी में बढ़ोत्तरी करने की बात कही जाय। यों तो मैं समझता था कि जब दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी बोलने के लिये खड़े होंगे तो लेबर के संबंध में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे लेकिन उन्होंने नहीं की। कोई बात नहीं है। मैं उनको याद दिलाये देता हूं।

सब से पहले में संविधान की धारा ४३ की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स आफ स्टेट पालिसी के संबंध में है। वह इस प्रकार है कि :—

"The State shall endeavour to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour on co-operative basis in rural areas."

श्रीमन्, इसमें स्पष्ट रूप से लिविंग वेज की गारन्टी है और लिविंग वेजेज की तरफ ध्यान रखने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को जो भी पालिसी फिक्स करना है वह इससे गाइड होगी। अब मैं कुछ लम्बी-चौड़ी इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। जो इसी सरकार की बनाई हुई निम्बकर कमेटी है उसने इस पर पूरे तौर से विचार किया है। इसका पैरा ९७ है। "मिनिमम लिविंग वेज आफ रुपीज ३० रिकमंडेड"। मैं इसका थोड़ा-सा अंश पढ़ देना चाहता हूं :—

"97. We have considered our estimates, the whole volume of evidence placed before us, and the opinions given in paragraphs 94, 95 and 96 above. We come to the decision that we cannot recommend a figure lower than Rs.30. We have already made so many allowances in computing our estiamtes given in paragraph 91 above, in the matter of defining our standard, in assuming the size of the family, in selecting the balanced diet, in estimating the rent, and finally in fixing other items of expenditure that our estimates can be considered nothing but the rock bottom level of a 'living wage' or subsistence plus standard and, in every sense of the world, an under-estimation. As our estimates are in no case less than Rs.30-9-6 for a family of 3.5 persons and Rs. 33-6-6 for a family of 4 persons, a figure of Rs. 30 already involves further deducation of Rs. 0-9-6 in the former case and Rs. 3-6-6 in the latter case. Yet, we could not help this reduction because of the decision of the Industrial Court, Bombay, to fix their minimum wage at Rs. 30 per month."

इसकी जानकारी हासिल हो जाने के बाद माननीय दीपनारायण मणि त्रिपाठी को यह ज्ञात हो जायगा कि जो मांग मैंने ३० रुपये बेसिक वेज की रखी है वह कितनी उचित है। इस संबंध में जो उनका भ्रम होगा उसका अब निवारण हो जायगा। अब जो निम्बकर कमेटी की फाइनल रेकमेंडेशंस हैं उनमें से दो-तीन बातें पढ़ना चाहता हूं। पृष्ठ ३२३ पर और पैरा ३०७ में उन्होंने कहा है:—

"307. We have also examined the evidence tendered on this point by independent witnesses. In particular, we have pointed to the evidence of Dr. B. K. Mukerji of the Lucknow University and Sri J. K. Pande, Economic Adviser and Director of Statistics, United Provinces, both of whom recommended a sum not lower that Rs. 30 at pre-war level of prices."

पैरा ३०९ में जो बातें उन्होंने कही हैं उन पर गौर फरमाने की जरूरत है :—

"308. On a consideration of evidence placed before us we have recommended a minimum wage of Rs. 30 for un skilled workers in the United Provinces. We have given our reasons for selecting this figure and if we have erred, we have erred on the low side."

पैरा ३०९ में उन्होंने कहा है—

"309. With regard to other categories of workers we have aimed at providing for a slightly lower rate of differential than existing at present and recommended a wage of Rs. 40 per month for semi-skilled occupations, Rs. 50 per month for skilled occupations and Rs. 75 for highly skilled occupations."

इसके बाद ३१२ पैरा में उन्होंने जिक्र किया है :—

"312. We have....."

श्री अध्यक्ष—आप सब अंग्रेजी में ही पढ़ते जायेंगे? आप यों पढ़ेंगे तो १५ मिनट इसी में समाप्त हो जायेंगे।

श्री मदन पांडय—उन्होंने यह कहा है कि हम अपने को असमर्थ पाते हैं कि किसी यूनिट के संबंध में कोई एक्सेप्शन करें और किसी इंडस्ट्री की यूनिट में कोई डिस्क्रिमिनेशन करें। निम्बकर कमेटी जो शुगर के संबंध में बनाई गई कमेटियों में सबसे प्रमुख मानी जाती है यह उसकी धारणा है वेजेज के संबंध में।

बोनस के संबंध में सात प्रतिशत पर जो ऐग्रीमेंट प्रति वर्ष वह फेडरेशन करती है जिसको लेबर का २१ प्रतिशत का मत प्राप्त है वह अत्यन्त अनुचित है। इस संबंध में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी इस लम्बी अवधि में भूल करते आये हैं उसको अब भी सुधारें और अपनी नीति फिर से निर्धारित करें और जो निम्बकर कमेटी में रेकमेंडेशन हैं वह लागू करें।

जहांतक चीनी उद्योग की पेइंग कैपेसिटी का सवाल है मैं दो ही प्वाइंट इस संबंध में कहूंगा, १९४९–५० में ६६ मिलों में ८५ हजार मजदूरों की संख्या थी।

श्री राजनारायण—मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। जो अब साढ़े ६९ हजार.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। एक वैधानिक प्रश्न है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—वैधानिक प्रश्न यह है कि माननीय वक्ता महोदय यह जो जवाब दे रहे हैं इनको आखीरी जवाब देने का समय कितना मिलेगा?

श्री अध्यक्ष—पंद्रह मिनट।

श्री राजनारायण---तो पंद्रह मिनट तो हो रहा है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अभी दस मिनट हुए हैं। वह बहुत तेजी से बोल रहे हैं और पंद्रह मिनट का काम उन्होंने दस मिनट में ही कर दिया।

श्री मदन पांडेय---तो ८५ हजार के बजाय साढ़े ६९ हजार मजदूरों की संख्या रह गई है। इसलिये शुगर प्रोडक्शन के ऊपर जो चार्जेज लगने चाहिये उसमें लेबर चार्जेज में कमी हुई है। दूसरी तरफ चीनी का प्रोडक्शन पहले ५,०८,६०० टन था जो कि अब ९,४२,००० टन हो गया है। इसलिये कास्ट आफ प्रोडक्शन में भी कमी आई है और इस प्रकार शुगर इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी है वेज और बोनस आदि देने की, उसमें काफी वृद्धि हुई है इसलिये इन चीजों के देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

इसी संबंध में निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में माननीय सम्पूर्णानन्द जी जो कि मौजूदा श्रम तथा मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने सन् ५० के १२ मार्च को एक प्रेस कान्फ्रेंस के सिलसिले में निम्बकर कमेटी के संबंध में जो घोषणा की थी उसकी याद दिलाना चाहता हूं---

"U.P.'s Labour Minister, Mr. Sampurnanand, in an interview to the Press Trust of India said on March 12, that "it was the Government's intention to review the whole position regarding the implementation of the Nimbkar Committee recommendations and if necessary to have the whole thing examined by Mr. Justice Vindhyawasini Prasad, of the Allahabad High Court, or another person of an equal authority."

इसके बाद दूसरा अंश है---

"Asked as to when the Government proposed to take up the matter of the examination of the Nimbkar Committee recommendations by Mr. Vindhyawasini Prasad or a person of equal authority, Mr. Sampurnanand replied: "It is not possible to give a definite date. In any case, Mr. Vindhyawasini Prasad must first be allowed to finish the important work he is doing in connection with last year's bonus. In the meantime, the necessary preliminary examination will have to be done departmentally."

तो निम्बकर कमेटी के संबंध में माननीय श्रम मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री का जो उस समय का वायदा है वह पूरा होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख रख रहा हूं और अमेंडमेंट्स आये हैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नारायणदास जी से मेरी पूरी हमदर्दी है। उन्होंने जो अमेंडमेंट दिया है उसे सरकार स्वीकार करती तो मुझसे बढ़कर खुशी और किसी को नहीं होती। उनके संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी का जो संशोधन है वह मैंने जो चौथी डिमांड रखी थी उस पर इम्प्रूवमेंट है और उसे स्वीकार करने में मुझे खुशी होगी। इसके बाद माननीय मोतीलाल जी अवस्थी का संशोधन जो दो रुपया मन गन्ने का दाम किये जाने के बारे में है उसके संबंध में मुझे थोड़ी सी हिचक है। मैं माननीय अवस्थी जी से कहूंगा....

श्री अध्यक्ष---राजनारायण जी का है वह।

श्री मदन पांडेय---श्री मोतीलाल अवस्थी का है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजनारायण जी ने ही उसे पेश किया था।

श्री मदन पांडेय---तो मैं माननीय राजनारायण जी से इस संबंध में निवेदन करूंगा कि यह माननीय सदन १ रुपया १२ आने मन का प्रस्ताव कुछ समय पहले पास कर चुका है। इसलिये यह जो दो रुपये मन का प्रस्ताव है वह उस मांग से कुछ अधिक है। इस दृष्टि से उस पर कुछ सोच विचार की आवश्यकता है। दूसरे यह कि केवल मजदूरों के संबंध में यह डिमांड्स थीं और इसीलिये इसके इसमें रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई थी

यद्यपि यह चाहते हुए भी कि गन्ने का भाव दो रुपये मन हो, लेकिन यदि वह उसे प्रेस करेंगे तो मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। रहा श्री शुक्ला जी का संशोधन, तो उनके अमेंडमेंट का न तो मजदूरों की मांग से कोई संबंध है और न मजदूरों से ही कोई संबंध है। इसलिये उसे स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष जी....

श्री राजनारायण—इनका जवाब अब कौन देगा, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष—नियम यह है कि जवाब देने के बाद भी मंत्री अगर चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन वह तो पहले बोले ही नहीं थे। नियम आप देख लीजिये, फिर भूल जाते हैं।

श्री राजनारायण—अगर वह पहले बोले होते तो हमें कुछ आसानी होती।

श्री अध्यक्ष—वह ठीक है। लेकिन वह बोले नहीं थे।

***श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—अध्यक्ष जी, सदन कल से एक सार्वजनिक प्रश्न पर विचार कर रहा है और यह खुशी की बात है कि ऐसे प्रश्नों पर सदन में विचार हो। यद्यपि सदन की उपस्थिति इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है फिर भी मैं समझता हूं कि माननीय मदन पांडेय जी ने इस प्रश्न को लेकर एक विशेष प्रश्न को उत्तर के लिये उपस्थित किया है जिस उत्तर को प्रदेश के श्रम विभाग को, उद्योग विभाग को ही नहीं, बल्कि इस प्रदेश की सारी जनता को, मजदूरों को चर्चा और दुहाई देने वाले हमारे नौजवान दोस्त प्रताप सिंह जी को और उन सब को देना है और करोड़ों काश्तकारों के परिवारों को देना है जो कि इन मिलों को अपना गन्ना देते हैं। मुझे भरोसा है कि जो कुछ मैं आज कहूंगा इसके प्रति अपना उत्तरदायित्व अपने सामने रख कर कहूंगा जिसकी तरफ मैंने अभी संकेत किया है।

मान्यवर, इस प्रस्ताव में कई चीजें जोड़ दी गयी हैं। उनका जोड़ना स्वाभाविक भी था। मदन पांडेय जी का प्रस्ताव जो था वह मजदूरों तक था। उसके साथ भाई राजनारायण जी ने अपना संशोधन रखा और मजदूर अकेले आगे चले न जायं तो किसानों को भी जोड़ दिया। किसान और मजदूर अकेले कहां जायंगे तो उन्होंने भी इनको बढ़ावा देने के लिये अपना सुझाव दिया। इसके बाद एक चौथा संशोधन इस बात का भी आया कि यह मजदूर और किसान भी आ गये और दूसरे बहुत सारे लोग रह जाते हैं जैसे कन्ज्यूमर। उन सब को मिलाकर ही तो जनता बनती है, तो उन सब को इकट्ठा कर दिया और उन्होंने शुगर उद्योग के नेशनलाइजेशन के प्रश्न को इसी प्रश्न से सम्बद्ध कर दिया। मदन पांडेय जी के लिये यह परम्परानुकूल स्वाभाविक ही था कि वह किसी व्यक्ति के दिल को तोड़ने की बात, यदि कर्तव्य ऐसा करने को उद्यत भी करे, तो शायद नापसन्द करते हैं। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं कर्तव्य को पूरा करने में यदि किसी भाई को दुख भी पहुंचे तो उनके दुख से हमदर्दी रखता हुआ अपने कर्तव्य को पूरा करने की बात को सही समझता हूं और यही मुझ को करना है। इसलिये सब बातों को सोच-विचार कर देखा और मदन पांडेय जी ने अन्ततोगत्वा अपने प्रस्ताव की शब्दावली में इन सब संशोधनों को स्वीकार कर लिया। इसलिये मान्यवर, एक-एक बात की तरफ, जो प्रश्न उठाये गये हैं, आने के पहले मैं एक, दो आम बातों को कहना चाहता हूं जो कि सदन में कही गई हैं।

एक बात यह कही गई और इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि इस माननीय सदन ने गन्ने के दाम तय करने का जो प्रस्ताव पास किया था— १ रुपया १२ आने मन उसको इस सरकार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और स्वीकार ही नहीं बल्कि काफी इसके खिलाफ शोरगुल भी किया। कहा गया कि सरकार के सूचना विभाग ने दीपनारायण मणि जी से लिखाकर कोई परचा छपवाया और यही नहीं बल्कि आखिर में यह भी कह दिया कि हम साकार लाचार हैं

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

और यह दाम जो गन्ने को मिल रहा है वह मुनासिब है। बहुत बड़ा वजन इस बात पर दिया गया कि इस माननीय सदन के फैसले का यहां विरोध हुआ जो कि अप्रजातान्त्रिक है। इस सिद्धांत को मानने में, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सदन में जो चीज निश्चय हो उस पर डटे रहने की सब लोग परम्परा कायम करें, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

यह सब चीजें उस तरफ से आईं--चन्द्रजीत जी यादव की तरफ से--जिनके विचारों के सम्बन्ध में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। प्रजातन्त्र को बल देने की परम्परा की तरफ उनका भी दृढ़ विश्वास होता चला जाता है यह जानकर कुछ सन्तोष तो हुआ लेकिन मान्यवर, भेद इसमें इतना है कि एक प्रस्ताव हुआ। उस प्रस्ताव को माननीय राजनारायण, माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय मदन पांडेय, माननीय गेंदासिंह सब पसन्द करते हैं कि गन्ने के दाम १ रुपया १२ आना हो। पहला प्रस्ताव जो कुछ भी रहा, आप सब ने उस प्रस्ताव को पसन्द किया था। उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जरा भी इधर से या उधर से कम ज्यादा की बात नहीं थी। सब ने उसको पसन्द किया और उत्तर प्रदेशीय सरकार के उस प्रस्ताव को कार्यान्वित न करने की इच्छा नहीं थी लेकिन जिन परिस्थितियों पर, माननीय मुख्य मंत्री जी प्रकाश डाल चुके हैं, उन परिस्थितियों में हम नहीं कर सकते हों।

सूबों के गन्ने का दाम केन्द्रीय सरकार तय करती है। यह सरकार माननीय सदस्यों की भावना को उचित स्तर पर समय-समय पर अपनी आवश्यकताओं के साथ केन्द्रीय सरकार को अवगत कराती रही है। यह भी सब को मालूम है कि बुद्धि का खजाना, हम ऐसा नहीं मानते हैं, कि अन्तिम शब्द इस सदन के पास है, या मेरे भाई राजनारायण जी के पास है या चंद्रजीत यादव जी के पास है। मैं ऐसा मानता हूं कि अपने स्तर पर हमने अपनी बुद्धि लगायी और प्रश्न का एक हल निकाला, लेकिन विभिन्न स्तरों पर अन्य प्रश्नों के साथ जो बातें सामने आयीं उनको देखकर उन्होंने उस मामले को एक ढंग से हल किया, तय किया। हमारी नीयत में उनको शुबहा नहीं और न हमको उनकी नीयत में शुबहा है, लेकिन यह देखने की बात है। मैं जिस प्रश्न को छेड़ रहा था वह यह कि वास्तव में क्या चन्द्रजीत जी या राजनारायण जी इस सदन के निश्चयों का आदर करना चाहते हैं या नहीं। अब तक तो यहां यह हुआ है कि हमारे बनाये हुए कानूनों को निकम्मा कह कर, इस सदन द्वारा पारित प्रस्तावों को निकम्मा बता कर, जो चर्चायें की गयीं, जो हड़तालें की गयीं, और सत्याग्रह के नाम पर उनको तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने रखा गया वह सब क्या जनतांत्रिक प्रणाली के अनुसार, अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने के लिये किया गया है? इस प्रकार का जो कई बार स्वरूप रचा गया, और उसके रचने में भाई राजनारायण जी तो दत्तचित्त रहते ही हैं, उनको मैं क्या कहूं, वे तो प्रवीणतम हैं इस कला में, लेकिन कुछ ऐसे विद्वानों के मुंह से आज ये ऐसी दलीलें आयीं कि जिनके जीवन की मान्यताओं में इन बातों की कोई मर्यादा नहीं कि सदन ने क्या किया, क्या तय किया। तो ऐसे भाई यदि इस सदन के निश्चय के नाम पर सदन में हम पर लांछन और कटाक्ष करें तो यह कहांतक उचित होगा। मेरे नजदीक तो वह कुछ मुनासिब नहीं है। हम अपने कर्तव्य का पालन करने में जब चूके होते, जब हमने इस माननीय सदन की भावनाओं को उस स्तर तक न पहुंचाया होता, जो निश्चय करता है गन्ने के मूल्य का। हमने वह किया और यदि हम अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरा करते हुए दूसरों को नहीं समझा पाये तो मानना चाहिये कि दूसरे स्तर पर जो चीज तय हुई है, उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी बात को निभाया।

एक बात और है जो मैं कह देना चाहता हूं। अगर बुनियाद इस बात पर खड़ी की जाय कि इधर के बैठे हुए सब लोग बेईमान हैं, इधर की बैठी सरकार निकम्मी है तो फिर बहस की गुंजायश नहीं रहती। लाचारी हो जाती है और कल जो तर्क दिये गये उन में बड़ी ध्वनि इस बात की आती है। दूसरी बात यह थी कि चुनाव फंड इस सरकार की पार्टी के पास कहां से आता है, विरोध का खयाल है कि बोनस का पैसा काट लेते हैं और चुनाव का खर्च इकट्ठा करा लेते हैं। चुनाव आखिर सब लड़ते हैं, राजनारायण जी भी, प्रतापसिंह जी भी और मदन पांडेय और

शिब्बन लाल जी भी। मैं भूल गया। मैंने गलती की उस महान् पुरुष का नाम लेकर जो अपने बराबर किसी को नहीं मानना चाहता और इस बात का दावा करता है कि वह अनोखे ही हैं। पर शेष लोगों से मैं पूछता हूं कि हम तो पैसा लेते हैं मिल मालिकों से, तो माननीय चन्द्रजीत जी के पास भी हो सकता है कि कहीं और से भी पैसा आता हो। सभी लोग तो पैसे से ही चुनाव लड़ते हैं। हम तो उन से पैसा लेते हैं कि जिनके पास पैसा है, लेकिन उधर के लोग कहां से पैसा लाते हैं यह जानने की बात है। हमने चवन्नी और अठन्नी इकट्ठी कीं और हम दावे से कह सकते हैं कि हमने उस पैसे से चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे जो दोस्त उधर बैठे हैं क्या अपने दिल पर हाथ धर कर, अपनी पार्टी के ईमान को साथ लेकर कह सकते हैं कि पूंजीपतियों के दरवाजे सब के लिये खुले होते हैं या नहीं? सामने का दरवाजा अगर कांग्रेस के लिए खुला हुआ है तो पीछे का दरवाजा दीपंकर जी के लिये भी जरूर खुला हुआ है। क्यों न हो? पैसा तो पैसे वाले के पास से ही आयेगा।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

हां मुझे यह परम्परा ज्ञात हुई कि चुनाव में अधिक पैसा नहीं खर्च किया जाय। मैं स्वीकार करता हूं कि यह ठीक है लेकिन चुनाव का हिसाब देने के सम्बन्ध में भी हम लोग जितना पैसा खर्च करते हैं, तो क्या कभी-कभी उस पर भी मैं नहीं जानता कि कौन साहब हैं वे, लेकिन कइयों के सम्बन्ध में तरह-तरह के शब्द इसी सदन में उपस्थित किये जाते हैं। तो इसलिये यह स्पष्ट है कि जहां तक पैसे का सवाल है हम इससे इन्कार नहीं करते कि हमने चीनी मिल मालिकों से या मजदूर यूनियनों से पैसा चन्दे की शक्ल में मांगा।

कांग्रेस की संस्था हमेशा से पीपुल्स की रिप्रेजेन्टेटिव रही है, सब तबकों ने इसको बढ़ावा दिया है और सब तबकों के आपसी भेद-भाव को मिटाने के लिये जो कंसीलिएटरी पालिसी होनी चाहिये, जो रिजाल्व होना चाहिये, जो ढंग होना चाहिये वह हमने अपनाया। उस ढंग को कोई गलत बता सकता है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बार-बार इसका चर्चा करना और कहना कि सरकार की पार्टी नें चीनी मिल मालिकों से ३ करोड़ रुपया लिया---शायद उग्रसेन जी या भाई राजनारायण जी ने आंकड़ा भी दे दिया और इस बात की चर्चा की कि यही कारण है कि हम चीनी मिल के मजदूरों के दुश्मन हैं, यह सत्य के बिलकुल परे और बेसलेस ऐलीगेशन है। हमने मजदूरों को जो दिलाया है वह उत्तर प्रदेश के मजदूर जानते हैं। यह कोई मेहरबानी नहीं की, बल्कि यह तो मौसम की आवाज थी, दुनिया की बदलती हुई मान्यताओं का तकाजा था। जिन वादों को लेकर हम लड़े थे, हम आज भी अपने ध्येय को नहीं भूल सकते चाहे हमारी कोई बात पूंजीपति को लगे, जमींदारों को लगे या बड़े-बड़े किसानों को लगे जो बड़ी-बड़ी खेती लेकर अपनी थाती जमाये बैठे हैं। हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं। हमारा काम करने का ढंग ऐसा है कि सारे लोग राष्ट्रीयता की भावना से आकर कांग्रेस को चन्दा देते हैं और काम में, हर चीज में शामिल होते हैं, तो उधर जलन क्यों होती है? लेकिन वाकयात उस जलन को तबदील करने में कामयाब होने वाले नहीं हैं। वाकयात यह हैं कि जो भी पैसा हम लेंगे, कानून का गला घोंट कर, अत्याचार करके या भूल कर चन्दा वसूल करने की परम्परा न हमारी रही है, न रहने वाली है। हम हर एक को उसके अधिकार दिलाने में कायमयाब हुए हैं और होते रहेंगे। यह जरूर है कि मंजिल का किनारा पहुंचा नहीं, रास्ता लम्बा है, लेकिन हमारी प्रगति उधर है।

माननीय प्रताप सिंह के दिल में जो आग है उसकी मैं कद्र करता हूं, मदन पांडेय जी के दिल में जो आग है उसकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मनुष्य का जब से जन्म हुआ तब से आज तक मनुष्य के चाहने मात्र से कभी काम नहीं हुआ। देवताओं का चाहने मात्र से काम होता रहा लेकिन राक्षस उनको बराबर तंग करते रहे। मनुष्य को तो अपनी हिम्मत पर, मेहनत पर, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना चाहिये और उन्हीं के द्वारा मनुष्य

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

हमेशा ऊपर उठता गया। अंग्रेजी की वह कहावत है—"रोम वाज नाट बिल्ट इन ए डे", हमारे सामने रहती है। राष्ट्र चाहने से नहीं बनते, मेहनत से बनते हैं और मेहनत हर शख्स को करनी होगी। हमको इस सदन में, मजदूर को कारखाने में, किसान को अपने खेत पर, सब को मेहनत करनी होगी और तब उस बढ़ती हुई दौलत का बंटवारा सही होता रहे, यह हम सब को बराबर ध्यान से देखना होगा।

इस सम्बन्ध में इतनी बात और कह दूं कि जहां तक यह कहा जाता है कि कांग्रेस की कोई बुनियादी नीति थी जिसकी दुहाई यह कह कर दी जाती है कि किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की सदारत में करांची में कान्फ्रेंस हुई और फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पास हुआ और बेकार रह गया। मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वह संविधान की वे धाराएं रही हों जिनको प्रताप सिंह जी और दूसरे भाइयों ने पढ़ कर सुनाया, चाहे हमारे द्वारा पारित अधिनियम गरीबी को मिटाने के लिये सब में वह ध्वनि मिल जाती है जिसको कि हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसद में घोषित किया और आज भी करते हैं। आज भी हम उसी ध्येय को सामने रख कर बढ़ रहे हैं। यह जरूर है कि हमारे प्रदेश के मजदूरों को आज जो वेतन मिल रहा है वह लिविंग वेज नहीं है, लेकिन एक बात मैं आप से पूछूं कि लिविंग वेज किस देश में मिल रह है? अगर उसकी चर्चा हम करें तो इस नतीजे पर आओगे कि वह मिराज है, उसको पकड़ने से कुछ हाथ नहीं आता। हां, प्रगति अवश्य हो जाती है। लेकिन यह नहीं कि हम उस ओर बढ़ेंगे नहीं, हम उस तक जाने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। इसलिये बढ़ेंगे कि लिविंग वेज के पाने की इच्छा प्रगति की ओर ले जाती है, प्रगति को बुलावा देती है, दावत देती है आगे बढ़ने के लिये, इसलिये हम आगे जायंगे। लेकिन अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट मत है कि कोई देश चाहे कितना ही एडवान्स्ड क्यों न हो जैसे अमरीका जहां कि २२ रुपया फी घंटा तक मजदूरी है, रूस जहां के सम्बन्ध में नाना प्रकार की धाराणायें गाई जा सकतीं हैं और मेरे कुछ दोस्त रोज गाया भी करते हैं, वहां भी बहुत काफी मजदूरी मिलती है लेकिन लिविंग वेज का स्टैंडर्ड अमेरीका और रूस वाले भी अपने यहां आया स्वीकार नहीं करते हैं। लिविंग वेज का मतलब है कि कम्पलीट फिजिकल डिमान्ड्स पूरी होनी चाहिये और अगर इन डिमान्ड्स का सिलसिला लगाया जाय तो वह कभी पूरा नहीं हो सकता।

अभी हम अपने यहां एक मजदूर को एक कमरा, एक बाथ रूम और एक किचिन देने को तरसते हैं लेकिन अगर यह पूरा हो जाय तो सवाल आयेगा कि एक स्लीपिंग रूम होना चाहिये और फिर ड्राइंग रूम होना चाहिये और अगर वह भी हो गया तो फिर यह होगा कि एयर कन्डीशन्ड कमरे होने चाहिये और फिर ऊपर जाने के लिये लिफ्ट होना चाहिये और फिर आगे यह होगा कि काम पर जाने और आने के लिये मोटर होनी चाहिये। तो लिविंग वेज का तात्पर्य जीवन की नीड्स के सिलसिले में होता है जो न कभी पूरा हुआ है और न पूरा होगा। अनडेवलप्ड कन्ट्रीज में लिविंग वेज को दिलाने की चेष्टा करना, आज के इस आर्थिक ढांचे में हमारे देश में औसत आमदनी की जो इकाई है उसको मद्देनजर न रखकर लिविंग वेज दिलाने की चेष्टा करना—मिनिमम वेजेज की मैं बात नहीं करता—मैं समझता हूं कि देश के सारे आर्थिक हथियारों को कुंठित कर देगा। यही नहीं, आज देश में जो चर्चा है कि श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर हो, यह उसको समाप्त करने का कार्य करेगा, यह उस मुर्गी का पेट चीर डालना होगा जो कि एक सोने का अंडा रोज देती है। दौलत पैदा होती है, दौलत लगती है, और फिर दौलत पैदा होती है, उसका फैलाव होता है, वह मौका देती है जीवन को ऊंचा ले जाने के लिये। तो इसीलिये मैं सदन के सम्मुख स्पष्ट करना चाहता हूं कि लिविंग वेज आज दिला नहीं सकते, इसलिये दिलाना नहीं चाहते क्योंकि लिविंग वेज दिलाने की चेष्टा करना उद्योग के फैलाव को बन्द कर देना है, कन्ज्यूमर की शक्ति पर एक अनायास ऐसा बोझ डालना है जो कि वह उठ न सके। इसलिये उसको दिलाने की तरफ हम कदम नहीं बढ़ा सकते, न बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बीच की जितनी चीजें हैं उनकी तरफ हमारा दिल और दिमाग नहीं है।

दूसरी चीज जिसको मिनिमम वेज कहते हैं उसके सम्बन्ध में हमारे सारे अर्थशास्त्रियों ने यह माना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसलिये उसके प्रति खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उसके जो कैलकुलेशन्स हैं, जो गणना है, जो जोड़-घटाना है उसके लिये अपनी-अपनी रायें हो सकती हैं कि २२ सौ कैलोरीज चाहिये या २५ सौ इसमें फर्क हो सकता है, १८ गज कपड़ा चाहिये या ८ गज कपड़ा चाहिये, इसमें भी फर्क हो सकता है, केले के पत्ते पर भोजन करते हैं या थाली में, इस पर भी दो राय हो सकती हैं। यह सारे सवाल ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट रीजनल होता है। हमारे जैसे विशाल देश के लिये सारे देश में एक मिनिमम वेज स्थापित भी नहीं की जा सकती है और न स्थापित करनी चाहिये और न स्थापित करने की आवश्यकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के चीनी मिल के मजदूरों की हालत क्या है, उस ओर मैं थोड़ी देर में आऊंगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इस सदन में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि आई० एन० टी० यू० सी० बड़ा खतरनाक जानवर है, इसी के कारण सारे गड़बड़ है, इसको निकाल दिया जाय फिर देखिये कि किस कदर मजदूरों की तन्ख्वाह बढ़ती है, कितना उनको सुख मिलता है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं I. N. T. U. C. का सेवक रहा हूं। मुझे इसका गर्व है। आई० एन० टी० यू० सी० से मेरा सम्बन्ध वही रहा है जो मां से और पुत्र का रहता है। लेकिन मुझ को यह बात कहने में जरा भी हिचकिचाहट न होगी कि अगर आई० एन० टी० यू० सी० के मरने से देश का कल्याण होता है, या हम सबके मरने से भी देश का कल्याण होता है, तो मुझे उस पर दुःख न होगा, इसलिये कि उससे देश का भला होगा। अगर आई० एन० टी० यू० सी० के हट जाने से मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ जायं, अगर ऐसा कोई अर्थशास्त्री हमें बता देगा, अगर उसके हटने से मजदूरों की मर्यादा और सुरक्षा बढ़ती है, अगर ऐसा कोई अर्थशास्त्री हमें बता देगा या और कोई दूसरे भाई समझा देंगे तो हमें दूसरी संस्था को उसके स्थान पर लाने में कोई रुकावट न होगी।

I. N. T. U. C. के सम्बन्ध में २–३ बातें कही गयीं। मुझे अफसोस है कि यह काम मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि इनटक (आई० एन० टी० यू० सी०) का कोई महान साथी इस सदन में नहीं है, तथा मजदूरों के बीच में जो काम करने वाले हैं उनमें से केवल एक या दो साथी इधर या उधर दिखायी पड़ते हैं, यह हमारी बदकिस्मती है। इनटक के सम्बन्ध में एक बात यह कही गयी कि यह वह संगठन है जो पूंजीपतियों के सपने पूरे कर रहा है और माननीय उग्रसेन जी ने यह भी कह डाला कि इसको दिल्ली में बनाया गया था, जैसे दिल्ली कोई हिन्दोस्तान के बाहर हो, दिल्ली में जैसे मजदूर रहते ही न हों। मानों कि दुनिया के मजदूरों के खिलाफ एक अड्डा दिल्ली में हो। जिस तारीख में यह इनटक बनी उस तारीख में वहां कौन-कौन साथी बैठे थे? उस दिन आचार्य कृपलानी बैठे थे, हमारे देश के परम भक्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, स्वर्गीय हरिहर नाथ शास्त्री बैठे थे, जिनके जीवन के उतने साल मजदूरों की सेवा करते बीत गये थे जितनी हमारी और माननीय मदन पांडेय जी की उम्र है। एक श्री खांडू भाई देसाई थे तथा इसी प्रकार के और भी साथी थे जिन्होंने इस इनटक को बनाया था। उन्होंने बैठ कर इस संस्था को जन्म दिया। उन्होंने बैठकर उस खतरे को महसूस किया जो माननीय चन्द्रजीत जी यादव के दल से लोगों को हो रहा था।

इतिहास हमें इस बात को बताता है कि हमारे देश के मजदूर आन्दोलन को, राजनीतिक कारणों से, एक पार्टी विशेष के पंजे में बांधने की चेष्टा की गयी। जब देश स्वतंत्रता की लड़ाई में फंसा हुआ था उस वक्त दिल्ली के बादशाही सल्तनत के दरबार में मजदूरों के साथ एक खिलवाड़ किया गया था। इस कुचक्र में मजदूरों का दम घुट रहा था। वे अपने भारतीय ढंग से रहना चाहते थे लेकिन उनको उससे रोका जा रहा था। उनका कदम कुंठित हो रहा था, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह चारों दिशायें पुकार-पुकार कर कह रही थी। उस दशा में हमने उस संगठन को बनाया और उस दृष्टि से बनाया जो बापू ने हमको दी थी। जिसको स्वीकार करने में माननीय राज नारायण जी, प्रजा सोशलिस्ट भाई और मदन जी पांडेय को कोई एतराज

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

न होगा। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार इनटक आगे बढ़ी। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह इनटक कांग्रेस की संस्था नहीं थी और न कांग्रेस की संस्था है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। वह भारतीय मजदूरों की एक संस्था है जो कांग्रेस के आम तौर पर राजनीतिक विचारों से सहमत है। इसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। १९५४ तक बंगाल सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री, हमारे साथी, आई० एन० टी० यू० सी० की वर्किंग कमेटी में थे।

अब एक बात यह कही गयी कि हम आई० एन० टी० यू० सी० को ही क्यों मानते हैं ? उसके कारणों पर अब मैं विचार करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में शुगर मिल के मजदूरों के ही नहीं बल्कि सब मिल मजदूरों के अपने-अपने संगठन हैं। इन संगठनों का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक कारणों से अलग-अलग लोग अपना-अपना बीणा बजाते हैं। बजावें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हर बाजे की ध्वनि साल के अन्त में हमारे रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के यहां पहुंच जाती है। अब यह कहा जाय कि आई०एन०टी०यू०सी० को क्यों मानते हैं, तो मेरी दावत है उन लोगों को जो ऐसा कहते हैं कि आई०एन०टी०यू०सी० से जो ऐफिलियेटेड यूनियन्स हैं उनको आप उसमें से अलग करा दीजिये कि वे उसके साथ न रहें, तो कोई झंझट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास जो फीगर्स हैं उन फीगर्स के मुताबिक और जो रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के फीगर्स हैं उनके मुताबिक आई०एन०टी०यू० सी० के शुगर फेडरेशन की सदस्य संख्या ४०,००० से कुछ ऊपर है और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन फेडरेशन की सदस्य संख्या ८,०२२ है। इसके अलावा कुछ ऐसी संस्थायें भी हैं जिनका किसी से सम्बन्ध नहीं है और उनकी सदस्य संख्या १४,००० है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो भी उनकी सदस्य संख्या २२,००० के करीब होती है। अब सोचने की बात है कि जब आई०एन०टी० यू०सी० की सदस्य संख्या ४०,००० है तो २२,००० के मुकाबिले में उसे मान्यता क्यों न दी जाय ?

श्री मदन पांडेय जी को यह पसन्द नहीं है और वे कहते हैं कि वोटिंग बाहर करायी जाय। वोटिंग बाहर कराने का प्रश्न इंडियन लेबर कांफ्रेंस के सामने तीन बार आ चुका है। उस कांफ्रेंस में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कुछ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन्स के प्रतिनिधि भी बैठते हैं। उसमें केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं। वहां जब यह प्रश्न आया कि वोटिंग के आधार पर मान्यता प्रदान की जाय तो इस प्रस्ताव को पी०एस०पी० ने नहीं माना, हिन्द मजदूर सभा ने नहीं माना, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने नहीं माना। हां, केरल में जो एक चन्दरोजा सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी उसकी तरफ से भी यह प्रस्ताव आया था और उस पर नैनीताल में बैठ कर सभी ने ठंडे दिल व दिमाग से निर्णय लिया कि बाहर वोटिंग न करा कर मेम्बरशिप के आधार पर ही यूनियन को मान्यता प्राप्त होनी चाहिये। क्योंकि ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट के लिये यही सबसे अच्छी जनतांत्रिक प्रणाली है चाहे मेम्बरशिप के लिये पैसा दिया जाता हो या न दिया जाता हो। पर ऐसे तत्वों को यूनियन के मामले में दखल देने का अधिकार हो यह अनुचित ही नहीं अन्याय पूर्ण होगा। साफ बतला दूं कि इस प्रदेश के अन्दर इंडियन लेबर कांफ्रेंस ने नैनीताल में तो अब यह निर्णय लिया है कि मेम्बर यूनियन को बराबर पैसा देते रहें और गुड पेमेंट करने वाले मजदूरों की यूनियन को ही मान्यता दी जाय, तथा वे बराबर रेगुलर पेमेंट करते रहें, इसके लिये एक कानून बना दिया जाय कि हर मेम्बर ४ आना महीना यूनियन को बराबर देता रहे ताकि मजदूरों को अपने आन्दोलन के लिये पैसे के सम्बन्ध में दूसरे का सहारा न लेना पड़े और वे अपने पैसे से ही अपने आन्दोलन को खड़ा कर सकें। अभी हाल ही में क्या एक डेढ़ महीने पहले मद्रास में जो इंडियन लेबर कांफ्रेंस हुई थी तो वहां पर श्री डांगे के सुझाव पर फिर वोटिंग के प्रश्न पर विचार हुआ और वहां इस बात को स्वीकार किया गया कि वोटिंग से मान्यता का प्रश्न हल नहीं होगा। रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन से यदि मांग की गई तो इस सवाल को देखेगा और वह एक दूसरे को बैठा कर जांच करेगा कि किसकी कितनी मेम्बरशिप है।

श्रीमन्, डेढ़ दिन से होने वाली इस बहस का जवाब ३५ मिनट में देना तो बड़ा मुश्किल है, बहरहाल मैं खास तौर से राजनारायण जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पारसाल मोदीनगर में एक झगड़ा हुआ और वहां की एक यूनियन ने लिख कर भेजा कि हमारे ६०४ मेम्बर हैं। इस बात का निश्चय करने के लिये रजिस्ट्रार मोदीनगर खुद गये और उन्होंने दोनों यूनियन के प्रतिनिधियों को आमने-सामने बैठा कर बातचीत की। कोई किनारे या कोने में बात नहीं की, बिलकुल आमने-सामने बात हुई और इसके फलस्वरूप आई० एन० टी० यू० सी० की सदस्य संख्या १,८००निकली और जो यूनियन ६०४ सदस्यों की होने का दावा करती थी उसके केवल १३८ सदस्य ही रह गये। अब क्या किया जाय? पहले आप साबित तो कीजिये कि आपकी सदस्य संख्या अधिक है। एक तरफ खजाना खाली हो और दूसरी तरफ आप खर्च दिखलावें और आमद भी दिखलावें तो यह कैसे सही हो सकता है? मैं नहीं जानता कि यह कैसे किया जा सकता है लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं। हमारे पास सभी यूनियनों के आंकड़े आते हैं।

एक माननीय सदस्य ने तो कह दिया कि आई० एन० टी० यू० सी० को सारा पैसा मिल मालिक दे देते हैं। अगर ऐसी बात हो तो आप हमारे पास सबूत लावें, हम उसे देखेंगे। साबित करिये तो मान भी लें। लेकिन आई० एन० टी० यू० सी० को और उस के शुगर फेडरेशन को हम कैसे मानते हैं यह बता दूं। उनकी मेम्बरशिप सब से ज्यादा है, उसको यूनियनों के पास सब से अधिक पैसा है, जब कि दूसरी यूनियनों को अगर आप देखें तो किसी के पास दस रुपया और किसी के पास सौ रुपया और किसी के पास तो एक आना भी नहीं है। जिस को हम मानते हैं वह दस साल में कहां से कहां पहुंची है, यह देखना चाहिये जिस के पास हजारों रुपया फंड में है उस को श्री मदन पांडेय जी रद्दी संस्था मानते हैं। यह उन का नया दृष्टिकोण बनाने का ढंग है और उनकी कोशिश है। जब उनकी संस्था का कोई ४ आने महीने का भी यकीन नहीं करता तो क्या कभी भी कोई ५५ रुपया महीने की रकम का काम हाथ में देगा? वह कभी मंजूर नहीं करेंगे कि आप की संस्था मजदूरों की बात तय करे। हम आई० एन० टी० यू० सी० को मानते हैं, उसके पास जो दस साल में मजदूरों ने चन्दा देकर पैसा जमा किया है वह उस की ६९,००० रु० की सुरक्षित धनराशि है जबकि दूसरे फेडरेशन पर २,००० रु० भी नहीं है। मदन पांडेय का कहना है कि श्री शिब्बनलाल को चीनी मिल मजदूरों के साथ बड़ी हमदर्दी है, लेकिन श्री शिब्बनलाल सक्सेना जब दिल्ली जाते हैं तो उनका दफ्तर भी दिल्ली चला जाता है और जब वह रूस जाते हैं तो दफ्तर भी रूस चला जाता है, इस तरह हजारों बार इधर से उधर आता जाता रहता है, उनकी मूविंग ही यूनियन है, मूविंग ही उनका आफिस है, इस तरह की चलती फिरती यूनियनों को हम मानें यह वह चाहते हैं। पिछले सेन्सस की बात कही गई और कहा गया कि अब फिर वोटिंग करा ली जाय। पिछली बार आई० एन० टी० यू० सी० वालों ने भी कहा कि वोटिंग करा दें। और सरकार को दोनों दलों ने एग्रीमेन्ट दे दिया कि वोटिंग करा ली जाय। श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने भी कहा कि करा दीजिये और श्री काशी नाथ पांडेय ने भी कहा कि करा दीजिये। यू० पी० सरकार ने कभी इन्कार नहीं किया, आज भी हम इन्कार नहीं करते कि जिस तरह से मजदूरों और मालिकों के बीच में समझौता हो जाय, हम उसका स्वागत करते हैं उसी तरह दो परस्पर विरोधी यूनियन समझौता हमारे पास लायें लेकिन हमारी यह राय है कि वोटिंग के द्वारा यह चीज नहीं आंकी जा सकती।

श्री मदन पांडेय--हम ने सन् १९५६ से कहा.....

श्री अधिष्ठाता--आप इस तरह से डिस्टर्ब न करें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--एक बात यह कही गई कि हमारे यहां मजदूरों के वेतन-क्रम बहुत पुराने हैं और कम हैं। मैंने माननीय प्रताप सिंह जी से कहा था कि वह किताब जिस से पढ़कर वह ऐसा कहते हैं वह बहुत पुरानी हो गई है, मैं उन के पढ़ने को कद्र करता हूं। मैं उन्हें

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुण]

नई किताबें पढ़ने को दे सकता हूं उन से वह अपनी जानकारी को जरा ताजा कर लें। मेरा ही यह कहना नहीं है बल्कि निम्बर कमेटी ने भी इस बात को माना है कि चीनी मजदूर क्या परसेन्टेज हमारे यहां पाता है और क्या उस का हिस्सा है। सन् १९४८ में यू० पी० के मजदूर का हिस्सा था। २७·२ प्रतिशत टोटल आउटपुट का, यह परसेंटेज सन् ५३ में बढ़कर ३३·२९ प्रतिशत हो गया। इसको वह कहते हैं कि हमारे यहां मजदूरों का बोनस कम है और वेतन कम है जबकि इस तरह से मजदूरों का आउटपुट में हिस्सा बराबर बढ़ा है। मैं उनको बता दूं कि सन् १९४६ में जो मजदूर २२ रुपया ८ आना पाता था, वही अब १०५५ रुपया मिनिमम वेज पाता है और कहीं-कहीं तो ६१ रुपया और ६३ रुपया मिनिमम वेज है, माननीय प्रताप सिंह के रास्ते में बहेड़ी मिल पड़ती है वहां पर भी ६३ रुपया मासिक मिनिमम वेज दी जाती है। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि इस तरह से वह पुराना किस्सा बताना उचित नहीं है जबकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं।

अब मैं और प्रदेशों के मुकाबिले की बात भी साफ कर दूं। बिहार में सन् १९४८ में यही प्रतिशत २६·७ था और सन् १ ५३ में वह २३.२२ हो गया बम्बई में वह सन् १९४८ में था १०.६७ और सन १९५३ में वह हो गया १४.७१। मैं किसी से मुकाबिला नहीं करता, जहां कम दिया जाता है, वह कम दें। न मैं क्रिटिसाइज ही करता हूं, हम यह जरूर चाहते हैं कि हम अपने यहां ३३ प्रतिशत से भी ऊपर मजदूर के हिस्से को ले जायं लेकिन मैं इ ना अवश्य कहना चाहता हूं कि यू० पी० कोई अलग देश नहीं है वह भी देश का एक हिस्सा है। इसलिये इस बात का खयाल रखना पड़ता है कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में हमारी मजदूरी की लागत और दूसरे खर्चे क्या हैं इसके बारे में मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शुगर इंडस्ट्री के मिल-मालिक उन तर्कों को कल मजदूरों के विरुद्ध लगावें। हमारी रिकवरी, हमारा ड्यूरेशन और हमारी ड्यूमीडिटी शुगर उद्योग के खिलाफ है। इसलिये पिछले पांच–छः साल में जो कोआपरेटिव या इंडिवीजुअल शुगर मिल्स इस देश में लगी हैं वह ९० परसेंट दक्षिण में जा रही हैं। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया हमें देने से इन्कार करती है।

कहा गया कि गन्ने का दाम १ रुपये ७ आना हो गया। पहले १ रुपये १२ आना था। चीनी सस्ती पर थी जब चीनी का दाम बढ़ा तो गन्ने का दाम १ रुपया ७ आना हो गया। एक्साइज ड्यूटी और शेष २ रुपये १२ आने से लेकर १० रुपये ४८ नया पैसा तक पिछले तीन–चार साल में बढ़ा है जिसकी वजह से पड़ता वैसा नहीं रहा जैसा कि रहता था। इस बात का खयाल ही नहीं किया गया एक चीज, मान्यवर, और कही गई और वह यह कि ....

श्री अधिष्ठाता—आप कितना समय और चाहते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—दस मिनट और दे दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मुझे एतराज है।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी पालिसी बता रहे हैं। दस मिनट और दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—दस मिनट और दिये जाते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—कहा गया कि एडजुडीकेशन में आई०एन०टी० यू० सी० के बहुत केस भेजते हैं। श्रीमन्, जरा फिगर्स की ओर ध्यान दें। सन् १९५७–५८ में आई० एन०टी०यू०सी० ने जो मुकदमें दायर किये उनमें से ५०.१ परसेंट रेफर किये गये, हिन्द मजदूर सभा के ४५.५ परसेंट, ए०आई०टी०यू०सी० के ३२.५ परसेंट और यू०टी०सी०के ३४.६ परसेंट। इतने तो हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं इसके सिवा भी बहुत सारे लोग रहे होंगे। जो अपना पूरा भेद बतलाते नहीं, उनकी फिगर्स भी दी जायं तो ए०आई०टी०यू०सी० की फिगर्स बहुत बढ़ जायगी। तब पक्षपात कैसा ? हां, हमने पक्षपात किया आई० एन० टी० यू० सी० की तरफ

इतना कि आई०एन०टी०यू०सी० ने चीनी मिल मजदूरों का संगठन बनाया जबकि उनकी हालत सन् ४५–४६ में दयनीय थी, मालिक आलू, बैंगन की तरह मजदूरों को खरीदते थे, बेचते थे, कोई स्टैंडिंग आर्डर्स नहीं थे, कोई कैजुअल लीव और सिक लीव नहीं थीं, कोई क्वार्टर्स नहीं थे, कोई फैसिलिटीज नहीं थी। उन सारे मामलों में I. N. T. U- C. के आन्दोलन से तरक्की मिली है। हम ने उसे खोया नहीं। मजदूरों को न केवल रोजी का संरक्षण मिला बल्कि उनके वेतन-क्रम में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई, उनकी छुट्टी के साधन मिले, बीमार होने में दूसरी चीजों के साधन मिले। इसके अतिरिक्त चीनी मिल के फेडरेशन के मातहत चीनी मिल के मजदूरों ने ऐसी चीजें भी पाई हैं जो किसी दूसरे फेडरेशन को नहीं मिलीं। बिजली फेडरेशन से मेरा सम्बन्ध था। कुछ ऐसी चीजें वह नहीं प्राप्त कर सका। जो चीनी मिल मजदूर पा गया। मेरा तात्पर्य यह है कि कैजुअल लीव वहां मिला करती है। क्या तय हुआ I. N. T. V. C. और मिल मालिकों में? तय हुआ कि मिल–मालिक छुट्टी नहीं देंगे तो उसके बदले में पैसा देंगे। हमारे सरकारी कर्मचारियों के फंडामेंटल रूल्स में देखें उसमें लिखा है 'नो लीव कैन बी क्लेम्ड ऐज ए मैटर आफ राइट'। लेकिन चीनी मिल में छुट्टी न देने का अधिकार मालिक को है, फिर भी फेडरेशन ने यह शर्त रखी कि जहां छुट्टी न देंगे तो मिल मालिक पैसा देगा। नतीजा यह है, ८० फीसदी के करीब पैसा ही लिया जाता है, छुट्टी नहीं मिलती।

कहा गया १९५१ के फैसले के मुताबिक बोनस दें। हमारा दुर्भाग्य है कि एक गलत धारा जो चल गई वह आज भी चल रही है। १९५१ के मुताबिक ही बोनस आज भी दिया जाय यह गलत नहीं है। उस समय जो रेट था, क्या रिकवरी थी, कितनी चीनी बेची गई, इन सब बातों को ध्यान में रखकर लेबर अपीलेट ट्रिबुनल ने रेट बनाये। आज भी जो कमेटी बनती है उसके सम्बन्ध में सबसे पहली बात यह है कि वह सर्वसम्मति से बनी कमेटी है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उस पर उसके निश्चयों पर लांछन नहीं लगा सकती, हिन्द मजदूर सभा का प्रतिनिधि उसमें बैठता है, ए०आई०टी०यू०सी० कुछ भी कहे जाय इससे मतलब नहीं, पर हिन्द मजदूर सभा का नुमायन्दे उस समिति में बैठते हैं और एक राय से फैसला होता है और आयन्दा भी ऐसा ही इरादा है। इधर एक ओर प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि मुकदमा अदालत में भेजो। और हमने एक बार ऐसा ही किया, फिर उन तारीखों पर कितने लोग मजदूरों के मुकदमों की पैरवी करने गये, जरा अपने दिल पर हाथ कर देखें। और एक दबाव डाला गया कि समझौता हो। मजदूरों की तरफ से पहले तो मुकदमे में डालने का दबाव भी दिया फिर समझौते की बात की गई। भोला-भाला मजदूर कहने में आ जाता है। पर समझदार लोग जिस बात को एक दफा कहें दूसरी मर्तबा उसी की मुखालफत करें, यह कहां का न्याय है। एक बात आप चाहें हम वह करें, फिर उसी को गलत बतायें यह उचित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—समय का ध्यान रखिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक बात कही गई कि जब आई० एन० टी० यू० सी० को हरा दिया गया था फिर सरकार ने उसे क्यों मान्यता दी। बहुत लम्बा-चौड़ा किस्सा है, उसको कहां तक कहूं, केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि उस समय यह छाप कर परचे बांटे गये 'दो हरे बक्से में वोट-लो ७५ रुपये का नोट'। मजदूरों से कहा गया तुम्हारा वेतन ७५ रुपये होगा यदि प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना को वोट देते हो। एक आदमी भूखा मर रहा है और तुम वोट नहीं देते हो . . . .

श्री मदन पांडेय—फिर आजमाइश करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक बार नहीं बार-बार, आप हमारी आदत को जानते हैं हम आपकी आदत को जानते हैं। भूख हड़ताल के ढंग पर मजदूर आन्दोलन को चलाने की बात का सरकार हमेशा विरोध करेगी। २५ फरवरी, १९५० की यह विज्ञप्ति भेजी गई

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

किसके पास ? प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के दफ्तर में नहीं काशीनाथ पांडे, जनरल सेक्रेटरी, सूर्य प्रसाद अवस्थी, बृजकिशोर शास्त्री केयर आफ हिन्द मजदूर पंचायत, पान दरीबा, लखनऊ—श्री विमल मेहरोत्रा, हिन्द मजदूर सभा, कानपुर । हमने उन्हें चिट्ठियां लिखीं और प्रतिलिपियां भेजीं । जो नामिनेशन कराये गये उसके लिये कहा गया कि बन्दर बांट कर दिया । आप ही इस शब्द का इस्तेमाल करिये, हम नहीं कह सकते कि कोई बन्दर था, सब आदमी ही थे, अपशब्द हम नहीं कह सकते । लोग लड़े, लड़ना अनुचित था । पर वे लड़े। मजदूर आंदोलन से मजदूरों का हित हो यह वे चाहते थे या नहीं, चाहते थे यह मैं नहीं कह सकता लेकिन यह सत्य है कि वे चाहते थे कि मजदूर आन्दोलन वही ठीक चलेगा जो उनके नेतृत्व में रहे । एक आदमी की जिद ने, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, मदन पांडेय जी नाम समझ गये होंगे, इस मजदूर आन्दोलन को ठेस लगाई । बृजकिशोर नहीं चाहते थे, विमल मेहरोत्रा नहीं चाहते थे, काशीनाथ भी नहीं चाहते थे कि उस तरह की ठेस लगे, लेकिन जिस कारण ठेस लगी उसका कभी न कभी इतिहास के पन्नों में जिक्र होगा और जिन्होंने यह किया उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस तरह से क्यों उस आंदोलन की रूप-रेखा बदली ।

एक बात मैं नेशनलाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमको अपने देश में हर चीज का नेशनलाइजेशन का भूत सवार नहीं है, न हमको वह भूत हान्ट ही करता है । हम मानते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में और अगली पंचवर्षीय योजना में, निकट भविष्य में चीनी उद्योग का स्थान निजी हाथों में सुरक्षित रहे । जो नई चीनी मिलें हम लगाना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र के जरिये लगाने की परम्परा को हम बल देना चाहते हैं । इससे हमारा इशारा साफ है । लेकिन हम टूटी-फूटी, बुढ़िया दूकान को खरीद कर प्रदेश के पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बोझ बना दें, तो सरकार उसके लिये तैयार नहीं है । हम नेशनलाइजेशन के खातिर पुरानी मशीनों को लेने के लिये तैयार नहीं हैं । हम यह भी चाहते हैं कि जो लोग उसको चला रहे हैं उनके लिये भी इस देश में काम हो । जो हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी रही है उसके तहत में चीनी उद्योग व्यक्तिगत हाथों में रहेगा और जहां कहीं आगे लगेंगी तो हम सहकारी क्षेत्र को भी बल देंगे ।

एक बात और कही गई कि मजदूरों के पक्ष में कुछ भी कहना मजदूरों के साथ हमदर्दी दिखाना है और मजदूरों की मांग को ठुकराना या स्वीकार न करना मजदूर विरोधी बात है। कहा गया कि तुम मजदूरों के घोड़े पर सवार होकर आये हो, भूल न जाना । मैं भूलूंगा नहीं । मजदूर आन्दोलन की वास्तविकता गांधी जी ने हमको समझाई है कि वे अपनी मांगें कम से कम स्तर पर रक्खें, अधिक से अधिक स्तर पर अगर वे मांगें रखेंगे तो मजदूर आन्दोलन टूटता है, चकनाचूर होता है । उन्हीं गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर चल कर अहमदाबाद के मजदूरों ने विजय पर विजय पाई । आई०एन०टी०यू० सी० के जरिये महात्मा गांधी के बताये हुए सिद्धांतों पर चल कर मजदूर वर्ग और संविधान के कर्त्तव्य को ध्यान में रखते हुए इन परम्पराओं को मजबूत करने में, आगे ले चलने में हम कोई कमी नहीं करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का और इस प्रस्ताव से संबंधित जितने संशोधन हैं उन सबका विरोध करता हूं और मुझे भरोसा है कि यह सदन मेरी बात को स्वीकार करेगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय बहुगुणा जी ने लिविंग वेज की और मिनिमम वेज की चर्चा की तो मैं यह जानना चाहता हूं क्या उनकी राय में उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मजदूर को मिनिमम वेज हासिल हो चुकी है, अगर नहीं तो उसके प्राप्त कराने में सरकार क्या कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—एक बड़ा अहम सवाल रह गया था । मिनिमम वेजेज अगर मिल गयी होतीं तो फिर फेयर वेजेज की तरफ बढ़ने का हमारा कदम होता और बिन्दबासिनी कमेटी के पास टर्म्स आफ रिफरेंस में होता कि तुम फेयर वेजेज मुकर्रर करो । यह सारा प्रश्न वेज बोर्ड को दे रखा है और दुनिया भर का मजदूर आन्दोलन यह स्वीकार करता

है कि वेज बोर्ड से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र नहीं हो सकता। किसी देश के लोगों ने पार्लियामेंट में बैठकर यह प्रस्ताव नहीं पास किया कि फिटर की तनख्वाह आज की तारीख से ६७ रुपये ८ आने रहेगी। हमें भरोसा है कि बिन्दबासनी प्रसाद साहब की रिकमेंडेशन्स सब को स्वीकार होंगी और ऐसी होंगी जिनको यह देश बरदाश्त कर सकेगा।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय बहुगुणा जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६–५७ में आई०एन०टी०यू०सी० और मिल मालिकों के प्रतिनिधियों ने जो ४७ लाख रुपया काटा उसका क्या औचित्य है और रिटेनिंग के संबंध में आपने कोई प्रकाश नहीं डाला, तो क्या उस पर भी दो शब्द कहने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सीधी सी बात तो यह है मान्यवर, कि हमारे दोस्त शुरू से एक गलती कर रहे हैं कि ४७ लाख रुपया काटा। बोनस ईयर की वर्किंग पर मिलता है और उस हिसाब से जो मिलना चाहिये वह मिला। एक भी पैसा उसमें से नहीं काटा गया। एक साल के मुकाबिले में दूसरे साल में कम क्यों मिला अगर यह प्रश्न हो तो इसका उत्तर यह है कि १९५१–५२ के फारमूले को (Base) बेस मानकर अपना एकाउन्ट बनाया गया। ज्यादा निकला तो ज्यादा मिला और कम निकला तो कम मिला।

रिटेनिंग के संबंध में आपने एक बात पूछी, मैं बता देना चाहता हूं माननीय राजनारायण जी से कि अगर चीनी मिल का मजदूर जान लेगा कि यहां आप लोगों ने यह राय दी है कि बिहार का फारमूला यहां भी लागू हो तो मिल के गेट पर उनका खड़ा होना मुश्किल हो जायगा। मैं उनको यह राय दे रहा हूं। बिहार में यह तय हुआ कि ५० परसेंट स्किल्ड लेबर को, २५ परसेंट सेमी स्किल्ड लेबर को और ५ परसेंट अनस्किल्ड लेबर को बोनस दिया जाय। हमारे यहां तय हुआ कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, दोनों ५० परसेंट पायेंगे। अनस्किल्ड लेबर के बारे में यह तय हुआ कि जो पा रहे हैं वह पाते रहें और जो अब तक नहीं पाते रहे हैं तो बिहार का जिस दिन फैसला सुप्रीम कोर्ट के मजदूरों की माफ कत में होगा तो सन् १९५५ की तारीख से कुल वसूल करके मजदूरों को दे दिया जायगा। बिहार का मजदूर ढाई साल मुकदमा लड़ा और अब भी वह सुप्रीम कोर्ट में लटका है और यह समझौता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत करार दिया तो सब रुपया वापस होगा। तो हम क्यों अपने मजदूरों को इस परेशानी में डालें ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझको स्पष्टीकरण करना है। मैंने कोई बात नहीं कही, आप थे नहीं....

श्री अधिष्ठाता—मैं बराबर हाउस में था।

श्री राजनारायण—सवाल यह है कि मैं खड़ा हो रहा था और माननीय मंत्री जी बैठे नहीं, तो अध्यक्ष महोदय ने इशारा किया कि बाद में कहना, मैं यही समझा। माननीय मंत्री जी ने जो वस्तुस्थिति थी उसको विकृत ढंग से रखा। उन्होंने कहा कि राजनारायण जी निपुणतर ही नहीं बल्कि निपुणतम हैं।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने तारीफ ही की।

श्री राजनारायण—ठीक है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो उनका कहना है कि मैं निपुणतर ही नहीं निपुणतम हूं। प्रश्न यह है कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। माननीय बहुगुणा जो, माननीय सम्पूर्णानन्द जी हैं या माननीय गौतम जी बैठे हैं, एक उदाहरण दे दें कि हमने जो सदन में कहा है सदन के बाहर उससे उल्टा कहा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—चाहे सदन मंजूर भी कर ले ?

श्री राजनारायण—वह दूसरी बात है। सरकार की ओर से उस प्रस्ताव का विरोध नहीं हुआ था। जिसका सरकार की ओर से विरोध नहीं हुआ था तो उसका क्या मुंह रहा गया था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गौतम जी ने विरोध किया था।

श्री राजनारायण—विरोध नहीं किया था। आप गलत कह रहे हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि एक रुपये बारह आने मन वाला प्रस्ताव आया था। उस समय वोट का जमाना आने वाला था इसलिये सरकार ने विरोध नहीं किया। जनता में तथा किसानों में भ्रम डालने के लिये यहां तो कह दिया गया कि सरकार इसके पक्ष में है। इस तरह से किसानों को बरगलाया गया और केंद्रीय सरकार को उल्टी बात लिखी गई तो इस तरह से श्रीमन्, इस सरकार ने सदन का अपमान किया है।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय मदन पांडेय जी का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, हमें मौका मिलना चाहिये। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम ८५ फीसदी जनता के नुमाइंदे यहां बैठे हैं और आगे बैठने वाले नेता लोग माइक को नहीं छोड़ते हैं। उनको आदत बदलनी होगी। हम लोगों की बात कोई नहीं पूछता है। एक तरफ तो कहते हैं कि सत्याग्रह नहीं होना चाहिये और दूसरी तरफ सत्याग्रह करते हैं और हारते हैं और फिर भी हथियार इस्तेमाल करते हैं। इसमें, श्रीमन्, सरकार को लज्जा आनी चाहिये कि यह जनसंघ और हर एक के साथ रहें और फिर भी मुंह की खायें। बड़े दुख की बात है, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता—प्रस्ताव इस प्रकार है कि....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव के एक-एक खंड पर वोट लिया जायगा या सम्पूर्ण प्रस्ताव पर लिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—सम्पूर्ण पर लेंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मदन पांडेय जी ने अपील की थी कि मैं अपने संशोधन को वापस ले लूं। ऐसी बात थी मगर यह भी कह दिया था कि अगर राजनारायण जी वापस नहीं लेंगे और प्रेस करेंगे तो इसको मान जाऊंगा। जो उन्होंने तर्क दिया था वह यह था कि इस सदन में १ रुपये १२ आने मन वाला प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है। लेकिन हमारा संशोधन है कि किसानों को २ रुपये मन से कम कीमत न दी जाय। अगर यह प्रस्ताव गिर गया तो १ रुपये १२ आने वाले प्रस्ताव पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कम रहा होता तो यह कहा जा सकता था कि सदन ने १ रुपये १२ आने मन वाला जो प्रस्ताव पास किया था उससे नीचे वाला प्रस्ताव गिर गया तो यह भी गिर गया। लेकिन अगर २ रुपये मन वाला गिर जाता है तो वह प्रस्ताव अपनी जगह पर कायम रहता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मदन पांडेय जी हमारा आग्रह मान जायं और अपने प्रस्ताव में हमारे संशोधन को जोड़ लें।

श्री अधिष्ठाता—यह तो सदन के ऊपर है।

श्री राजनारायण—मूवर को भी तो कोई हक है।

श्री अधिष्ठाता—हमको भी तो कुछ हक है। मैं चाहे मेन प्रस्ताव को पुट कर दूं या संशोधन को पहले पुट करूं।

श्री राजनारायण—यह सही है, लेकिन हमें निवेदन करने का तो हक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि····

श्री अधिष्ठाता---माननीय टीकाराम जी, आप कृपा कर बैठें। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, यह कांग्रेस के सफेद कबूतर मेरा मौका नहीं आने देंगे।

श्री मदन पांडेय---अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि तीन संशोधन नारायणदास, गेंदासिंह और राजनारायण जी के हैं। मैंने इन दो के लिये तो कह दिया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजनारायण जी के लिये कहा था कि यदि वह प्रेस करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। केवल सीताराम जी का जो संशोधन है उसके लिये मैंने कहा था कि जिस स्प्रिट से यह प्रस्ताव रखा गया है उससे यह मेल खाने वाला नहीं है इसलिये इसको स्वीकार करने का प्रयोजन प्रतीत नहीं होता है। यह मैं बताना चाहता हूं कि नारायणदास जी का जो संशोधन है वह मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो वोट पर रख दूंगा। पहले मैं मूल प्रस्ताव को ले रहा हूं। प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत····

श्री राजनारायण---संशोधित प्रस्ताव क्यों न लिया जाय ? कारण यह है कि जब कि मूवर ने हमारा संशोधन स्वीकार कर लिया है तो उनका मूल प्रस्ताव संशोधित रूप में हो जायगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संशोधित रूप में प्रस्ताव लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---चूंकि राजनारायण जी को एतराज है तो मैं पहल संशोधनों को ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ में "उद्योग" तथा शब्द "मजदूरों" के बीच में शब्द "यथासंभव अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करे और किसानों तथा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति दो के अन्त में शब्द "ताकि अनावश्यक हड़ताल न हो, तथा उत्पादन बढ़े" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संकल्प के खंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित वाक्य रख दिये जायं :

"हर एक कारखानों में योग्य और सचरित्र प्रचारक रखे जायं जो कि मिल के कर्मचारियों और मजदूरों में अनुशासन की प्रवृत्ति और कर्त्तव्य परायणता उत्पन्न करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संकल्प में चौथे भाग को निम्न प्रकार रख दिया जाय-

"(४) चीनी उद्योग के मजदूरों को सीजन के बाद अपने वेतन के पच्चीस प्रतिशत रिटेंनिग एलाउन्स दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में---३४,
विपक्ष में---७१।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं माननीय राजनारायण जी का संशोधन लेता हूं। प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं–

"(५) गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य दो रुपया प्रति मन से कम नहीं दिया जावे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, डिवीजन इन लाबीज होना चाहिये, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता---बहुत देर में कहा आपने। बहुत देर में आपको मालूम हुआ कि महत्व का है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया तथा हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---३७,
विपक्ष में---७०।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं मूल प्रस्ताव ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य के चीनी उद्योग मजदूरों के हित में निम्नलिखित कार्यवाही अविलम्ब सरकार की ओर से की जाय–

(१) चीनी उद्योग में सर्वाधिक प्रतिनिधि मूलक महासंघ को ही मान्यता देने के लिये राज्य की चीनी मिलों में मतगणना करायी जाय।

२---राज्य के चीनी मिल मजदूरों के वेतन में तुरन्त २५ फीसदी वृद्धि की जाय।

३---चीनी उद्योग के मजदूरों को बोनस १९५१ के लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार दिलाया जावे।

४---चीनी उद्योग के मजदूरों को बिहार की भांति रिटेंनिंग एलाउन्स दिलाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया, और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, यह मतगणना लाबी में कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, हमको अधिकार है। जैसा हम उचित समझेंगे वैसा करेंगे।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त गणना होती रहने पर।)

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं विरोधी दलों की ओर से यह मांग करता हूं कि यह विभाजन लाबी में होना चाहिये। यह महत्वपूर्ण बिल है। विभाजन का अधिकार एक विरोधी दल का अधिकार है। हम आपसे यह दरख्वास्त करते हैं और समस्त विरोधी दल एक मत होकर आपसे यह दरख्वास्त करते हैं कि मत गणना लाबी में होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---मगर डिस्क्रीशन हमारे हाथ में है।

श्री सुरथबहादुरशाह---मेरा यह वैधानिक प्रश्न है। यह जो इस समय गणना हो रही है यह बिलकुल असंगत है। उधर की लाबी का दरवाजा बन्द नहीं है। उधर से तीन मेम्बर आगये हैं जो अभी हाथ उठा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---हम आपकी बात मान लेते हैं और दोबारा वोटिंग करा लेते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जो अभी उस दरवाजे से आये हैं उनको वापस कर दिया जाय।

(उक्त माननीय सदस्य उठकर बाहर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता---माननीय चन्द्रहास जी, आप कृपया लाबी में चले जायं।

(उक्त माननीय सदस्य उठकर बाहर चले गये।)

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---वह पहले से यहां पर बैठे थे, पानी पीने के लिये बाहर गये थे।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआः

पक्ष में---४२,

विपक्ष में---८१)।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकार संरक्षण (अस्थाई अधिकार)

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकार संरक्षण (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता---सदन में शांति होनी चाहिये।

(इस समय श्री रामस्वरूप यादव अपने स्थान पर खड़े हुये।)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। एक प्रस्ताव यहां रखा गया और उसका किसी ने विरोध नहीं किया। तो इसको आप अपने अधिकार से वोटिंग के लिये रख सकते हैं।

(किसी के न बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता---तो ठीक बात है। मैं इस पर वोट ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकार सरक्षण (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री रामशरण यादव---मैं वोटिंग के सम्बन्ध में श्रीमन् की एक व्यवस्था चाहता हूं। अनुज्ञा के विरोध में किसी ने कुछ नहीं कहा इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर वोटिंग की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अनुज्ञा न देने का कोई कारण किसी ने नहीं बतलाया। ऐसी हालत में वोटिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता---आप जो कह रहे हैं क्या मैं उसका मतलब यह समझूं कि इस पर वोटिंग न हो? इस सदन में कोई काम बगैर वोटिंग के होता है क्या? वोटिंग होना तो लाजमी है।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री अधिष्ठाता---जो प्रस्ताव के पक्ष में हों वह हां कहेंगे.....

श्री रामशरण यादव---मुझे यह कहना है कि मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता---मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री रामशरण यादव---आप जो भी सजा दें, मैं निवेदन जरूर करूंगा।

श्री अधिष्ठाता---मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठिये।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---३६,

विपक्ष में---८१)।

यह प्रस्ताव गिर गया। इस बिल को पेश करने की इजाजत सदन नहीं देता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मुझे निवेदन यह करना था कि यह पिछड़े वर्ग के जो प्रदेश का कम से कम ४० परसेंट है उसके भाग्य का सवाल है। इसीलिये हमने प्रार्थना की थी कि सरकार ने बैकवर्ड कमीशन को बनाया, उसको कभी यहां लागू नहीं किया गया ।

उसी का यह बिल हम विरोधी लोग लाये हैं। हमारे राम स्वरूप यादव, नारायणदास पासी कभी लिखित वोट इसके विरुद्ध देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे.....

श्री अधिष्ठाता—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—हाथ उठाने का तो कोई रेकार्ड रहता नहीं है, श्रीमन्, वहीं लिखित विरोध करें लाबी में जाकर.....

श्री अधिष्ठाता—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वह हमारे खिलाफ वोट दे नहीं सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठिये, यह उचित नहीं है कि आप इस तरीके से बार-बार बोलने लगते हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, कभी-कभी मैं सदन में बोलता हूं तो माननीय सदस्य मुझसे कहते हैं कि तुम अध्यक्ष का आर्डर नहीं मानते हो। श्रीमन्, आप खुद देख लीजिये, नेता लोग कितना हल्ला कर रहे हैं लेकिन कभी-कभी जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझ से कहते हैं कि तुम सदन की मर्यादा भंग करते हो। जब मैं सच्ची बात कहता हूं तो वह बुरी लगती है।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—मैं समझता हूं कि अभी हमारे सामने जो महत्वपूर्ण विषय था, मुझे अभी सूचना मिली है कि माननीय उपमंत्री जी इसका विरोध नहीं करना चाहते थे। कहीं कोई न कोई इसमें गलतफहमी रह गयी है और मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय के महत्व को देखते हुए और सभी लोग, चाहे इधर के हों या उधर के, यह चाहते हैं कि इस पर विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाय इसलिये अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो ताकि फिर से अपनी राय जाहिर कर सकें तो अच्छा होगा। माननीय उपमंत्री जी ने भी विरोध करना नहीं चाहा। इसलिये शायद वह भी नहीं खड़े हुए थे। आप उनसे पूछ सकते हैं और उनकी बात सुनने के बाद आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे हम जो बात सदन में तय हुई है, उस पर फिर से विचार कर सकें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में हमारे जो मूल अधिकार दिये गये हैं उसमें अनुच्छेद १५ में यह है:—

"इस अनुच्छेद या अनुच्छेद २९ के खंड (२) की कोई बात राज्य के नागरिकों के ऐसे वर्गों के लिये जो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं अथवा अनुसूचित जातियों.....

श्री अधिष्ठाता—मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—हमारे संविधान में यह बात दी हुई है कि कोई प्रदेश या कोई विधान सभा किसी पिछड़ी जाति को या वर्ग को कुछ विशेष सुविधायें प्रदान करने के लिये कोई विधेयक लाये या कोई प्रस्ताव लाये तो यह उसका पूरा हक है कि पहले समता का हेडिंग दे करके, हमें संविधान में संकेत किया गया है कि प्रदेश में अगर कोई पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जातियां हैं तो उनके विकास के लिये, तरक्की के लिये, उत्थान के लिये हम ऐसे विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं जो उनके उन अधिकारों की सुरक्षा करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्रदेश में पिछड़ी जातियाँ हैं, हरिजन हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाय तो जाति व्यवस्था में कुछ हरिजन हैं, शूद्र हैं, महिलायें हैं, आदिवासी हैं.....

श्री अधिष्ठाता—शूद्र का शब्द आपके मुखारविंद से अच्छा नहीं लगता ।

श्री राजनारायण---हां, अच्छा नहीं लगता, लेकिन श्रीमन् मैं पोंगापंथी नहीं हूं, ढोंगी नहीं हूं। आज यह समाज ४ वर्णों में विभक्त है। मैं आपके सामने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री का पढ़ देना चाहता हूं। जब हरिजन मंदिर प्रवेश आन्दोलन चल रहा था तब मैंने उनको एक पत्र ८ मई, १९५६ को लिखा था। उन्होंने १४ मई, १९५६ को यह पत्र भेजा था जो इस प्रकार से है---

"श्री राजनारायण जी, आपका ८ तारीख का पत्र मिला। आपने कई प्रश्न किये हैं जिनका उत्तर देने के लिये मुझे धर्मशास्त्र और कानून के वाद-विवाद में पड़ना होगा जो मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं यथासमय कर्तव्यों का पालन करने का प्रयत्न करूंगा जो बनारस के नागरिक, सनातन धर्मावलम्बी, हिन्दू भारतीय नागरिक और उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी होने के कारण मुझ पर आता है।

भवदीय
सम्पूर्णानन्द।"

आज इस प्रदेश के मुख्य मंत्री अपने को सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू मानते हैं। क्या यह चार वर्ण-व्यवस्था में विश्वास करना नहीं है? आप जानते हैं कि वाराणसी में राजेन्द्रबाबू ने ब्राह्मणों के पैर धोये और चरणामृत लिया। तो यह कहना कि हरिजन या शूद्र नहीं है, वस्तुस्थिति से आंख मूंदना है। मैं उससे आंख मूंदने वाला नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जाति-पांति टूटे। वर्ण-व्यवस्था समाप्त हो।

श्री अधिष्ठाता---आप कानूनी बात जो कह रहे थे उस पर आ जाइये।

श्री राजनारायण---जब संविधान में हमें समता का हक दिया गया है तो ऐसे मूल प्रश्न पर, ऐसे मूल विधेयक पर, सदन में अनुज्ञा भी नहीं दी जायगी।

श्री अधिष्ठाता---मैं क्या करूं?

श्री राजनारायण---हां, आपके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैं सरकारी पक्ष को बताना चाहता हूं जो लम्बी-चौड़ी तकरीरे करते हैं। हमारे पास एक पुस्तिका है "उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग संघ"। इसकी शुरुआत कराई गई थी माननीय मुख्य मंत्री जी से। हमने इसमें देखा है कि आपका भी जिक्र है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बुलाये जावें और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बताया जावे कि क्यों यह विधेयक सरकारी पक्ष की ओर से ठुकराया गया। इस सदन की मर्यादा के लिये, सारे नागरिकों को समान अधिकार देने के लिये, पिछड़ी जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। आज जो यह अशुभ कर्म हो गया है, सरकारी पक्ष ने ऐसे निर्दोष विधेयक को भी अनुज्ञा देने से इंकार किया है, यह उचित नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मान्यवर, सदन ने फैसला कर लिया है और वह चाहे तो उसे उलट भी सकता है। विरोधी पक्ष के लोगों ने सरकारी पक्ष के लोगों से बात करके ही यह विधेयक रखा था। मैं संबंधित मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनको भी कोई विरोध है?

श्री अधिष्ठाता---मैंने माननीय राजनारायण जी के वैधानिक प्रश्न पर अच्छी तरह से गौर कर लिया है। प्रश्न उनका जो था कि आया कोई सदस्य पिछड़ी जातियों या अनुसूचित जातियों के लिये ऐसा विधेयक ले आ सकता है या नहीं, तो वह ले आ सकता है। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मंत्री जी इस विधेयक का विरोध या समर्थन करेंगे। माननीय सुरथ बहादुरशाह ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि कोई मंत्री साहेब इसका विरोध नहीं कर रहे हैं और न बोल रहे हैं। तो मेरे सामने कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय इसके कि सदन की राय लूं इसलिये मुझे मजबूर होकर सदन की राय लेनी पड़ी।

[श्री अधिष्ठाता]

एक बार जब सदन की राय हो गयी तो मैं यह उचित नहीं समझता कि अब ही फिर यह मामला सदन के सामने आवे। यह सम्भव हो सकता है कि फिर, कुछ दिन बाद, यह बिल पेश किया जाय और उस पर विचार हो, लेकिन आज तो सदन ने इसे अस्वीकार कर दिया है और मैं मजबूर हूं।

श्री राजनारायण—आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। आपकी ओर से इस समय कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिस पर हम अपनी असहमति प्रकट करें। मगर सरकार की या माननीय मंत्री जी की ओर से जो कर्त्तव्य पालन होना चाहिये था वह माननीय मंत्रीजी ने नहीं किया। ऐसी हालत में हमारा भी तो कुछ कर्त्तव्य होगा।

श्री अधिष्ठाता—आपका कर्त्तव्य तो तब होता जबकि माननीय सुरथबहादुरशाह मेरा ध्यान आकर्षित न करते। माननीय मंत्री जी खड़े हुए। सुरथबहादुर शाह ने कहा कि जिस वक्त आपने कहा, कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। आपका कर्त्तव्य यह होता कि आप कहते कि नहीं साहब, देर से भी खड़े हुए हैं तो भी उनको बोलने का मौका देना चाहिये। मैं विरोधी दल की बातों की बहुत कद्र करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आज, जिसका बैल वह कहे गरियार पड़ोसी कहे चलता है—वाली कहावत चरितार्थ कराना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी तनिक भी अपनी ओर से यह नहीं कह रहे हैं कि वह बोलना चाहते थे। इस सरकार की कर्तव्यहीनता के कारण ऐसी बात हुई है। उसके विरोध में हम ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करेंगे और देवनारायण जी भारतीय जिन्हें अंग्रेजी भाषा को हटाने वाला प्रस्ताव पेश करना है यहां रहेंगे।

(समाजवादी पार्टी सिवाय श्री देवनारायण भारतीय के सदन छोड़ कर चली गयी।)

श्री प्रताप सिंह—मैं सदन के फैसले को सदन का फैसला न मानकर कांग्रेस का फैसला मानता हूं। मुझे ताज्जुब है कि जिन मंत्री जी से संबंधित यह विधेयक है वह कुछ भी नहीं बोलते। इस थम्पिन्ग मैजारिटी के खिलाफ हम दस मिनट का वाक-आउट करते हैं।

(प्रजा समाजवादी पार्टी सदन का त्याग कर गयी।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अधिष्ठाता महोदय, यह बड़े दुख की व्यवस्था है कि ऐसे महत्वपूर्ण बिल को पेश करने की सरकारी पक्ष ने अनुज्ञा नहीं दी, जो कि संविधान के अन्दर हमारे पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिये है। श्री जयराम वर्मा जी, श्री रामस्वरूप यादव जी, इस्तफा हुसैन जी, नारायणदास जी पासी, मुरलीधर कुरील जी, रामवचन यादव—ये सब हरिजनों और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं और उन्होंने भी इस विधेयक के विरुद्ध अभी वोट दिया है जो सबसे गिरे हुए तबके के अधिकारों की रक्षा करने के लिये था जिनके नाम पर यही सब लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। बाहर तो ये नेता लोग दिखावे के लिये बड़ा शोर करते हैं। इनकी ओर से आज ही एक किताब बंटी थी दारुलशफा में और पुराने विधायक निवास में...

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया अपनी मूल बात पर आ जावें कि आपका मतलब क्या है?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं दिन भर के लिये वाक-आउट कर रहा हूं। फिर आज मुझे बोलने का अवसर नहीं होगा। इसलिये आप मुझे केवल ५ मिनट और देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—नहीं, मैं ५ मिनट नहीं दे सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—आज हमें बड़ा दुःख है कि कांग्रेस के नेता एक ओर तो पिछड़े वर्ग के बड़े हिमायती बनते हैं और दूसरी ओर असेम्बली में उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। माननीय जयराम वर्मा जी और यादव जी सामने बैठे रहे लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी वालों से

कुछ भी नहीं कहा और हमारे खिलाफ इस संबंध में वोट किया। इसलिये उसके विरुद्ध मैं तथा मेरी पार्टी इस सदन का परित्याग करते हैं। हमें बहुत दुख है इसलिये सारे दिन के लिये वाक-आउट करते हैं।

(श्री गोविन्दसिंह विष्ट जनसंघ के अन्य सदस्यों के साथ सदन से बाहर चले गये।)

*श्री टीकाराम पुजारी—अधिष्ठाता महोदय, श्रीमन्, मुझे नेताओं पर विश्वास नहीं है। नेता हर वक्त बोलते है और बोलने में जब कोई उपाधि पैदा होती है तो सदन से वाकआउट कर जाते हैं। हम और दूसरे सदस्य, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, उनको कोई मौका बोलने का नहीं मिलता है। मैंने तीन दफा कहा था कि मुझको ८ मिनट बोलने को दिये जायं तो मैं सारी बात बताऊं। इसमें जनता का हित होगा, नेताओं का हित होगा, मंत्रियों का हित होगा। मुझको परसों निकाल दिया। लेकिन कुछ नहीं। मैं सच कह रहा हूं कि हम सदस्यों के लिये जो ८५ प्रतिशत गांव के रहने वाले हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, उनको पूरा बोलने का हक मिलना चाहिये। हमारे नेता तो, जब पूंजीपतियों के या कांग्रेस के इशारे पर, उनको समय नहीं मिलता तो वाक-आउट कर जाते हैं। मैं कहता हूं कि मैं किसानों का शुभ-चिंतक हूं। जब तक किसानों के कामों के लिये समय न दिया जायगा मैं सदन से बाहर जाता रहूंगा और तब तक आवाज उठाता रहूंगा जब तक किसानों को पूरा हक नहीं मिल जाता है। अगर उनको पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो मेरी किसी दिन इस सदन से लाश निकलेगी। मैं किसानों के लिये मर जाऊंगा और मिट जाऊंगा। नेताओं में मुझे कोई विश्वास नहीं है। इसलिये मैं सदन का १० मिनट के लिये परित्याग करता हूं।

(श्री टीकाराम पुजारी ने भी सदन का त्याग किया।)

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, आपकी जो रूलिंग हुई है वह शिरोधार्य होते हुए भी मैं समझता हूं कि सदन के बहुमत दल की ओर से, जिसक हाथ में इस समय शासन ह इस विधेयक का विरोध किया गया। यह कांग्रेस पार्टी और सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अत्याचार है। इसलिये मैं और मेरे दल के लोग इस चीज के विरोध में सदन का परित्याग करते हैं।

(श्री मदन पांडेय मय पार्टी के सदन से बाहर चले गये।)

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी पार्टी आई० पी० एल० पी० की तरफ से यह बता देना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के विधेयक को जो यह गड़बड़ी में डाल दिया गया है और उसको आने नहीं दिया गया, उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। इस तरह से आप जातिवाद को पनपा रहे हैं और इस सदन के बाहर लड़ाई को प्रोत्साहन दिया है। इसलिये चूंकि आपने पिछड़ी जाति के विधेयक को यहां आने नहीं दिया है, इसलिये मैं और मेरी पार्टी यहां से वाक-आउट करते हैं।

(श्री भूपकिशोर मय अपनी पार्टी के सदन से बाहर चले गये।)

श्री झारखंडे राय—मान्यवर, मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि मैंने जो आपसे निवेदन किया था कि इस विषय में कुछ गलतफहमी हो गयी है। यह सदन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न और स्वतंत्र है और इसको पुनः निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। वह अपने निर्णय को बदल भी सकता है। मैंने आपके विश्वास से और विश्वस्त सूत्र के आधार पर यह निवेदन किया कि सरकार के भी जो प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए है, उनकी भावनायें भी इस विधेयक के ऊपर बहस होने के विरोध में जाने की नहीं है। किसी गलतफहमी में यह मामला हो गया। इस आधार पर मैंने जो व्यवस्था की मांग की उस पर आपने अपने निर्णय पर कोई मत व्यक्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखंडे राय]

नहीं किया। इसलिये मेरा निम्न निवेदन है कि इस विषय में आप अपना निर्णय दें। इसमें दो बातें हैं एक तो यह कि इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने निर्णय को बदल सकता है। दूसरी बात यह कि एक चीज अगर गलतफहमी में हो गयी तो केवल टेकनीकेलिटी के ऊपर ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार न हो सके, यह मुनासिब नहीं है। ऐसी हालत में जबकि मैं यह चैलेन्ज कर सकता कि सदन में एक भी आदमी मेरी समझ में ऐसा नहीं है जो यह कहता हो कि इस पर विचार भी न हो। ऐसी हालत में मेरी प्रार्थना है कि आप टेक्निकलिटीज के ऊपर न जायं। इस पर आप अपनी राय दें कि एक फैसला जो हम कर चुके हैं उसे चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। आपने जो निर्णय दिया वह इस बात का बिना खयाल किये हुए ही दे दिया। तो इस सम्बन्ध में आप अपनी राय पहले दे दें उसके बाद मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—इस सदन को हमेशा अधिकार है अपना निर्णय बदलने का। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका तरीका भी एक होना चाहिये। अब एक माननीय सदस्य ने एक बिल को पेश करने की अनुज्ञा मांगी जिसे सदन ने अस्वीकार कर दिया तो प्रोसिज्योर यह है कि फिर वे नोटिस दें कि हम इस बिल को लाना चाहते हैं। तब जाकर दूसरे सेशन में जब हम फिर बैठेंगे तो उसमें वे पेश करें। इस सदन को पूरा अधिकार है, वह इस पर विचार कर सकता है, लेकिन उसका तरीका यह है कि माननीय सदस्य फिर नोटिस दें और नोटिस देने के बाद फिर मामला सदन के सामने आवे तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री झारखंडे राय—आपने निर्णय तो दे ही दिया लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप इस सदन के मेम्बर की हैसियत से पुराने मेम्बर हैं और आप जानते हैं कि पूरे ढाई साल के बाद किसी तरह से शलाका के चक्कर में पड़ कर वह एजेंडे में एक महत्वपूर्ण स्थान नं० २ पर आया था। हम नहीं कह सकते कि कितने साल के बाद फिर उसका नम्बर आ सकेगा। ऐसी स्थिति में आपने जो निर्णय दिया वह उचित नहीं है और इसके विरोध में हम आपने दल के साथ पूरे दिन के लिये सदन का त्याग करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—आपको अधिकार है सदन त्याग करने का लेकिन आपकी तरफ से ही एक माननीय सदस्य द्वारा यह आब्जेक्शन उठाया गया था। तो फिर मेरे लिये मजबूरी थी। विरोधी दल ने ही यह बात उठायी थी।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी सदन से चले गये।)

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी हटाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं :—

"यह सदन अपना यह निश्चित मत प्रकट करता है कि प्रदेशीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, अनुशासन और सामयिक शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए यह उचित है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जावे कि केवल उन विद्यार्थियों के अतिरिक्त जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो, अन्य सब ही विद्यार्थियों के लिये भारतीय संविधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का ही केवल द्वितीय भाषा के स्थान पर अनिवार्यरूपेण शिक्षण नियमित हो।"

मान्यवर, इस प्रस्ताव पर कुछ कहने से पहले मैं एक निवेदन आपकी आज्ञा से कर देना चाहता हूं। इस समय पर मुझे यह प्रस्ताव उपस्थित करना था, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, इसलिये मैं अपने कर्त्तव्यपालन की दृष्टि से ही इस समय सदन में उपस्थित हूं। मुझे भी उतना ही रोष और उतना ही दुख है ट्रेजरी बेंच की इस कार्यवाही से जो उन्होंने पिछड़ा वर्ग

अधिकार संरक्षण विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा न देकर की है। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कार्य सर्वथा अनुचित और अदूरदर्शितापूर्ण था और असंगत भी था। लेकिन मैंने जैसा आपसे निवेदन किया, मैं अपने एक कर्त्तव्यपालन के निमित्त ही सदन में उपस्थित हूं जबकि सारा विरोधी दल इस समय सदन को छोड़ गया है।

मान्यवर, प्रस्ताव के ऊपर विचार करते हुए मैं सबसे पहले उस समय के इतिहास का कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं जब कि अंग्रेज हमारे देश में नहीं थे। आज से २०० वर्ष पहले की बात है, हमारे देश में मुस्लिम शासन था। उस समय में हमारी शिक्षा की क्या स्थिति थी, मैं उसका भी जिक्र कर देना चाहता हूं। यद्यपि राजकीय कार्य के लिए अरबी अक्षरों में उर्दू भाषा प्रचलित थी और उच्च स्तर के सरकारी कार्यों में अरबी भाषा का ही प्रयोग होता था.....

एक सदस्य--कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)।

श्री देवनारायण भारतीय--मैं यह निवेदन कर रहा था कि अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ होने से पहले, मुस्लिम शासन काल में यद्यपि अरबी और उर्दू भाषा का राजकीय भाषा के रूप में प्रचार था परन्तु देश में उस समय संस्कृत पाठशालायें और हिन्दी पाठशालायें आम तौर पर चलती थीं, उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलता था और उनका खर्च उस समय की सरकार बरदाश्त करती थी। उस समय तक जो हमारी परम्परागत संस्कृति थी उसका ह्रास नहीं होने पाया। इसलिये कि जो लोग राजकीय सेवा करना चाहते थे वे अरबी और उर्दू पढ़ते थे लेकिन जो, केवल अपनी ज्ञानवृद्धि के लिये, मनुष्यता प्राप्त करने के लिये या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये, पढ़ते थे वे संस्कृत और हिन्दी में शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा प्राप्त कर के ज्ञान को प्राप्त करते थे। उस समय तक जो हमारी परम्परागत संस्कृति थी उस का ह्रास नहीं हुआ था। जब अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी यहां आयी तो वह एक ऐसी भाषा थी कि जिसको भारतीय जनता किसी भी दशा में अपना नहीं सकती थी। जब अंग्रेजों को यह दिक्कत पैदा हुई.....

श्री अधिष्ठाता--संविधान में जो ८ भाषा दी गयीं हैं वह आप पढ़ देते।

श्री देवनारायण भारतीय--उनका जिक्र भी मैं आगे करूंगा। अंग्रेजी भाषा को भारतीय जनता ने स्वीकार नहीं किया और उस भाषा का अंग्रेजी शासन काल आरम्भ होने पर यहां स्वागत नहीं किया गया? फिर अंग्रेजों ने यह प्रलोभन दिया कि जो लोग अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उन्हें हम सरकारी नौकरियों में श्रेष्ठता देंगे और उनकी विशेष उन्नति करेंगे, इस प्रलोभन के साथ यहां अंग्रेजी की शिक्षा आरम्भ की गयी और इसका परिणाम यह हुआ कि गत २०० वर्षों में अंग्रेजी हमारे अन्तरतल में ऐसी बैठ गयी कि आज अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी हम उस को तिलांजलि नहीं दे पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी संस्कृति में अंग्रेजी ने इतना गहरा घर कर लिया है कि आज हमारे सामने बड़ी कठिनाई है। इसका मुख्य कारण यह है कि अंग्रेजी शिक्षा बाल्यकाल से ही हमारे विद्यार्थियों को दी जाने लगी। जहां विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश पाने के बाद अ, आ, इ, ई पढ़ते थे वहां उनको साथ में ए, बी, सी, डी भी पढ़नी पड़ती थी जिसका परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थियों का ज्ञान अपनी मातृ भाषा में परिपक्व नहीं हो पाता था और विदेशी भाषा में तो वह किसी प्रकार भी परिपक्व नहीं हो सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले २०० वर्षों में हमारी परम्परागत संस्कृति का ह्रास हुआ और हमारे जो ऊंचे स्तर के सामाजिक आदर्श थे उनसे हम नीचे गिर गये, शिक्षा का उद्देश्य हमारे लिय केवल नौकरी प्राप्त करना रह गया और ऊंचे ज्ञान की प्राप्ति और उसके द्वारा आत्मज्ञान की सिद्धि जो शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है उससे हम हट गये। उस विदेशी भाषा की शिक्षा का उद्देश्य केवल राजकीय सेवा करना, अंग्रेजों की

[श्री देवनारायण भारतीय]

गुलामी करना और उसके द्वारा अपनी राजनीतिक गुलामी की जड़ों को मजबूत कर के अपना जीवनयापन करना यही हमारी शिक्षा का उच्चतम आदर्श शेष रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सौ दो सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन में हमारी संस्कृति नष्ट हो गयी और हम आज भी अंग्रेजी का प्रेम छोड़ने में असमर्थ हैं। अंग्रेजों को भारत से गये हुए १२ साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपनी मातृभाषा को अपनाया है? मातृभाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है? उत्तर प्रदेश के निवासी विशेष रूप से हिन्दी मातृभाषा होने के नाते, उसकी उन्नति के जिम्मेदार हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हम यह प्रस्ताव लाने के लिये मजबूर हुए हैं कि हमारी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी न रहें। यही इस बात का प्रमाण है कि आज अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी हम अंग्रेजी भाषा की गुलामी को छोड़ नहीं पाये हैं। हमें राजनीतिक स्वाधीनता मिल गयी, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम बने हुए हैं। जो हमारे देश के राजनीतिक नेता हैं वे अंग्रेजी में बोलने में गौरव समझते हैं। जब कि विदेश से जो यात्री आते हैं वे अपनी मातृभाषा में अपना भाषण करते हैं और दुभाषिए उसका भाष्य करते हैं तब भी हमारे राजनीतिक नेता अंग्रेजी में ही बोलने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं।

मान्यवर, इस प्रस्ताव को लाने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम शिक्षा में ऐसा परिवर्तन करें जिससे हमारे बच्चों के संस्कारों में बचपन से ही जो भारतीय परम्परागत संस्कृति है उसका चित्र अंकित हो और वे सच्चे भारतीय नागरिक बन सकें। जब उनका ज्ञान परिपक्व हो जाय, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त कर लें, तब विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते समय अंग्रेजी भले ही पढ़ाई जाय उसमें मुझे आपत्ति नहीं है क्योंकि उस समय तक उनका ज्ञान मातृभाषा में परिपक्व हो जाता है। जब तक कि हमारे कैरीक्युलम में यह परिवर्तन नहीं होता कि इंटरमीडिएट तक अंग्रेजी से हम अपने बच्चों को बचा सकें तब तक अंग्रेजी के कुप्रभाव से वे बच नहीं सकते। हमारी सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाईं वे और संबंध में बनाई, लेकिन शिक्षा का सुधार जिसकी सब से पहली आवश्यकता थी....

श्री अधिष्ठाता--माननीय बंशीधर जी, कृपया सावधान हो जायं।

श्री देवनारायण भारतीय--हमारी प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। शिक्षा के सुधार की ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिससे जो बच्चे अंग्रेजी के कुप्रभाव से अंग्रेजी शासन काल में दूषित हो गये थे उनका वह कुप्रभाव अंग्रेजी शासन समाप्त होने के साथ ही यहीं पर समाप्त हो जाता और आगे आने वाली हमारी सन्तान केवल अपने देश की संस्कृति में पलती, देश की प्राचीन सभ्यता से शिक्षा प्राप्त करती और उनके जो संस्कार बनते उनसे आगे चल कर हमारे देश का कल्याण होता। हमारे देश के नवयुवक सच्चे नागरिक बनते। मैं मान्यवर, इस संबंध में संविधान की धारा ३५१ को आपके सम्मुख उपस्थित कर देना चाहता हूं।

संविधान की धारा ३५१ इस प्रकार है:--

"३५१--हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की सब तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा"। जब यह धारा संविधान में दी गई थी तो सबसे प्रथम उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कर्त्तव्य था क्योंकि जो राष्ट्रभाषा है वह इस प्रदेश की भाषा है, उत्तर प्रदेश पर हिन्दी का सबसे बड़ा दावा है कि यहां के निवासी उसकी उन्नति के लिये सब से अधिक प्रयत्न करें। जरूरत

थी इस बात की हमारी सरकार गत १२ वर्षों में आज से बहुत पहले इस बात पर विचार करती और अपनी शिक्षा प्रणाली विश्वविद्यालयों के नियमों में ऐसे संशोधन करती जिससे विश्वविद्यालय से पहले की कक्षाओं में अंग्रेजी का पढ़ाया जाना वैकल्पिक रूप से, ऐच्छिक रूप से वर्जित होता सिवा उन लोगों को छोड़कर जिनकी मातृ भाषा अंग्रेजी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रान्तीय सरकार ने अपने इस कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। इस सरकार को चेतावनी देने के लिये यह प्रस्ताव रख रहा हूं।

अनुच्छेद ३५१ में जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है मैं उनको भी आपकी आज्ञा से बता देना चाहता हूं---(१) असमिया, (२) उड़िया, (३) उर्दू, (४) कन्नड़, (५) कश्मीरी, (६) गुजराती, (७) तामिल, (८) तेलगू, (९) पंजाबी, (१०) बंगला, (११) मराठी (१२) मलयालम, (१३) संस्कृत, और (१४) हिन्दी--इन १४ भाषाओं में से किसी एक भाषा का हमारे स्कूलों में, विश्वविद्यालय से नीचे की सब कक्षाओं में इनमें से किसी एक दूसरी भाषा के स्थान पर अध्ययन कराया जाता और उसको प्रोत्साहन मिलता तो उसका एक सब से अच्छा परिणाम यह होता कि जब इन भाषाओं में से किसी दूसरी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में अपने प्रान्त में शिक्षा देते तो आज भारत के दूसरे प्रान्तों में जो हिंदी के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है वह भी न चलता और उसका परिणाम यह होता कि दूसरे प्रदेशों में हिन्दी भाषा का उत्तरोत्तर प्रचार होता, हिन्दी भाषा वास्तव में राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारी बनती यदि प्रान्तीय सरकार ने अब से पहले अपने इस कर्त्तव्य का, संविधान के आदेश का पालन किया होता, लेकिन मुझे दुख है कि हमारी प्रान्तीय सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। हम देखते हैं कि आज अंग्रेजी बाल्यकाल से पढ़ाने का सब से पहला दुष्परिणाम यह होता है कि हमार बालक भारतीय संस्कृति से परे रह जाते हैं, हमारी संस्कृति के अंकुर उनके हृदय में जम ही नहीं पाते और दूसरी बात यह होती है कि उनका ज्ञान दो भाषाओं के चक्कर में पड़ कर परिपक्व नहीं हो पाता और उसका परिणाम यह होता है कि वे जब विश्वविद्यालय से निकलते हैं तब वे हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले नागरिक नहीं बनते, बल्कि वे बेरोजगारी के दफ्तर में या रोजगार दिलाने वाले दफ्तर में उम्मीदवारी की दरख्वास्त देने वाले बनते हैं। ये विश्वविद्यालय जो ज्ञान का भंडार कहे जाते हैं, जहां से ज्ञान प्राप्त करके हमारे नवयुवक आदर्श नवयुवक बनते हैं वहां मैं यह कह सकता हूं कि ये विश्वविद्यालय ऐसे करखानें हैं जहां से बेकारी व बेरोजगारी को जन्म मिलता है।

यदि सरकार इस प्रस्ताव को मान ले और इन विश्वविद्यालयों के नीचे के दर्जों में हिन्दी को और उसके साथ १४ देशी भाषायें जो मैंने गिनाई हैं उनमें से किसी एक भाषा को स्थान दे दे तो हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर बदल जायगा। आज हमारे विश्वविद्यालयों में अनुशासन नहीं है, वहां पर स्वावलम्बन नहीं है और वहां वह शिक्षा नहीं मिलती जिससे उनका मनुष्यत्व जाग्रत हो और वे समाज के सच्चे अंग बन सकें। आज वे समाज के लिये कलंक बनते हैं। पहले के हमारे विद्यार्थी माता-पिता के पैसे के बल पर विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने नहीं जाते थे जैसे काशी के संस्कृत विश्वविद्यालय में जहां कि पहले उनको वहां पहुंचने पर शिक्षा मुफ्त मिलती थी और जहां वे स्वयं अपने गुजारे के लिये अर्जन करते थे। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि आज अमेरिका व इंग्लैन्ड में, फ्रान्स में यह व्यवस्था है कि वहां विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी होटलों में और अन्य स्थानों में सेवा कार्य करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और विश्वविद्यालय में ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या हमारे किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था है जहां पर वे स्वावलम्बी होकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें और शिक्षा प्राप्त करके समाज के सेवक बनने की कल्पना कर सकें। आज हम देखते हैं कि इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से उनके अन्दर अनुशासनहीनता इस दर्जे तक बढ़ गयी और उनका नैतिक स्तर इतना नीचा गिर गया है कि जब कभी हम उनकी कथायें सुनते हैं तो हमारा सर लज्जा से नीचे झुक जाता है।

[श्री देवनारायण भारतीय]

हम समझते हैं कि उनमें अनुशासनहीनता हद दर्जे तक पहुंच गयी है और उसे दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करके विश्वविद्यालय से नीचे के दर्जों में अंग्रेजी का बहिष्कार सरकार आरम्भ कर दे। यदि कोई अंग्रेजी पढ़ना ही चाहे तो हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में अन्य विषय के रूप में पढ़ सकता है परन्तु मातृभाषा का मूलभाषा के रूप में उसके लिए पढ़ना आवश्यक हो और अन्य भाषा के रूप में हमारे देश की जिन १४ भाषाओं का मैंने जिक्र किया उनमें से किसी एक को पढ़ने के लिये मजबूर हो। इसके साथ-साथ यदि अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक ही हो तो जब विश्वविद्यालय में पहुंचे तब अंग्रेजी की शिक्षा विद्यार्थी को आरम्भ करायी जाय। मेरा ऐसा विश्वास है कि जैसे सरकार बी० ए० की शिक्षा को दो वर्ष के बजाय तीन वर्ष में फैलाना चाहती है तो इन तीन वर्षों में ए०बी०सी०डी० से आरम्भ करके अंग्रेजी का उस स्तर का ज्ञान हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे जो कि आज वे शुरू से आरम्भ करके विश्वविद्यालय में आने तक प्राप्त कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि कम से कम उन्हें मातृभाषा और उसकी व्याकरण का काफी अच्छा ज्ञान हो जायगा और एक व्याकरण जानने के बाद अंग्रेजी की व्याकरण समझने में उन्हें सुगमता होगी। मैं समझता हूं कि इन बातों से हमारे विद्यार्थियों के नैतिक स्तर और अनुशासन में सुधार होगा और हमारे नौजवानों में स्वावलम्बन आयेगा। जिन बातों को मैंने निवेदन किया उनको ध्यान में रखकर सरकार को पिछले १२ वर्षों में अब से बहुत पहले सुधार कर देना चाहिए था परन्तु उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं इस समय यह अपील करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करेंगे और मैं समझता हूं कि सरकार मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी और अन्त में जब मुझे बोलने का समय मिलेगा तो जो और मुझे विशेष कहना है उसे कहने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं पहले जो इस पर संशोधन आये हुए हैं उनको ले लूं फिर माननीय सदस्यों को मौका दूंगा।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—पहले इस प्रस्ताव का समर्थन आवश्यक नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस विधान सभा के सामने एक नीति विषयक प्रश्न प्रस्तुत है। श्रीमन्, संविधान का निर्माण करते समय उसके निर्माताओं ने भारत के भविष्य के लिये यह आवश्यक समझा कि लोकभाषा में ही सब कार्य हो।

श्री अधिष्ठाता—पहले संशोधन मूव कर दीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—बहुत अच्छा। श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"संकल्प की पंक्ति २ में शब्द 'अनुशासन' और 'तथा सामयिक शिक्षा' के बीच में शब्द 'भारतीय' रख दिया जाय।"

संकल्प की पंक्ति ६ में शब्द "किसी" और "भाषा का हो" के बीच शब्द "एक" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मैं थोड़े से शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव माननीय भारतीय जी ने उपस्थित किया है, उस के लिए मैं उन को धन्यबाद दूंगा कि उन्होंने सामयिक प्रस्ताव रखा।

है और श्रीमन्, जो उन्होंने अपने प्रस्ताव का भाव बताया है वह यह है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के कार्यक्रम में ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि अंग्रेजी के स्थान पर १४ भाषाओं में से एक को ले लिया जाय।

अब सवाल इस बात का है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मातृ भाषा अंग्रेजी है तो प्रस्तावक महोदय ने इस बात को रख दिया है कि उनको कठिनाई न हो और वह अपनी मातृ भाषा पढ़ें। परन्तु प्रत्येक के लिए राज्य भाषा, हिन्दी पढ़ना तो आवश्यक है। श्रीमन्, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सचमुच इस से हमारे विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, अनुशासन और सामयिक शिक्षा आयेगी। इस पर विचार करने के लिए हमें मनोविज्ञान को देखना पड़ेगा कि इसके पीछे तत्व क्या होते हैं? श्रीमन्, स्वावलम्बन तब आता है जब काम लोक भाषा में हो। जब लोक भाषा में कहीं शिक्षा चलती है तो भी सभी विद्यार्थियों में स्वावलम्बन आता है और प्रजातंत्र भी पूरे तौर से पनपता है।

अब श्रीमन्, प्रश्न यह है कि आज वैसी शिक्षा है या नहीं? यह तो एक मोटी सी बात है कि आज जो शिक्षा प्रचलित है यह वही है जो लार्ड मैकाले द्वारा प्रचलित की गयी थी और उसी प्रणाली पर वह हमारे यहां चलती चली आ रही है। देश को स्वतंत्र हुए आज १२ वर्ष हो गये लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और यही बात अंग्रेजी राज्य के जमाने में थी। उस समय को शिक्षा स्वावलम्बी हो या न हो लेकिन हमारे यहां गुलाम मुल्क का तरीका चल रहा था। उस समय कोई कमी महसूस नहीं हुई। आखिर हमारे देश में यदि विदेशी भाषा ही चलती रहेंगी तो असर क्या होगा? जब स्वतंत्रता आयी तो श्रीमन्, स्पष्ट हो गया कि बेकारी बढ़ती चली जा रही है और पढ़े लिखे लोग और भी ज्यादा बेकार होते चले जा रहे हैं। अब जरूरत यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वह स्वावलम्बन प्राप्त करें। इसके लिए क्या आवश्यकता है?

अंग्रेजी पढ़ कर तो स्वावलम्बन उदित होने वाला नहीं है क्योंकि अंग्रेजी पढ़ कर राष्ट्रीय भावनाएं नहीं पैदा हो सकतीं। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावनाओं के साथ अपने आप कुछ कर सकने की शक्ति उत्पन्न होती है। अंग्रेजी के माध्यम से अराष्ट्रीय भावनाएं पैदा होती हैं। यदि मैं मुबालगे के साथ न कहूं तो आज हमारे देश में राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव सा है। जब हम अंग्रेजी भाषा में शिक्षा पाते हैं जो हमारे यहां साम्राज्यवादी भाषा थी, जिस की बेड़ियों में जकड़ कर डेढ़ सौ वर्ष तक देश कराहता रहा उस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो मनुष्य पढ़ेगा उस में स्वावलम्बन की भावना उदित हो ही नहीं सकती है। मातृ-भाषा की यह परिभाषा की गयी है कि जिस के बोलते समय कोई कम से कम गलतियां करे। मातृभाषा में अगर कोई पढ़े तो कम से कम उसकी एक पृष्ठभमि होती है जिसके बल पर वह बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर चुका होता है। उसे भावों की अभिव्यंजना में परमुखोपेक्षी नहीं होना पड़ता है। जब वही बातें विदेशी भाषा में पढ़ायी जाती हैं तो उसकी अभिव्यंजना और भावाभिव्यंजन की शक्तियां कुंठित हो जाया करती हैं। उस पर जो बोझ पड़ता है वह बहुत कुछ उसकी प्रतिभा को कुंठित कर देता है। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और दूसरी परीक्षाओं के फल देखें तो आज विद्यार्थियों की बुद्धि इतनी कुंठित हो गयी है, उनकी प्रतिभा पर इतना बोझ पड़ा है कि छोटी-छोटी बातें नहीं जानते हैं कि देश का प्रधान मन्त्री अथवा राष्ट्रपति कौन है। यह इसी का कारण है जो अराष्ट्रीय भाषा हमारे ऊपर लदी हुई हैं। उसके पढ़ने में जितना समय, धन और प्रतिभा व्यय होती है उससे बहुत कम प्रतिफल मिलता है। ऐसी सूरत में जो यह बोझ पड़ रहा है इसके लिए आवश्यक है कि इस बोझ को उतार कर हम स्वावलम्बन की ओर बढ़ें।

तीसरी बात यह है कि यह लोकतन्त्र के विरुद्ध है। लोकतन्त्र तभी पनपेगा, प्रस्फुटित होगा, पल्लवित और पुष्पित होगा जब लोक भाषा और लोक भूषा होगी। इनके बिना लोकतन्त्र नहीं पनप सकता है। अगर लोकतन्त्र में लोक भाषा न हो अपनी भाषा में राज काज चलाने

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

की शक्ति न हो तो लोकतन्त्र अवश्य नष्ट हो जायगा। भारत में लोकतन्त्र को पनपाने के लिए, जनतन्त्र प्रणाली को प्रस्फुटित करने के लिए आवश्यक है कि लोक भाषा में हम अपना कार्य चलायें। जो राष्ट्रभाषा हिन्दी चलायी गयी वह चले। पर इसके लिए यह भी जरूरी है कि जो हमारी और १४ प्रदेशीय भाषाएं हैं, तामिल, बंगला, गुजराती, मराठी, आदि इनको यहां पढ़ाने से बहुत बड़ा सौहार्द्रपूर्ण भाव दूसरे प्रान्तों में पैदा होगा। और जो भाषा सम्बन्धी विवाद आज खड़े हो जाते हैं, बहुत सीमा तक वे विवाद हल हो सकते हैं। मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करूं कि अगर सरकार इस नीति को अपनायेगी तो इससे हिन्दी के प्रति बहुत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण पैदा होगा जिसके लिए दक्षिण अथवा अहिन्दी भाषी तूफान और प्रोपेगन्डा मचाये हुये हैं। सरकार इस बात को ध्यान से सोचे और अगर सरकार ने इस पर अमल किया तो उसने जो हिन्दी को राज्य की भाषा बनाया है वह राष्ट्रभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित होते देखेगी। मेरा विश्वास है कि यदि हमारे यहां के विद्यार्थी प्रदेशीय भाषाओं में से किसी एक भाषा को पढ़ेगें तो इससे सौहार्द्रता हिन्दी के लिए बहुत बड़ी पृष्ठ-भूमि मिला जायेगी।

इसी के साथ सवाल यह उठता है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता क्यों बढ़ती चली जा रही है। सरकार अक्सर कहा करती है कि विद्यार्थी अनुशासनहीन होते चले जा रहे हैं। इस अनुशासनहीनता का कारण विद्यार्थी नहीं बल्कि सरकार है जिसने जबरदस्ती अंग्रेजी लाद कर, अराष्ट्रीय पाठ्यक्रम लाद कर उनकी प्रतिभा के ऊपर जो अनाचार किया है उससे वह विद्यार्थी उच्छृंखल हो गये हैं। एक उदाहरण मैं दूं। टांडा में देवीप्रसाद जी मिश्र प्रिंसिपल हैं। उन के कालेज में कक्षा १० में १०२ लड़के फेल हुए। हाई स्कूल परीक्षा में १०२ लड़के जो फेल हुए ....

श्री अधिष्ठाता—माननीय वर्मा जी, माननीय देवीप्रसाद जी कहां प्रिंसिपल हैं?

श्री रामस्वरूप वर्मा—टांडा में।

तो श्रीमन्, १०२ में १०१ लड़के अंग्रेजी में फेल हुए। बाकी सब सबजेक्ट्स में पास, अंग्रेजी में फेल हैं। अब देखा जाय, ताज्जुब की बात है श्रीमन्, कि वह प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थी जो कि भारत के एक होनहार नागरिक होने की हैसियत रखते हैं जिनके कन्धों पर आगे चलकर देश के शासन का भार आ सकता है, वे कितने हतोत्साहित इससे हो गये और वह इसलिए कि वह अंग्रेजी नहीं जानते। अंग्रेजी न जानना कोई दोष नहीं है श्रीमन्, क्योंकि वह हमारे अपने देश की भाषा नहीं है, उसको न जानने से बुद्धि में किसी प्रकार की कमी का आभास नहीं होता। तो इन तमाम बातों के होते हुए उनको फेल होना पड़ा और उनकी जिन्दगी का एक साल बरबाद हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होगा श्रीमन्, जब किसी को चोट लगती है, कोई बुरी बात कोई कह देता है तो मस्तिष्क का सन्तुलन बिगड़ जाता है और उससे फिर आदमी वह अनुशासन-हीन हो जाता है। इस मोटे से तर्क को समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए जैसा कि गीता में भी कहा है—

"संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायतेः।
क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः,
स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।।"

तो आज हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि विद्यार्थियों को अनुशासनहीन जो कहते हैं, वह अपने तरीके पर चाहे कहें लेकिन सरकार की स्मृति भी नष्ट हो गयी है, इतिहास व अनुभव को याद करें। स्मृति का नाश होने पर बुद्धि का भी नाश हो जाता है और अगर बुद्धि नष्ट हो गयी, जैसा कि दिखायी पड़ता है, तो इसका भी नाश आवश्यम्भावी है। इसलिए इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी

नहीं लादनी चाहिए और उसकी जगह कोई दूसरी भारतीय भाषा पढ़ायी जानी चाहिए जिससे कि अन्य भाषा भाषियों कि प्रति सौहार्द्रपूर्ण भाव पैदा हो सके। मेरा यह भारतीय शब्द जोड़ने से यह मतलब था कि जो भारत के लिए आज उपयुक्त है, जो यहां की भूमि और यहां की प्रतिभा के लिए आवश्यक है उस के अनुसार कार्य हो। इसलिए मैंने भारतीय शब्द बढ़ा देने का संशोधन रखा है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और सभी सम्मानित सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे। यह प्रस्ताव बहुत ही समीचीन है। सभी लोग इसका अनुमोदन करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—माननीय कैलाशकुमार जी, अभी आप बैठें। माननीय नारायणदास जी का संशोधन है।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से श्री भारतीय जी के प्रस्ताव में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं—

> "संकल्प की पंक्ति २ में शब्द 'विद्यार्थियों में' और शब्द 'स्वावलम्बन' के बीच में शब्द 'भारतीय प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप दृढ़ चरित्रवान काम सहित' रख दिये जांय।"

अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव आया हुआ है हमारी केन्द्रीय सरकार में भी इस विषय पर काफी चर्चा हुई और यह आप को मालूम ही है कि जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो यह संविधान जब बन रहा था तो भाषा का विषय एक महत्वपूर्ण विषय था। भारतवर्ष में प्राचीन काल से बहुत सी जातियां आयीं। उन्होंने हमले किये और यहां पर आकर बस भी गयीं। उनके साथ उनकी भाषा और उन की संस्कृति भी आयी जिस से हमारे संविधान में उन सब को लेकर के जो हमारे राष्ट्र में रहते हैं १४ भाषाओं को मान्यता दी गयी। और उस में राष्ट्रभाषा हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया गया कि सारे भारतवर्ष की यह राष्ट्रभाषा होगी और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि कुछ दिनों के बाद शायद १५ वर्ष या उससे कुछ और आगे चलकर अंग्रेजी को हटाकर के राष्ट्रभाषा को प्रमुख स्थान दिया जाय। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश में ही बड़े-बड़े ऋषि मुनि और अवतार हुए हैं, रामायण और गीता का निर्माण यहीं हुआ। साकेत, काशी और मथुरा जैसी पुरियां यहीं हैं जहां से कि सारे विश्व में सभ्यता और संस्कृति फैली। आप को याद होगा कि अभी परसों पन्त जी के बहत्तरवें जन्म दिवस के अवसर पर श्री जयप्रकाश नारायण जी जो कि समाजवादी नेताओं में एक उच्च नेता हैं और जिन्होंने पूज्य बापू और संत विनोबा जी के सम्पर्क में रहकर बहुत कुछ शिक्षा पायी है, यही नहीं बल्कि सारे विश्व का भ्रमण किया है, उन्होंने उस अवसर पर कहा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वह सारे विश्व में बहुत पुरानी है और उसका महत्व बहुत अधिक है। हम भी समझते हैं और हमेशा समझते रहे हैं और भारतवर्ष में यह मानते रहे हैं कि हमारे यहां एक ही विश्व धर्म है और वह हमारा धर्म सनातन धर्म है। उसके बाद जो और धर्म आते हैं वह सब मत मतान्तर और पंथ कहलाते हैं। जैसे कि सिक्ख मत है, जैन मत है, इस्लाम व ईसाई मत है व बैदिक मत है और बौद्ध मत है। इस के बाद मतान्तर आते हैं जो इसके खंड हैं। अन्त में पंथ हैं जैसे कबीर पन्थ, जगजीवन पन्थ आदि सन्तों के पन्थ को मानने वाले हैं। इस प्रकार से हमारी सभ्यता और संस्कृति सारे विश्व में फैली हुई है। हम आज इस विषय पर बोलने जा रहे हैं कि जो शिक्षा इस समय चल रही है वह कहां तक उचित है और हमारे बच्चों पर उस की पढ़ाई लिखाई का क्या असर पड़ रहा है। अधिष्ठाता महोदय, आप जानते होंगे और आप ने देखा भी होगा कि रूस के श्री ख्रुश्चेव यहां पर आये। श्री चाउ एन लाइ यहां पर चीन से आये तो उन्होंने अपनी भाषा और वेशभूषा में ही बात चीत की। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि जब हम सारे विश्व की संस्कृति के अधिकारी हैं तो हमारी हिन्दी जैसी राष्ट्रभाषा और नागरी जैसी लिपि जिस के बराबर विश्व की कोई भाषा सरल नहीं है और जिस के बराबर कोई भाषा का सरल व्याकरण नहीं है, वह हिन्दी भाषा है। जो शब्द बोली जाय

[श्री नारायणदास पासी]

वही लिखा जाय, और जो सुनी जाय वही समझी जाय। यह हिन्दी को ही गौरव प्राप्त है। ऐसी दशा में भी हमारी उस हिन्दी का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम मानते हैं कि बहुत दिनों से सदियों से अंग्रेजों का शासन यहां पर रहा और उनका शासन रहने की वजह से सरकारी भाषा अंग्रेजी यहां पर हो गयी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग बाहर से यहां पर आये चाहे तलवार के जोर से या लालच देकर उन्होंने यहां पर अपनी भाषा और संस्कृति का प्रचार करने की कोशिश की। उन लोगों ने बिलकुल निर्बल लोगों से और जो गरीब थे उनको अपने में मिलाकर बड़ी-बड़ी संस्था यहां पर पैदा कर दी जिससे राष्ट्र के ऊपर एक भय व भ्रम का भूत सा हो गया है। इस चीज को दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन आज जब हम इस प्रश्न को गहराई से देखते हैं तो हमें एक बात याद आती है। भगवान् कृष्ण ने जब कंस को मारा तो कंस की स्त्री जो कालयवन की बहन थी वह उस के पास गयी और जाकर कालयवन से कहने लगी कि कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला है, आप इसका बदला लें। इस पर कालयवन ने कहा कि कृष्ण से लड़कर जीत नहीं सकते हैं क्योंकि वह बली है किन्तु एक ऐसी चीज ईजाद करूंगा जिससे भारतवर्ष की सभ्यता ही बदल जायगी और उससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जायगा। संस्कृति और भाषा ही बदल जायगी। उन्होंने यवनी भाषा को ईजाद किया जो पश्चिमी राष्ट्रों में प्रचलित है। उससे वे राष्ट्र भारत से बहुत दूर हो गये हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस को सब लोग न जानते हों। मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, बड़े-बड़े देहाती आश्रमों में, जो रात दिन अनुसन्धान किया करते थे और दूरदर्शी थे और त्रिकाल स्थिति को समझने वाले थे, उन में अगस्त, वशिष्ठ, यमदग्नि, विश्वामित्र, बहुत मशहूर मुनियों में से थे। आप यह जानते हैं कि जिस वक्त सहस्राजुंन महिष्मती का राजा था और वह रावण को, जब वह दिग्विजय करने चला था, तो पराजित कर दिया था। फिर उसने (सहस्रार्जुन) अपने गर्व में आकर जो विद्या के आश्रम थे उनको नष्ट करना शुरू कर दिया और वशिष्ठ को उसने मार डाला। यमदग्नि को उसने ताड़ के पेड़ में बांध कर २१ दिन में २१ वाणों से मारा और कामधेनु आदि सारा गोधन लूट ले गया। उनके पुत्र परशुराम को जब पता लगा कि हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है और धर्म का लोप हो रहा है तो उन्होंने धर्म की पुनःस्थापना करने के लिए अपने शिष्यों को बुलाया। उनके शिष्य जो पासी, गड़ेरिये, भर और अहिर आदि थे, उन को बुलाया। जो उनके शिष्य थे उनसे उन्होंने कहा :

"गोर्मे माता वृषभः पितमे द्वयम् शर्म् भ् जगतीभे प्रतिष्ठा"

अर्थात् गाय हमारी मां है, पिता हमारे बैल हैं इनकी भक्ति से जगत में सुख मिलेगा। और मरने के बाद तुम को गो लोक मिलेगा। गो वंश उस समय अर्थ तन्त्र के लिए बड़ी कीमती चीज थी। परशुराम जी ने अपने लिए कहा :

"ब्रह्मणश्च गावश्च कुलमेकं प्रकीर्तितः
एकय हवि रप्तिष्ठान्ति एकम मन्चारातिष्ठान्ति ।"

हम ब्राह्मण और गौ एक हैं और एक हव्य देती है तो दूसरा मन्त्र देता है। इसलिए गो ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा :

"पारर्शन पश्न पाति"

आओ पासियों, गो और ब्राह्मण की रक्षा करो। नतीजा यह हुआ कि वह सब अधिवासी खड़े हुए और उन्होंने हैहय वंश और उसके साथी राजाओं का नाश कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने एक नयी दुनिया बनायी और उन्होंने एक नयी बात रखी :

"यथ मावांच कल्याणी भावदानि जनेभ्यः
ब्राह्मराज न्याभ्यायं शुद्राय, चार्याय चारण्भय च स्वोयत्व"

उन्होंने समाजवादी समाज को रखा। वे सब से बड़े प्रवर्तक समाजवाद के कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि वेद और शास्त्र पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी को है और ऐसे आश्रम उन्होंने बनाये। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने यह नियम बनाये कि :

"काग चेष्टा, बको ध्यानं श्वान निन्द्रा तथैव च :
स्त्री त्यागी स्वल्प हारी विद्यार्थी पंच लक्षण :"

वह कौवे की तरह चेष्टा करे और बगुले की तरह ध्यान करे। ब्रह्मचर्य से रहे और थोड़ा खाना खाये। इसके साथ-साथ अनुशासन के लिए रखा :

दृष्टिपूतं न्यसेत पाद वस्त्रपूतं जले पिवेत
सत्यपूतं वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी दृष्टि नीची कर के चले और पानी कपड़े से छान कर पिये और वचन सत्य से सना हुआ बोले और काम विचार कर करे। यह आधार हमारा अनुशासन का था। अंजाम क्या हुआ ? भगवान् राम, जिनको हम अवतार मानते हैं, उन के शिष्य हुए। उन को और लक्ष्मण जी को उन्होंने समाजवाद की शिक्षा दी और उन्होंने बानर-पक्षी यानी कोल, भील पासी, आदि को लेकर महाबली रावण और मेघनाथ जैसों को मारा, जो आज राकेट, एटमबम और दूसरी चीजें चलती हैं, उस समय भी पक्षियों व बानरों के पास राकेट व क्षेप्यास्त्र थे विमान विश्वनाशी वाण थे वीर हनुमान द्वारा राम-लक्ष्मण सुग्रीव, बाली और संपाती आदि से मिले थे। संपाती सूर्य लोक तक राकेट से गया था। जिस में उसके हाथ पैर झुलस गये थे। नल नील आदि केवल वानर नहीं थे, वे बड़े-बड़े इन्जीनियर थे, जो बड़े-बड़े पुल बांध लेते थे। उन की दोस्ती उन्होंने प्राप्त की और आप को याद होगा कि भगवान राम ने सबसे बड़ा समाजवाद का काम किया यह कि उन्होंने शिवरी के जूठे बैर खाये, राजा दशरथ के मित्र जटायू का अपने हाथों दाह कर्म किया, निषादों वानरों को गले लगाया। उन्होंने मानवों के भेद भाव व छुआ छूत को मिटा दिया। रावण और मेघनाथ जैसों को नष्ट कर के लंका को विजय किया, बंदी देवताओं को कारामुक्त किया और पुष्पक विमान, जो जल, थल, में चल सकता था उसे ले कर अपने देश लौटे। (लाल बत्ती होने पर)। श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--दो मिनट आप के रह गये हैं। आप अभी तक केवल कथा वार्ता ही करते रहे।

श्री नारायणदास पासी--मैं आ रहा हूं।

तो मेरा कहना यह है कि इन सारी बातों को देखते हुए कौन कह सकता है कि हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से ही अद्वितीय ज्ञान विज्ञान देश में नहीं प्राप्त हुआ ? अब आज को देखें। हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षितों की जो सख्या है वह ६,८२,५०७ है, जो साक्षर हैं। उस में पुरुष और स्त्री जो हैं, वह साढ़े छः करोड़ आबादी के १०.८ प्रतिशत हैं जो पढ़े लिखे हैं। इसमें ज्यादा न जाकर मैं यह कहूंगा कि हमारा देश बहुत गरीब देश है। हमारे लड़के जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, महाविद्यालयों में व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, जुनियर हाई स्कूलों में, पढ़ते हैं वहां पर वह अंग्रेजी वेशभूषा में अधिकतर सूट-बट में रहते हैं। उनके सूट की सिलाई में जितना धन व्यय होता है वह साधारण मनुष्य बरदाश्त नहीं कर सकता। हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ४० रुपया केवल खाने आदि का देना पड़ता है। जो किसान खेती पर निर्भर करता है वह इतना रुपया कहां से लावे। अंग्रेजी के प्रति भावना अब है कि यह नहीं रहेगी फिर भी अनिवार्य है इस से लड़के अधिक पास नहीं होते। इसी वर्ष ३५ प्रतिशत अंग्रेजी के कारण फेल हुए। गार्जियन हताश हो जाता है। अन्जाम यह होता है कि वह जमीन, रसद बेच डालता है, किसी प्रकार उस का लड़का एम० ए०, बी० ए०, हो गया, लेकिन परीक्षा पास करने

[श्री नारायणदास पासी]

के बाद उस के पास कोई काम नहीं है, हजारों ग्रैजुएट मारे-मारे फिरते हैं। गार्जियन एक आशा लेकर चला था कि हमारे बच्चे पढ़-लिख जायेंगे। सुखी व प्रतिष्ठित होंगे तो हमें सुख मिलेगा, वे हमारे राष्ट्र के बढ़िया नागरिक बनेंगे लेकिन उसकी आशा के विपरीत परिणाम होता है। आज ब्रह्मचर्य कहां है, संयम कहां है ? चाहे लड़के हों या लड़कियां, कहने की बात नहीं है लेकिन आज हमारे वंशज इतने निर्बल हैं, इतने निर्वीर्य हो रहे हैं कि हमारा भविष्य अन्धकारमय दिखलायी देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी शिक्षा में सुधार किया जाय, हमारी वेशभूषा ऐसी बन सके जिससे हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बन सकें। उनमें हमारी पुरानी विद्याओं का विकास हो सके, जैसे धनुर्विद्या, पाश विद्या, अन्तर्ज्ञान विद्या, आदिज्ञान, विज्ञान जैसा कि पहले था। आज सारी ऊल-जलूल चीजों में पड़ कर हम असल चीजों को भूल रहे हैं। जैसा कि विदेशी लोग कहा करते थे कि इस देश में फूट सब से अच्छा फल है। हां, वह अच्छी चीज है, विदेशी भाषा व वेश भूषा उससे अलग रखी जाय, अनिवार्य से हटा कर दूसरे विषय में अगर उसे पकड़े रहेंगे तो बापू के भारत की क्या दशा होगी ? हम नहीं कह सकते। इस लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना चाहिए। मैं सेवाग्राम में गया हूं, वहां मैंने देखा कि खाद के लिए, बागबानी के लिए, चर्खे के लिए, ज्ञान-विज्ञान के लिए कितनी ही बातें हैं। इन चीजों को युनिवर्सिटियों में और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जारी करना चाहिए यही मेरी प्रार्थना है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढा दिये जायं---

"जिससे कि अंग्रेजी भाषा का वैकल्पिक रूप से पठन विश्वविद्यालय की बी० ए० कक्षा से प्रारंभ हो।"

श्रीमन्, आप देखें कि जो संशोधन मैंने आज उपस्थित किया मैंने इसको पहले ही हाउस के सम्मुख रखा था। आज आपने मुझ पर विशेष तौर से कृपा की कि मैं इसको रख सका। मैं इसके साथ-साथ सदन में आभार प्रकट कर रहा हूं कि मुझ इस संकल्प पर बोलने का मौका मिला। आपकी आज्ञा से यदि मैं कह सकूं कि इसका प्रस्तावक मैं ही मूल रूप में रहा हूं क्योंकि जिस समय से इस सदन में मैंने अपना प्रवेश पाया उस दिन से ही मैं इस प्रकार के संकल्प को लाना भी चाहता था। मैं चाहता था कि विद्यार्थियों की उस आवाज को सदन में रख सकूं जिनके बीच में मैंने जीवन के १४ साल व्यतीत किये उनकी उस विषम परिस्थिति को सदन के सामने रखूं। तदनुसार मैंने एक प्रस्ताव भी सोचा था उसको सदन के सामने प्रारम्भ से ही रखा किन्तु दुर्भाग्य से वह प्रस्ताव इस हमारी कार्यसूची में नहीं आ पाया या कभी आया भी तो आने पर मैं उसमें कुछ भाग नहीं ले सका या बोलने का मौका ही नहीं मिला।

तो मैं यह कहना चाहता था कि यह प्रस्ताव सचमुच ही विद्यार्थियों के हित में बहुत ही आवश्यक है। इसमें वास्तविक जो भाव है वह यह है कि उनके पाठ्यक्रम में अंग्रेजी जो द्वितीय भाषा के रूप में सम्मिलित है उसको हटा दिया जाय। मैं जानता हूं कि सरकारी पक्ष से उपमंत्री जी क्या आपत्ति उपस्थित करेंगे वह कहेंगे कि अंग्रेजी आप्शनल के रूप में है। मैं उनको इस आपत्ति का यह उत्तर देता हूं कि यदि अंग्रेजी की भाषा को आपने पाठ्य क्रम (curriculums) में "और" या "अथवा" रखकर सम्मिलित किया है और विद्यार्थियों को अधिकार है कि वह लें या न लें लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वह उसको ले ही लेते हैं। आपका "और" या "अथवा" रखना कोई महत्व नहीं रखता विद्यार्थी अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से ले रहे हैं लेकिन परीक्षाकाल में जब उसका सामना करना पड़ता है तब वह विफल पाये जाते हैं ....

श्री अधिष्ठाता---बलदेवसिंह जी आपकी आवाज यहां तक आ रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यदि पिछले ८--१० वर्षों के परिणाम देखे जांय तो मालूम होगा कि अंग्रेजी भाषा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ५० से ७० फीसदी के बीच में रही है मैं ने स्वयं भी अपने १४ साल के अध्यापक के कार्य में देखा है कि इसके क्या कारण हैं लेकिन मैं उन पर यहां जाना नहीं चाहता यह अंग्रेजी अग्र ह्य क्यों है यह अनेक सदस्य यहां सामने रखेंगे लेकिन एक आपत्ति जो सरकार की तरफ से आयेगी वह यह कि अंग्रेजी को अ.प्शन के रूप में रखकर विद्यार्थियों को बाध्य नहीं करते हैं लेकिन अंग्रेजी की आवश्यकता को रखकर चाहते जरूर हैं कि यह विषय में शरीक रहे। मैं कहना चाहता हूं इसके उत्तर में कि अंग्रेजी को आप हिन्दुस्तानी भाषा के समकक्ष क्यों रखना चाहते हैं। जब तक यह साथ है तब तक यह दुष्परिणाम होगा कि हिन्दुस्तानी भाषा विद्यार्थी नहीं लेंगे अंग्रेजी को ही लेंगे।

श्री अधिष्ठाता---बलदेवसिंह जी आपकी आवाज मेरे यहां तक आ रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इस प्रस्ताव को अगर आप देखें तो जिन किसी की मातृ भाषा अंग्रेजी हो उनके लिये छूट है और जो प्रारम्भिक कक्षा से ही अंग्रेजी लेना चाहते हैं वह वैकल्पिक विषयों में से ले लें जो कि अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त रहा करते हैं। हाई स्कूल के कोर्स में एक प्रदेशीय भाषा, एक हिन्दुस्तानी भाषा और गणित यह तीन विषय अनिवार्य विषय होते हैं। और बाकी तीन विषय एच्छिक विषय होते है। ठीक इसी प्रकार से इंटरमिडियेट श्रेणी में भी दो विषय अनिवार्य होते है। एक प्रदेशीय भाषा और दूसरा एक दूसरी हिन्दोस्तानी भाषा या अंग्रेजी और तीन वैकल्पिक विषय होते हैं इस प्रकार के हाई स्कूल और इंटरमिडियेट दोनों में अनिवार्य विषयों में अंग्रेजी आ जाती है। लेकिन हमारा कहना यह है कि उसको अगर रखना ही है तो वैकल्पिक रूप में रखिये। हमें तो आपत्ति इसी बात की है कि अनिवार्य विषयों में अंग्रेजी को आप क्यों आने देते हैं। इस प्रकार वह एक बाध्य विषय बन जाता है। ऐसा होता क्यों है ? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हमको भी अंग्रेजी से थोड़ा लगाव रहा है। एक बार विद्यार्थी उसको ले लेते हैं और लेने के बाद विद्यार्थियों की महान् हानि हो जाती है। उसे बड़ी भारी परेशानी होती है। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों की इस मौलिक परेशानी पर सरकार उचित रूप से सोचे और जिद पर न आये।

इस प्रस्ताव में है क्या ? यही है कि जिस अवस्था में विद्यार्थियों को अंग्रेजी ग्राह्य न हो उस अवस्था में उन पर वह थोपी न जाय। जब वे इंटरमिडियेट के बाद बी० ए० में जायं, उनकी अवस्था परिपक्व हो जाय, उस वक्त उसको रखा जाय तभी वह ग्राह्य हो सकती है। लेकिन आज हमारा विचार ऐसा हो गया है कि बच्चा हिन्दी की प्रथम पुस्तिका भी नहीं पढ़ पाता है कि उसको अंग्रेजी की प्रथम पुस्तिका भी दे दी जाती है। इस प्रकार से हिन्दी का ज्ञान भी शुरू से ही कम रह जाता है और इस अंग्रेजी के द्वारा उसके सारे सोचने की शक्ति कुंठित हो जाती है जिस श्रेणी के हम हैं और जिस अवस्था में हम रह चुके हैं और जिस वातावरण में हम रहे हैं उससे हमें ऐसा भास होता है कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसलिये बच्चों को अंग्रेजी की तरफ झुकाने की कोशिश करते हैं। हमें इस विचारशैली को बदल देना चाहिये और शिक्षा क्रम में हमें तब्दीली लानी चाहिये। भीतर से शिक्षा विभाग भी हमारी इस बात से सहमत हो जाता है लेकिन सामने आकर इसको करने के लिये प्रयत्नशील नहीं होता और कहता है कि विद्यार्थी इसलिये अधिक फेल होते है कि वे श्रम नहीं करते ज्यादा उच्छृंखल हो गये है या वे फेल होना ही पंसद करते है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि ऐसा कहना विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। विद्यार्थी परिश्रम करना चाहते है पास होना चाहते हैं और उच्छृंखल नहीं है लेकिन अपरिपक्व्य अवस्था में उनको जो अंग्रेजी पढ़ायी जाती है उससे उनका मस्तिष्क यौवनकाल और धन सब का ह्रास होता है। वे चाहते है कि उनका जीवन योग्य बने वे संसार में सुखी हों लेकिन हम इन सभा चीजों में बाधा देखते है क्योंकि हमें ऐसी चीज को ग्रहण करना पड़ता है जो हमें ग्राह्य नहीं है। यह वस्तु स्थिति है यह उनके साथ दिक्कत है और इन सबका एक ही हल है कि उनके सामने

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जितने भी विषय हैं उन सब विषयों की जो आवश्यकता है उनको सन्तुलित रूप में सामने रखा जाय। यह न हो कि अंग्रेजी उनके सामने अनिवार्य रूप में आवे जिससे उसके ग्रहण करने में ही उनका सारा समय लग जाय। कोई भी विद्यार्थी इतिहास, भूगोल, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान आदि में उतना समय नहीं दे पाता जिसका नतीजा यह होता है कि उनके ज्ञान से वह वंचित रह जाता है। जो आदमी अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है उसके लिये छूट है इससे उनका मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है। वे हाईस्कूल में या इंटर में उसे वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकते हैं या बी० ए० आदि परीक्षाओं में उसे ले सकते है लेकिन अंग्रेजी का विषय जो सब के लिये अनिवार्य कर दिया गया है उसी को दूर करने के लिये यह प्रस्ताव है। हो सकता है कि सरकार इस प्रस्ताव की महत्ता को महसूस न करे लेकिन एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि सरकार को इन विद्यार्थियों के साथ न्याय करना चाहिये। यदि हमको शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना है, यदि हमारी संस्कृति में कुछ परिवर्तन करना है, यदि सचमुच हम अंग्रेजी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिये कि हम दूसरे प्रान्तों की भाषा को भी उत्तरोत्तर पढ़ें। इससे यह होगा कि हमारे देश मे अन्तर्प्रान्तीय प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के साहित्य की जानकारी भी होगी।

संविधान के परिशिष्ट में जो १४ भाषायें दी गयी हैं वे सभी उपयोगी हैं। अगर उनको उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी पढ़ें तो आपस में भातृभाव बढ़ेगा आपस में प्रेम बढेगा। संविधान में भी यह दिया हुआ है कि धीरे-धीरे अंग्रेजी हटेगी। तो आखिर में जब उसे हटना ही है तो क्यों न विद्यार्थियों को पहले ही से आगाह कर दिया जाय कि वे अंग्रेजी के बदले हिन्दी भाषा का ही पूर्ण रूप से अध्ययन करें। सरकार को चाहिये कि वह यहां के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दे और जहां शब्द 'आर' लिखा हुआ है उसको हटा दे। आज हम देख रहे हैं कि इस अंग्रेजी भाषा की वजह से बहुत से विद्यार्थी जो फेल हो जाते हैं आत्महत्या कर लेते हैं और इन आत्म हत्याओं का सारा पाप हमारे सर पर है। फिर क्यों न उत्तर प्रदेश इस मामले में भी और प्रान्तों से पहला कदम उठावे कि विद्यार्थी ऐसे विषय पढ़ें जो उनके जीवन में काम आ सके। याद रखिये यह प्रस्ताव विद्यार्थियों का है, यह उन आत्माओं की आवाज है जो आये दिन आत्महत्यायें करते हैं और जो पीड़ित हैं। वह आप के ही बच्चे हैं आप के ही बच्चे आप के द्वारा ही पीड़ित हों आज स्वतन्त्रता को आये १२ साल व्यतीत हो चुके लेकिन आपने उनकी पीड़ा की ओर नहीं आंख उठाई यह अन्याय है उनके प्रति .....

श्री यशपाल सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, काफी देर से इस बात की चर्चा थी की राष्ट्रभाषा के लिये अंग्रेजी को हटाने के लिये कोई प्रस्ताव लाया जाय। मैं श्री देवनारायण जी भारतीय का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस सदन के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा। यह कार्य जिस के लिये हम आज प्रयत्नशील हैं आज से दस साल पहले हो जाना चाहिये था। जनता के राज्य का अर्थ यह है कि जनता की भाषा हो यदि जनता की भाषा नहीं है तो जनता का राज्य नहीं है। आज हमारे सूबे में साढ़े ६ करोड़ की आबादी है उसमें से साढ़े ६ हजार आदमी भी ऐसे नहीं हैं कि जो अंग्रेजी को भली भांति समझ सकें और अपने विचारों को उसके द्वारा व्यक्त कर सकें। साढ़े ६ करोड पर एक विदेशी भाषा लादी जा रही है और उस पर हम कहते है कि यहां जनता का राज्य है। जिन देशों ने अपनी आजादी को अक्षुण्य रखा है जिन देशों ने अपने विगत वैभव को वापस लिया है उन्होंने सब से पहले अपने यहां विदेशी भाषा को समाप्त किया है। प्राचीन सभ्यता का प्रदेश मिश्र सब मिट चुका था हमारे बच्चे गाया करते थे "यूनान, मिश्र, रूम सब मिट गये जहां से" लेकिन मिटे हुए मिश्र ने अपनी भाषा का अक्षुण्य बनाये रखा। सैकड़ों हजारों वर्षों की ममियों के नीचे से लम्बे चौड़े रेगिस्तानों में और उन जीर्ण शीर्ण हुए खंडहरों में एक शेर नर पैदा हो गया। भाषा को निकाला एक शेर पैदा हुआ। उस सिंह पुरुष कर्नल नासिर ने वह काम करके दिखा दिया जिसको कोई दूसरा न कर सका

जब से चांद सूरज बने हैं तब से दूसरा नासिर पैदा न हो सका। मिश्र ने अपनी भाषा और संस्कृति के प्रभाव से ही अपनी खोई हुई सम्पत्ति को वापस लिया। इधर हम लोग हैं कि दस बारह वर्ष में भी विदेशी भाषा को यहां से नहीं हटा सके हैं।

भाषा के प्रश्न को लेकर सन् १९२३ में जापान को अपने यहां एक कानून बनाना पड़ा था कि जिन के बच्चों के मुंह से ममी और डेडी शब्द सुने जायेंगे उनके माता पिता को जेलखाने में डाला जायगा। वे लोग अपने यहां अंग्रेजी भाषा को बरदाश्त नहीं कर सके। लेकिन दुख का विषय है कि हमारे यहां आज भी विद्वता का अर्थ अंग्रेजी का ज्ञान समझा जाता है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अंग्रेजी से हमें दुश्मनी नहीं है, हमारे यहां भी ऊंचे से ऊंचे पंडित अंग्रेजी के हों तो प्रसन्नता की बात है जैसे हमारे नेता सुभाष चन्द्र बोस थे या डाक्टर राधाकृष्णन हैं। लेकिन साधारणतया जनता के ज्ञान उपार्जन के लिये यह आवश्यक है कि हम अपनी मातृभाषा पर ही जोर दें। जब तक अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर लदी है तब तक हम ऐसा महसूस करते हैं कि अंग्रेजी शासक ही हमारे ऊपर राज करते हैं। लोग इतिहास को जानते हैं। आयरलैंड आजाद हुआ। उस समय से ही डिवेलरा ने कहा कि हमारी मातृभाषा गेलिक है अंग्रेजी नहीं और उसने एक ९० साल के बूढ़े मोची से गेलिक पढ़ी। गेलिक के द्वारा उसने आयरलैंड के बच्चे-बच्चे में मातृभाषा के प्रेम और देशप्रेम की रूह फूंकी, उसने कहा कि अंग्रेजी नहीं, गेलिक हमारी मातृभाषा है। उसने कहा कि अगर हमारे सामने एक तरफ मातृभाषा का सवाल हो और दूसरी तरफ देश की आजादी का सवाल हो तो हम आजादी को छोड़कर पहले मातृभाषा को ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे क्योंकि अगर हमारे बच्चों में गेलिक का प्रेम होगा तो वह दो चार साल में फिर अपनी आजादी को हासिल कर सकते हैं। मातृभाषा से वह जज्बा पैदा होगा जो देश को गुलाम न रहने देगा। जब हम अपने देश में प्रचलित अंग्रेजी भाषा को आज देखते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हम देखते हैं कि अंग्रेजी के द्वारा आज स्कूल कालेजों में इस तरह के अश्लील अध्याय पढ़ाये जाते हैं जो हमारी संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है। पिछले दिनों मुझे याद है, मेरे भाई की लड़की इंटरमीडियेट में पढ़ती थी। मैं उसे पढ़ाने के लिये बैठ गया। मैं शर्म के मारे झुक गया जब उस चैप्टर में मैंने वह पोयम उसको पढ़ाना शुरू की:--

"I must be loved
said Syble I must see.
The man in terrors
who espires to me.
If I grant him at my
feet to kneel
What trembling fearful
pleasures must he feel."

इस कविता का अर्थ यह होता है कि एक कुमारी यह कह रही है जिसके साथ मैं विवाह कराऊंगी, जिसके साथ प्रणय बंधन में बंधूंगी, वह मेरे सामने कांपता हुआ आये और अगर मैं उससे कहूं कि मेरे पैरों के ऊपर झुको तो वह कहे कि मेरी तकदीर खुली है जो मुझको प्रेयसी के चरणों में झुकने का मौका मिला। कम से कम हमारी संस्कृति में तो यह नहीं है। हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर का रूप कहा जाता है। जिस देवी के साथ किसी का प्रणय बंधन होता है वह उसके लिये देवी है भले ही वह कुरूप हो। लेकिन अंग्रेजी के शब्दों को जब हम देखते हैं तो वहां पति के लिये एक शब्द है "ब्राइडग्रूम"। ब्राइड कहते है दुलहन को। और ग्रूम का अर्थ हुआ सईस यानी दुलहन की सेवा करने वाला। यह हमारी संस्कृति नहीं है मेरी प्रार्थना है कि इस अंग्रेजी को हटाना चाहिए अगर देश को जिन्दा रखना है, अगर देश की आजादी की मशाल को जलते रखना है। श्रीमन्, इन १०-१२ सालों में जितना प्रोपेगैन्डा अंग्रेजी के लिये किया गया है, जिस तरह से अंग्रेजी को जिन्दा रखने की कोशिश राजगोपालाचार्य जैसे लोगों ने की और भी लोगों का प्रयत्न है उससे गुलामी के बंधन और भी मजबूत होते जाते हैं। हमने उर्दू के खिलाफ प्रोपेगन्डा किया।

[श्री यशपाल सिंह]

उर्दू जबां गैर-मुल्क की नहीं है। यह किसी भी मुस्लिम देश में नहीं बोली जाती। यह हमारे मुल्क में पैदा हुई और पली। बजाय इसके कि अंग्रेजी के खिलाफ प्रोपेगैन्डा होता उर्दू के खिलाफ किया गया। मेरी दरख्वास्त है कि इस एशिया की जमीन एक है। इसकी संस्कृति एक है। इसकी कल्चर एक है। जो देश अपनी संस्कृति को खो देता है वह जिन्दा नहीं रह सकता।

श्रीमन्, हमारी भाषा में वह शब्द नहीं हैं, वे टर्म्स नहीं हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहां "बीवेयर आफ डाग्ज" के लिये कोई वाक्य नहीं है। जहां कहीं मैं यह लिखा हुआ देखता हूं तो मैं समझता हूं कि उसमें रहने वाले कुत्ते हैं, वे लोग हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने शिष्टाचार से अलग होते जा रहे हैं। जिस मनुष्य के लिये वेद भगवान में "अहमिन्द्रो न पराजिग्ये" कहा गया है जिस इन्सान को 'अशरफ उल मखलुकात' कह कर याद किया गया है उसी को कुत्तों से खबरदार किया जा रहा है। न हो जिसमें अदब और हो किताबों से लदा फिरता, जफर उस आदमी को हम तसव्वुर बैल करते हैं। जो डिसकर्टीअस है, मिलनसार नहीं है जिसका चेहरा खिला हुआ नहीं है जो हंसमुख नहीं है जो खुश होकर नहीं मिलता उसे किसी और डिस्क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन यही है कि वह अनभ्र है। इसी तरह से ये टर्म्स कि "माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं" या "मैं आपको जानता नहीं हूं" ये टर्म्स यहां विदेश से आई है। अभद्रता, अशिष्टता और बदइखलाकी एक ऐक्सोटिक है फोड़े के समान है। हम लोग विश्व-बन्धुत्व को मानते हैं। वेद भगवान् कहते हैं:—

"यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मन्येवानुपश्यति
सर्व भूतेषुचात्मांनं ततो न
विजिगुप्सते ।"

जो एक परमेश्वर को तमाम मनुष्यों में देखता है वही सच्चा मनुष्य है, वही प्रशंसा के लायक है गीता में भगवान् ने वायदा किया है:

यो मां पश्यति सर्वत्र
सर्वं चमयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि,
स च मे न प्रणश्येति ।"

और मुझमें प्रत्येक प्राणी को देखता है उनसे मैं कभी अलग नहीं होता। हदीस शरीफ में आया है जो मुझे देखता है प्रत्येक प्राणी में। जब हम एक परिवार के लोग हैं, एक कुटुम्ब के लोग हैं। तो फिर जानने का क्या अर्थ है एशिया की बुनियादी तालीम है:—

"अलखलके अयाजुल्लह व अहब्बुल खल्के
इलल्लाह मह्यस्सनि महयुस्सनि इला अयालही "

यह दुनिया एक खुदा का कुनबा है और खुदा को सबसे प्यारा इन्सान वह है जो दुनिया में खुदा के बन्दों को प्यार करता है। जो अशिष्ट टर्म्स हैं भद्दे है उनका हमारी भाषा में तर्जुमा किया जा रहा है तो मेरा कहना है कि राष्ट्र को नीचे गिरने से बचाया जाय। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूं जैसे बर्थ कंट्रोल है। इसके लिये हमारे पास कोई शब्द नहीं है। पूज्य महात्मा गांधी के शब्दों में बर्थ कंट्रोल के माने नग्न दुराचार के होते हैं। उस शब्द को हिन्दी में किसी तरह से अनुवादित न किया जाय। उसका अगर तर्जुमा किया जायगा तो हमारी संतति भ्रष्ट होगी। किसी तरह से भी इस मामले में दो रायें न की जायं। अगर देश को बचाना है, अपनी संस्कृति की विजय पताका को फिर लहराना है तो अपनी भाषा को ऊंचे उठाना होगा, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करना होगा। अंग्रेजी ने जो कुछ हमें दिया है वह सब के सामने है जो आज दुनिया की आजादी को हड़प करना चाहती है। जिस अंग्रेजी को चीन के

अफीमचियों ने बाहर कर दिया, मिश्र के लोगों ने निकाल दिया, रूस के लोगों ने निकाल दिया हम हैं जो उसी को अपने यहां दबाये पड़े हैं ।

(इस समय ४ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

शायर ने अंग्रेजी के बारे में कहा है:--

उजाड़े खानमां तूने बिगाड़े खन्दां तूने,
वो जन्नत बन गई दोजख कदम रक्खा जहां तूने ।

अंग्रेजी दुनिया की आजादी को हड़प करती आयी है । कोई सदस्य कहेंगे कि नये विज्ञान के लिये हमें टेक्नोलाजी और साइन्स के लिये हमें अंग्रेजी की जरूरत है, इंजीनियरिंग के लिये जरूरत है । मैं कहूंगा और बड़े अदब के साथ कहूंगा कि क्या रूस ने स्पुटनिक एज को खड़ा नहीं किया है, उनके यहां तो अंग्रेजी भाषा नहीं है । वे विज्ञान में किसी से पीछे नहीं हैं? रूस ने कभी अंग्रेजी जबान को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया । वहां लोगों ने उस भाषा को पढ़ने से इनकार कर दिया । अपनी भाषा का उनके अन्दर प्रकाण्ड पांडित्य है , साइंस के मामले में सब से आगे हैं । जो बुरे भाव और बुरी भावनायें अंग्रेजी ने हमको दी हैं उनको निकालना पड़ेगा । उनको दूर किये बगैर हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता ।

मिसाल के तौर पर ओवर फोरटी का जो चैप्टर है यह सिर्फ अंग्रेजी में है । ४० साल के बाद आदमी की बिनाई कमजोर होती है, मस्तिष्क खोखला होने लगता है, मनुष्य की सुनने की शक्ति कम होने लगती है । यह कनसेप्शन सिर्फ अंग्रेजी में है। हमारे संस्कृत और हिन्दी लिट्रेचर में यह कनसेप्शन नहीं है । हमारे यहां ८० साल का आदमी जवान होता है । "आशीति वर्षो युवा" (वात्सायन काम सूत्र) मेरे जैसे पापी के लिये ८० साल का जवान होना लिखा है लेकिन जो ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है उनसे बुढ़ापा और मौत दोनों थरथर कांपते हैं । हमारे साहित्य में मृत्युंजय शब्द लिखा हुआ है । यह जो ओवरफौर्टी का चैप्टर है यह अंग्रेजी ने दिया है इसे निकाला जाय । हमारे यहां ४८ साल में मनुष्य की ग्रोथ शुरू होती है, और ६५ साल तक जवानी शुरू होती है । ८० साल में मनुष्य स्वस्थ्य और सुन्दरता का पूरा आदर्श प्राप्त करता है । यह गृहस्थियों के लिये, मेरे जैसे पापियों के लिये और मेरे जैसे गुनहगारों के लिये है जब हम "पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शंत·····भूयश्च शरदः शतात्" पढ़ते हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं वे मौत व बुढ़ापे दोनों को जीत लेते हैं, यह कंसेप्शन हमारा है । महाभाष्य में दिया हुआ है "शतशब्दो शतं सहसं लक्षं कोट्यम् अनन्तम् पदमेयं वाच्यम् ।" कोई भी संस्कृत का विद्वान नहीं कहता कि शत शब्द के मानी १०० साल होते हैं । वैदिक धर्म के अनुसार १० हजार साल तक जिन्दा रहना चाहिये लेकिन जब एक बार झूठ बोला जाता है तो हमारा धर्म कहता है कि एक बार के असत्य भाषण में १०० साल की आयु कम हो जाती है । एक वार दुराचार करने से सैकड़ों साल की आयु कम हो जाती है । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि अंग्रेजी जबान का बिस्तर गोल किया जाय ।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--मुझे इस प्रस्ताव को पढ़ कर इतना जोश नहीं आया जितना उधर के भाइयों को आ गया है । पता नहीं क्या इसकी वजह है ।

दूसरे मैं कैसे कह सकती हूं कि माननीय मोती लाल जी ने इन्टर और हाई स्कूल का प्रास्पेक्टस पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे ऐसा ज्ञात है कि वे १५ साल तक अध्यापक रहे और अब भी अध्यापक हैं । तो यह साहस मै कैसे करूं कि उन्होंने प्रास्पेक्टस पढ़ा नहीं, जरूर पढ़ा होगा और आशा है कि उसके अन्तर्गत वे काम भी करते होंगे ।

तीसरे मैं यह भी नहीं कह सकती उन्होंने पढ़ कर समझा नहीं । बहुत पढ़े-लिखे समझदार व्यक्ति वे हैं । केवल इतना मात्र कह सकत हूं कि पढ़ कर थोड़ी सी भूल अवश्य उनसे हो गयी है । भारतीय जी का प्रस्ताव इस प्रकार है :--

"यह सदन अपना यह निश्चित मत प्रकट करता है कि प्रादेशीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, अनुशासन और सामयिक शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टि में रखते

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

हुए यह उचित है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जावे कि केवल उन विद्यार्थियों के अतिरिक्त जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो अन्य सब ही विद्यार्थियों के लिये भारतीय संविधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का ही केवल द्वितीय भाषा के स्थान पर अनिवार्य रूपेण शिक्षण नियमित हो।"

यह केवल इतना कहते हैं कि जितनी भाषायें दूसरी हैं। कम्पल्सरी हिन्दी के अतिरिक्त अगर कोई भाषा करानी हो तो प्रान्तीय भाषा कराई जाय लेकिन हमारे प्रास्पेक्टस में साफ-साफ दिया हुआ है। हाई स्कूल का प्रास्पेक्टस मेरे पास है इंटर का भी है उसमें साफ-साफ दिया हुआ है कम्पल्सरी सबजेक्ट्स क्या है ? हिन्दी और कोई भी भारतीय लैंगुएज जैसे संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, आसामी, उरिया, कनाड़ा, काश्मीरी, तामील, तेलगू, और मलयालम और इसके साथ है "या" मार्डन फारेन लैंगुएज लीजिये। उसमें है अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, नेपाली, तिब्बती। अंग्रेजी हमारे प्रास्पेक्टस में कम्पल्सरी नहीं है। इंटर में भी कम्पल्सरी नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--इसी "या" से तो भय खाना चाहिये। इसी "या" ने मजबूर कर दिया और लोग अंग्रेजी लेने लगे।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--मेरे सामने दोनों चीजें हैं। आपने १५ साल पढ़ाया है तो मैंने भी १२ साल पढ़ाया है। आप अध्यापक हैं और मैं भी अध्यापिका हूं। घबड़ाने की कोई बात नहीं है। आपने कहा कि अंग्रेजी कम्पल्सरी नहीं होना चाहिये और हमारे प्रास्पेक्टस में भी वह कम्पल्सरी नहीं है। यह बात इससे जाहिर है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--बहन जी, यह अनिवार्य विषय में है।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--भैया मुझे पहुंचने दो उसी पर, घबराते क्यों हो। सुन लीजिये, कम्प सरी हो कैसे जाती है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--प्वाइन्ट आफ आर्डर। इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों को एक दूसरे को माननीय सदस्य कहना चाहियें या बहन जी और भाई जी ?

श्री अध्यक्ष--वैसे तो माननीय सदस्य ही कहना चाहिये, लेकिन अगर किसी "भैया" ने बहन से सीधे बात की तो किसी "बहन जी" को भी भैया कहकर जबाब देना उचित ही होगा। (हंसी)

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--सवाल यह है कि आप लोगों को अंग्रेजी अनिवार्य कैसे दिखायी देती है। कारण यह है कि बहुत से स्कूलों में जो दूसरी भाषायें हैं, उर्दू पंजाबी, गुजराती, मरहठी वगैरह उनके पढ़ने का कोई प्रबन्ध नहीं होता इसलिये विद्यार्थी चुपके से अंग्रेजी ले लेते हैं। संस्कृत तथा उर्दू पढ़ाने का प्रबन्ध तो आसानी से पाठशालाओं में हो सकता है। अंग्रेजी के स्थान पर इनका प्रबन्ध किया जा सकता है। ऐसा कर लिया जाय तो अंग्रेजी लेना कोई जरूरी नहीं होगा। दूसरी एक और भी वजह अंग्रेजी लेने की है कि बच्चों के मां बाप यह समझते हैं कि आगे चलकर कैसे वे बी० ए०, एम० ए० एल-एल० बी० आदि डिग्रियां हासिल करेंगे इसलिये शुरू से ही अंग्रेजी ले दो। तो इस सेन्स में अंग्रेजी अनिवार्य हो सकती है लेकिन जहां तक प्रास्पेक्टस का सवाल है उसमें वह कम्पल्सरी नहीं है। अब सवाल यह है कि इसमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। केवल एक ही जरिया है कि हम पहले बी० ए०, एम० ए० या जो भी उच्च शिक्षा लोगों को देना चाहते हों उनकी पुस्तकों का या तो अनुवाद करें या अपने आधार से उनका कोर्स बनायें। जैसा कि किया जा रहा है। बाकी सूबों में तो ऐसा हो सकता है कि हिन्दी एक भाषा ले लेते है और दूसरी भाषा अपने प्रान्त की ले लेते

हैं लेकिन यहां पर खुशकिस्मती यह है कि राष्ट्र भाषा भी हिन्दी है और प्रान्तीय भाषा भी हिन्दी है। इसीलिये दूसरी भाषा अंग्रेजी लेनी पड़ती है। इसको इसी तरह से हटाया जा सकता है कि एक तो पाठ्यक्रम दूसरे तरह का बन गया होता और दूसरे हमारे मोतीलाल अवस्थी जैसे विद्वान भाई बाहर निकले होते और उन्होंने किताबों का अनुवाद कर दिया होता और तब कहते कि हम तैयार है मैदान में लड़ने के लिये और यह हमारी किताबें तैयार हैं। अगर हमने यह प्रयत्न कर लिया होता और फिर सदन का समय लेते तो हमें अधिक शोभा देता नहीं तो लोग कहेंगे कि ये पढ़े लिखे लोग भी बिना सोचे बात करते हैं।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि "पानी में मीन पियासी यह सुन के आवे हांसी।" पानी में मीन को पानी न मिलता हो इसकी क्या वजह है। बच्चों को अगर फारेन लैंगुएज सिखाई जाय तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि अपनी भाषा को सीखते-सीखते उनकी विचारधारा विकसित होती है और जब दूसरी भाषा सीखते हैं तो उनके सीखने में ही उनका सारा दिमाग लग जाता है और विचारधारा की तरक्की नहीं हो पाती। अंग्रेजी सब को सिखाने की आवश्यकता नहीं केवल उन लोगों को ही सिखाई जाय जो इसे जल्दी सीख सकें। अपनी मातृभाषा में विचार शीघ्र विकसित होते हैं। जितने यहां पर हम लोग हैं हमको चाहिये कि बच्चों के लिये साधारणतया लोगों को जाग्रत करें और ऐसे पाठ्यक्रम बनायें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे बच्चे सारी चीजों को जल्दी ग्रैस्प कर सकें। आप कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं करती है? इसके लिये मैं कहूंगी कि जैसे खेती में होता है कि उसके बोने तथा जोतने के लिये पहले किसान की मेहनत चाहिये। पहले गोड़े और बोये वैसे ही जनता की नीचे की सतह ऐसी बननी चाहिये और पढ़े लिखे लोग जो अपने को राष्ट्र के प्रतिनिधि मानते हैं समझ लें कि इस चीज को देश में इस तरह से करना है तब तो इस प्रस्ताव की बात हमारी समझ में आती है अन्यथा जो बात इस प्रस्ताव में है वह तो प्रास्पेक्टस में रखी हुई है।

हमारे भाइयों का कहना है कि आदमी चरित्रवान हों, बुद्धिमान हों, लेकिन चरित्रवान होने के लिये व्यक्ति के संकल्प की और दूसरे इस बात की आवश्यकता है कि अध्यापक का व्यवहार कैसा और बच्चों पर कितना प्रभावशाली होता है। बच्चों के ऊपर उसके चरित्र और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। अपने बच्चो को अगर हम हिन्दुस्तानी सभ्यता और भारतीय संस्कृति सिखाना चाहते हैं तो निश्चय बात है कि घर में माता और पिता और स्कूल में हमारे अध्यापक यह सोंचे कि हमें बच्चे के अन्दर इस चीज को पहुंचाना है। बच्चों को अगर इंसान बनाना है तो पहले स्वयं माता और पिता को और अध्यापक को इंसान बनना होगा। बच्चों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास तभी हो सकता है।

यहां पर आप कहेंगे कि क्या आजकल के अध्यापक अच्छे नहीं है यह गलत है। सब पूज्य हैं और अच्छे हैं। कुछ भौतिक समस्यायें चल पड़ती हैं, वह हमें सताया करती हैं और हम उनके कारण मजबूर होकर बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। माता को चिन्ता पड़ी रहती है रोटी कपड़े की उसी तरह से अध्यापक को भी चिन्ता रहती है। अन्त में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह चीज सदन के अन्दर लाने की नहीं है बल्कि इस पर हम सबको गंभीर होकर सोचना होगा और मैं आप से प्रार्थना करूंगी कि यह जो आपका प्रस्ताव है वह इस समय महत्व नहीं रखता है और न इसकी कोई आवश्यकता मालूम पड़ती है। सदन का समय इस प्रकार नहीं लेना चाहिये इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--माननीय, मुझे एक विचित्र परिस्थिति में भारतीय जी के संकल्प के संबंध में अपने बिचार व्यक्त करने पड़ रहे हैं। अभी हमारे पूर्व गुरु जी तथा गुरुआनी जी बोल चुकीं और एक आचार्य जी बोल चुके हैं। अनादिकाल से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

लेकर अब तक मनुष्य ने जो ज्ञान अर्जित किया था उस ज्ञान समुद्र से मोती पिरोकर उन्होंने सदन के सामने रख दिये हैं। अब हमारी कठिनाई है कि हम कौन सा विचार व्यक्त करें। मान्यवर, जब मैं संकल्प पढ़ता हूं तो मेरे ऊपर एक ही प्रभाव पड़ता है कि इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले के मन में यह विचित्र विचार था कि किसी भी क्षेत्र में अंग्रेजी का कोई स्थान न रहे। आपने जो प्रासपेक्टस की चर्चा की तो देखिये कि अंत में अंग्रेजी को ही स्थान मिला . . .

संकल्प प्रस्तुत करने वाले की मंशा साफ-साफ यह है कि अंग्रेजी को हम किसी रूप में भी आज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं इस प्रश्न पर हमको गहराई से सोचना चाहिए। सब से पहली बात जिस पर हमको बिचार करना है वह यह है कि आखिर हमारे जीवन में भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं उन लोगों से पहले यह सुनना चाहता था कि भाषा की हमको क्यों जरूरत पड़ती है और भाषा का हमारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, इस पर वह प्रकाश डालते क्योंकि संकल्प प्रस्तुत करने वाले सज्जन ने लिखा है कि स्वावलम्बन, अनुशासन इत्यादि-इत्यादि बातें भाषा के ऊपर आश्रित हैं। तो फिर हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भाषा का क्या स्थान है इस बात के ऊपर भी कुछ प्रकाश पड़ना चाहिए और इसके साथ ही क्यों द्वितीय स्थान भारतीय भाषा को दिया जाय क्यों न अन्य भाषा को दिया जाय तीसरा प्रश्न यह होता है जिसके ऊपर हम उनसे सुनना चाहते थे। लेकिन मुझे घोर निराशा हुई अब तक जो कुछ मैं सुनता रहा, मैं जब उन लोगों का भाषण सुन रहा था तो मुझे एक बात याद आयी। आज से कुछ साल पहले स्वर्गीय बापू काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पधारे थे। वह जैसे ही द्वार पर आये तो उनकी निगाह हिन्दू विश्वविद्यालय के फाटक पर पड़ी जिस पर अंग्रेजी में लिखा था "दि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी"। तो ज्यों ही उन्होंने बोलना प्रारम्भ किया तो पहली बात जिसकी चर्चा उन्होंने की वह यह थी, उन्होंने कहा कि मालवीय जी से हम यह उम्मीद करते थे कि या तो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय हिन्दी में लिखा होगा या हिन्दी में नहीं तो कम से कम किसी भारतीय भाषा में होगा। मैंने सुना। उस वक्त छोटा सा मैं था। बात समझ में नहीं आयी। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत भाषा विज्ञान का जो मैंने अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास पर भाषा की गहरी छाप होती है। हमारा व्यक्तित्व दो प्रकार के तत्वों से विकसित होता है, बौद्धिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व। हम सच बोले, हम कुटुम्ब के साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे मन में समानता का भाव हो, पड़ोसियों के ऊपर हमारी उदार दृष्टि हो, ये सारी बातें हम भाषा द्वारा सीखते हैं।

भाषा का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भाषा के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। और किसी देश को बनाना है तो पहला काम जो देश के बनाने वालों के लिए है वह यह है कि भाषा के सम्बन्ध में अपना कोई निर्णय दे दें। आज भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो काफी पढ़े लिखे हैं वह कहते हैं क्या बात करते हो, हिन्दी भाषा की बात करते हो, देश की भाषाओं की बात करते हो, इसकी क्या जरूरत है? गल्ला पैदा करने की बात करो, मजदूरी में बराबरी लाने की बात करो। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं भाषा का हमारे जीवन में राष्ट्रीय जीवन में बहुत बड़ा महत्व है इसलिए कि भाषा के चिन्तकों ने जो कुछ भी अनमोल सांस्कृतिक विरासत दी है, शंकराचार्य ने जीवन के बारे में क्या कहा, मनु ने क्या कहा और कबीर और तुलसी ने क्या कहा सब कुछ भाषा के द्वारा प्राप्त होता है। भाषा में एक ऐसी शक्ति होती है कि उसके द्वारा हमारे सामने एक रूपक खड़ा हो जाता है और कोई भी भाषा यह दावा नहीं कर सकती है कि दूसरी भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों का ठीक-ठीक कोई पर्यायवाची होगा। मैं पंडित राम चन्द्र शुक्ल का एक निबन्ध पढ़ रहा था प्रेम के ऊपर। निबन्ध में उन्होंने लिखा है कि हिन्दी के प्रेम शब्द के स्थान पर लव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लव शब्द लोभ धातु से बना हुआ है और जहां तक प्रेम का सम्बन्ध

है उनके विचार में उसमें कोई आधिपत्य या एकाधिकार प्राप्त करने का कोई भाव नहीं होता है। ऐसे ही रवि बाबू का एक निबन्ध पढ़ रहा था कल्चर के ऊपर। उन्होंने लिखा है कि कल्चर लफ्ज जो है वह संस्कृति का ट्रांसलेशन कदापि नहीं हो सकता। तो इस प्रकार विभिन्न भाषाओं के जो शब्द बने हुए हैं उनका एक इतिहास होता है और उस इतिहास को अगर हम चाहते हैं कि वह इतिहास जीवित रहे तो उन शब्दों को जीवित रखना होता है। हम अपने देश के इतिहास को अगर जीवित रखना चाहते हैं तो हमें अपनी भाषा को जीवित रखना होगा और मैं ऐसा समझता हूं कि संकल्प प्रस्तुत करने वाले महोदय के सामने यही विचार रहा होगा और शायद इसी पवित्र विचार से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। जहां तक उनकी पार्टी का सम्बन्ध है उन लोगों ने भाषा के प्रश्न को रोटी के प्रश्न से भी ज्यादा स्थान दिया और उसके लिए संघर्ष भी किया। खैर, इस सम्बन्ध में मैं अपना कोई विचार देना नहीं चाहता इस समय लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि जहां पर ....

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---पूर्वी जिले वाले तो रोटी का ही संघर्ष करते हैं।

श्री रामायणराय---अब मैं आप जैसे बुजुर्ग को क्या कहूं सिवाय इसके कि सावन के अंधे को हरा-हरा ही दीखता है। जहां हमको जीवन के लिए गेहूं चाहिए वहीं हमको गुलाब भी चाहिए। जहां हमको भौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता है वहीं ऊंचे-ऊंचे विचारों की भी आवश्यकता है। इस विचार को मैं प्रतिपादित कर रहा हूं। मैं रोटी को छोटा और विचारों को बड़ा ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि कोई भी जनसमाज जो अपनी ठीक ढंग की प्लानिंग करना चाहता है उसके लिए आवश्यक होगा कि वह गेहूं और गुलाब में सन्तुलन स्थापित करें क्योंकि जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है हमारे पूर्व पुरुषों ने रोटी के सवाल को बिलकुल उदासीनता से देखा जैसे कि हमारे खाद्य मन्त्री जी देख रहे हैं। यही कारण हुआ कि हमारी ज्ञानगंगा वस्तुगत मरुस्थल में जाकर सूख गई। सभाओं में जाते हैं और सुनते हैं बड़े ऊंचे-ऊंचे उपदेश लेकिन घर में जब पहुंचते हैं, वहां बिलबिलाते हुए बच्चों को देखते हैं तो सारा हमारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। कैसे मैं समझाऊं अपनी छोटी बुद्धि से माननीय मन्त्री जी को ?

तो मैं इस पुनीत विचार को व्यक्त कर रहा हूं इस संकल्प के सम्बन्ध में। धैर्य के साथ आप उसे सुनें तो आपका भी बहुत सा भार हलका हो जायगा क्योंकि बड़ी गलतफहमी है आपको हमारे सम्बन्ध में। मान्यवर, एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न है और जिस के सम्बन्ध में बड़ा अन्धकार है भाषा के ऊपर विवाद करने वालों के बीच में, वह प्रश्न यह है कि आखिर अन्य भाषाओं में और हमारी भाषा में कोई सम्बन्ध है या नहीं ? आज हिन्दी उर्दू का जो झगड़ा चल रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि ठीक इसी वजह से चल रहा है कि लोगों को पता नहीं है कि दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा का कोई सम्बन्ध भी है ? एक जगह यह विवाद चल रहा था तो सबसे पहला सवाल मैंने यह पूछा कि आखिर यह आप लोग बतायें कि क्या कारण है कि पशुओं की बोली में कोई भिन्नता नहीं होती है, चाहे वह गढ़वाल का बुलबुल हो, चाहे देवरिया का बुलबुल हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, काबुल का गधा हो या चाहे कहीं और का गधा हो, एक तरह से वह रेंकते हैं। लेकिन जहां तक आदमी का सम्बन्ध है एक ठीक सीमा के बाद आदमी की बोली बदल जाती है। कारण क्या है ? कभी सोचियेगा आप, गहराई से सोचियेगा, काफी विचारक आदमी हैं आप। श्रीमन्, आपसे मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब उनसे है जिन्होंने मुझे टोंका था। मैं तो भाषा विज्ञान के आधार पर कुछ विचार रखना चाहता था। मैं अर्ज कर रहा था कि ये दो प्रश्न हैं जिनके सम्बन्ध में जब तक मस्तिष्क में सफाई नहीं होगी तब तक हम भाषा के सम्बन्ध में कदापि सही फैसला नहीं कर सकते। पहला प्रश्न अन्य भाषाओं से हमारी भाषा का क्या सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में संक्षेप में यही निवेदन करूंगा कि संसार में जितनी भाषायें हैं, वे सब

[श्री रामायणराय]

भाषायें वस्तुतः एक भाषा से निकली हुई भाषायें हैं। जहां तक उनसे मिले शब्दों का सम्बन्ध है वह बहुत कुछ आपस में मिलते हैं। जसे उदाहरण के लिये मातृ शब्द को लेता हूं। मातृ शब्द जो है वह फारसी भाषा में जाकर मादर हो जाता है और अंग्रेजी में मदर हो जाता है। इसी प्रकार से पितृ शब्द है। फारसी में वह पिदर है और अंग्रेजी में फादर हो जाता है। इसी प्रकार से और भी अनेक शब्द हैं। अगर आप ध्यान से देखने का कष्ट करें तो इन तमाम शब्दों के बीच में एक कड़ी जुड़ी हुई है। वह कड़ी अलग बिखरी हुई क्यों दिखाई देती है इसलिये कि भाषा विज्ञान में जो परिवर्तन के नियम हैं उनसे हम वाकफियत नहीं रखते।

उर्दू की बात मैं क्या कहूं। उर्दू के बारे में अजीब हाल है। जो उर्दू आज दक्षिणी भारत में हिन्दी के फैलाने में सहायक सिद्ध हो रही है उस उर्दू को मैं गौरव की दृष्टि से देखता हूं। पिछले दिनों मुझे बंगलौर जाने का अवसर हुआ। वहां जाने पर मैं जिस होटल में जाऊं मुझे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े। वहां की भाषा मैं जानता नहीं और अंग्रेजी वह लोग न जानें और न हिन्दी जानें। मेरे सामने बड़ी कठिनाई। उपमा और इडली को मैं जानूं नहीं। बड़ी परेशानी रही। सात लाख का बंगलौर शहर। कभी इधर घूमता फिरूं और कभी उधर। कुछ वहां पर गाजीपुर के भाई थे उनकी भी यही कठिनाई। उनकी भी यही परेशानी थी। वह भी मेरे साथ जहां मैं जाऊं वे जायं क्योंकि मैंने धीरे-धीरे वहां पर अपने को एडाप्ट कर लिया। इत्तफाक से एक दिन मैं ऐसे मुहल्ले में पहुंच गया जहां पर जुलाहे लोग बसते हैं। आप जानते हैं कि बंगलौर की सिल्क बहुत मशहूर है जो कि बिजली से चलने वाले करघों से बनाई जाती है। उस मुहल्ले में जाकर मैंने देखा कि हैदराबाद में जो मैंने ड्रेस देखा था, और जो मदनपुरा, बनारस में जुलाहों का ड्रेस देखा था वही ड्रेस वहां पर उन जुलाहों का देखने को मिला। उनसे बात करने के लिये मन लालायित हुआ। बात करने पर मालूम हुआ कि वे बड़ी फसीह उर्दू बोलते हैं। तो सोचना यह है कि उर्दू भाषा हिन्दी को दक्षिण भारत में फैलाने में बड़ी सहायक सिद्ध हो रही है। हिन्दी को समझने में कठिनाई होगी लेकिन उर्दू को समझने वालों को हिन्दी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हां, ऐसी हिन्दी जिसमें भाषा ही क्लिष्ट हो, तो समझने में जरूर कठिनाई होगी। जैसे हे द्विचक्र, हयरथ स्वामी, क्या तुम मुझे लौह पथगामिनी के विश्राम-स्थल तक ले चलने का कष्ट करोगे। ऐसी हिन्दी को समझने में परेशानी होगी और ऐसी हिन्दी को हम हिमायत नहीं करते। जो हमारी प्रचलित हिन्दी है और जिसको हम सब समझते हैं उसके फैलाने में उर्दू का बड़ा हाथ है। उस उर्दू से किसी को नफरत नहीं करनी चाहिये।

जहां तक दूसरी भाषाओं का सम्बन्ध है, मैं ऐसा समझता हूं कि संकल्प रखने वाले ने केवल इशारा किया था कि हमारे देश में राजगोपालाचार्य जैसे लोग या और जो राष्ट्रभाषा के लिये एक षड़यंत्र रचना चाहते हैं उनका षड़यन्त्र कामयाब नहीं हो सकता। बंगाल से लेकर काश्मीर और उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण तक सारे लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को लेकर सारी देश की दूसरी भाषाओं की तरफ उन्होंने इशारा किया था क्योंकि हो सकता है कि जिस सारे देश को पं० जवाहरलाल जी या जयप्रकाश नारायण जी आज एक सूत्र में बांधे हुये हैं, किन्तु वह स्थिति सम्भव हो सकती है जब सारा देश बिखरने लगे तो उस समय भाषा बड़ा अवरोध उत्पन्न करेगी। तो उस आने वाले संकट की तरफ हमारे संकल्प प्रस्तुत करने वाले सज्जन ने ध्यान आकर्षित किया है और इसीलिये जोर देकर यह कहा कि जहां अंग्रेजी की आवश्यकता है उसके स्थान पर मलयालम सीखें या गुजराती सीखें या बंगाली सीखें तो देश का अधिक भला कर सकेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है और मैं अपने जोरदार शब्दों में उनके संकल्प का इसलिये समर्थन भी कर रहा हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव से भाषा विज्ञान से बहुत कम संबंध है। आपके द्वारा मैं माननीय रामायण राय जी के समक्ष यह कहना अपना प्रथम कर्त्तव्य समझता हूं कि भाषा विज्ञान का भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों

मिल कर बना है। इस देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने आध्यात्म के संबंध में जिस भाषा का प्रयोग किया था वह परा भाषा है आध्यात्म पक्ष की और उसके चार स्वरूप हैं--- परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी। परा भाषा वह है कि जिसको जानने से स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया का उदय होता है। मैं इस विषय में जाने से तो दर्शन शास्त्र में चला जाऊंगा और यहां पर जो प्रश्न है उस पर पूर्ण प्रकाश न डाल सकूंगा क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाषा विज्ञान का प्रश्न ही दूसरा है। भारतवर्ष की यह धारणा नहीं है कि सारा संसार किसी अंध प्रकृति का लीला क्षेत्र है। यह तो किसी चैतन्य शक्ति का लीला क्षेत्र है और इसमें जहां हम निर्णय करते हैं तो उसका गठबंधन हम अनादि से करते हैं, उसकी सत्ता मानते हुए। गीता में कहा गया है "कर्मणाबद्धते जन्तु, विद्ययातु प्रमुच्येते"। हम सब कुछ छोड़ कर विज्ञान पर ही नहीं आ सकते। हमको इंद्रियों पर संयम रखना चाहिये। जिस प्रकृति के प्रवाह में हम बह रहे हैं उससे न हम भाषा में अलग हो सकते हैं और न समाज में और जिस अंश तक हम अलग होते हैं वह गंतव्य है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में एक भ्रान्तिदोष है। प्रस्तावक महोदय को यह भला अच्छे ही लगे लेकिन उनका संकल्प साकार नहीं हो पाया और मैं इसको अपने तर्क-वितर्क से नहीं कहना चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि मीमांसा शास्त्र की जो कसौटी है किसी बात के तात्पर्य का निर्णय करने के लिये उसमें हमें ७ चीजों का ध्यान रखना चाहिये। वे हैं---उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। उपक्रम में यह देखा जाता है कि प्रारम्भ में बात क्या कही जाती है, किस तरह से की जा रही है, नया अध्याय किस तरह किया जा रहा है और फिर उसका परिणाम कैसे होता है। उपपत्ति तक विषयों का खंडन और मंडन किस प्रकार किया गया है, यह सब चीजें चिह्न स्वरूप हैं किसी बात का तात्पर्य निर्णय करने में। इस प्रस्ताव को जब मैंने मीमांसा शास्त्र के श्लोक पर कसा तो देखा कि इसका उपक्रम तीन बातों से बांधा गया है-- स्वावलंबन, अनुशासन और सामायिक। मैं नहीं समझ पाता कि इसका स्वावलम्बन से क्या संबंध है। क्या विषय पढ़ाये जायं कि जिससे वे स्वावलम्बी हो जायंगे, यह तो हो सकता है लेकिन क्या अनुशासन और स्वावलम्बन की बुद्धि पैदा नहीं होगी यदि अंग्रेजी में पढ़ाया जाय, यह बुद्धि में नहीं आता। अंग्रेजी पढ़ने से ही अनुशासन-हीन हो जायंग, यह कहना कहां तक उचित है। और यदि भारत की अन्य १४ भाषाओं में वे वही विषय पढ़ें तो क्या अनुशासनहीन न होंगे? तो यह बात भ्रम पूर्ण है। जो सामयिक शब्द हैं उसकी मैंने बहुत तलाश की। मैं देखता रहा कि उसका सामाजिक अर्थ में प्रयोग हुआ है क्या? कोई संशोधन भी नहीं देखा। तो सामयिक शब्द के अर्थ और अंतराल में छिपा क्या है?

इस कारण से यह स्वावलम्बन, अनुशासन और सामयिक दृष्टिकोण से जो इसमें उपक्रम किया गया है यह इसमें भ्रान्ति है, इससे कोई भाव सामने नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष--'योगानुशासन' हो शायद।

श्री रामलखन मिश्र---मैं यदि विषय के विपरीत चला जाऊं तो....

श्री अध्यक्ष---मैं यह कह रहा हूं कि अनुशासन का शायद यह भी अर्थ हो सकता जैसे "योगानुशासन" शब्द अनुशासन का अर्थ होता है।

श्री रामलखन मिश्र---अनुशासन का, शासन का अर्थ भी शिक्षा का होता है। संस्कृत में जिस धातु से "शिक्षा" निकली है उसी धातु से "शासन" निकला है। आज शासन एकांगी अर्थ में चल निकला है। शासन का ध्रुवतारा शिक्षा का ध्रुवतारा होना चाहिए। इस कारण से "अनुशासन" शब्द भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब धरातल पर लाकर जो मुख्य उपसंहार किया गया है कि भारत की भूमि में पैदा हुई सारी भाषाओं को प्राथमिकता दी जाय और इन्हीं में अवगाहन किया जाय और अंग्रेजी का सर्वथा लोप किया जाय, यह उपसंहार है, इस प्रस्ताव

[श्री रामलखन मिश्र]

की यही मूल है। तो मैं इसमें थोड़ी वैषम्य दृष्टि रखता हूं। भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देना, उनमें भावों का प्रकाशन करना, उनके द्वारा अपना विकास प्राप्त करना, यह भारतीय संस्कृति के तो अनुरूप है, लेकिन विद्या किसी भाषा से संबद्ध कर देना वह हमारी भारतीय विचारधारा से मेल नहीं खाता। यह एक दोष है, यह एक मर्खता का प्रचार करना होगा वर्तमान वातावरण में। मैं एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से कहता हूं और मैं नहीं चाहता कि बिलकुल सार्वभौम मूर्खता का प्रचार किया जाय। जो यहां अंग्रेजी भाषा पढ़ायी जाती है उसे कोई सीखे नहीं, प्रस्तावक महोदय की क्या इच्छा है कि वह "या" के द्वारा, वैकल्पिक विषय के रूप में भी न रखी जाय? हमारे ऋषि नारद जी तो अनेक भाषाओं को जानते थे। इस प्रस्ताव में तो केवल १४ भाषाओं का संकेत है, लेकिन नारद जी १८ भाषा जानते थे। तो भाषाओं को जानना तो सुन्दर बात है। विद्या के अर्थ में भाषा का भी समावेश होता है तो उसको हम जानेंगे वैकल्पिक विषय से। वैसे ऐंग्लो इंडियन थोड़े से निकलेंगे जिनकी अंग्रेजी मातृभाषा हो सकती है। आजकल मातृभाषा का बड़ा दुरुपयोग होता है। "मातृ" और "भाषा" किसे कहते हैं इसकी समालोचना बहुत बड़ी है। इस कारण से यह कह देना कि अंग्रेजी का लोप कर दिया जाय, यह जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, यह मूर्खता का प्रचार करना होगा।

दूसरे एक और दोष है। हम भारतीय संविधान के अन्दर बंधे हुए हैं। कुछ भी सही, जाड्य भाव को, जाड्य विचार को अगर हम किसी तरह से प्रचार में लाना चाहते हैं तो बात दूसरी है, लेकिन सुन्दर विचार को तो सार्वभौम सत्ता के द्वारा ही हम ला सकते हैं। यह अन्तर्प्रदेशीय प्रश्न है और भाषा के सम्बन्ध में भी संविधान के अनुसार कई अंशों में हम उसे एक दासता तो नहीं कह सकते, पर एक शृंखला में बंधे हुए हैं। तो इस सदन के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को लाना सर्वथा अनुचित होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं अब आप आगे के उपवेशन में भाषण जारी रखेंगे।

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ सितम्बर, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४८ पर)

जिले से प्राप्त रिपोर्ट कि लालबेगी लोगों के रीति-रिवाज क्या हैं

क्रम-संख्या	जिला	जिले में लालबेगी	रीति-रिवाज हिंदु आने या मुसलमानी
१	सहारनपुर	हैं	हिन्दुआने
२	मेरठ	नहीं हैं	..
३	बुलन्दशहर	हैं	हिन्दुआने
४	अलीगढ़	नहीं हैं	..
५	मथुरा	नहीं हैं	..
६	आगरा	नहीं हैं	..
७	मैनपुरी	नहीं हैं	..
८	एटा	नहीं हैं	..
९	बदायूं	नहीं हैं	..
१०	मुरादाबाद	नहीं हैं	..
११	रामपुर	नहीं हैं	..
१२	शाहजहांपुर	हैं	दोनों को मानते हैं
१३	पीलीभीत	नहीं हैं	..
१४	इटावा	हैं	हिन्दुआने
१५	इलाहाबाद	हैं	दोनों को मानते हैं
१६	जालौन	हैं	,,
१७	हमीरपुर	नहीं हैं	..
१८	बांदा	हैं	हिन्दुआने
१९	वाराणसी	हैं	दोनों को मानते हैं
२०	गाजीपुर	नहीं हैं	..
२१	जौनपुर	नहीं हैं	..
२२	बलिया	हैं	दोनों को मानते हैं
२३	गोरखपुर	नहीं हैं	..
२४	देवरिया	नहीं हैं	..
२५	बस्ती	हैं	मुसलमानी हैं
२६	नैनीताल	नहीं हैं	..
२७	अल्मोड़ा	नहीं ह	..
२८	लखनऊ	हैं	दोनों को मानते हैं
२९	सीतापुर	हैं	,,
३०	हरदोई	हैं	,,
३१	खीरी	हैं	मुसलमानी हैं
३२	फैजाबाद	हैं	,,
३३	गोंडा	हैं	दोनों को मानते हैं
३४	सुल्तानपुर	ह	,,
३५	प्रतापगढ़	नहीं हैं	..
३६	बाराबंकी	हैं	हिन्दुआने

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४८ पर)

गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में १९५८ से जुलाई, १९५९ तक निम्नलिखित संख्या में व्यक्ति हैजे व अतिसार तथा चेचक से ग्रसित हुये तथा मृत्युएं हुईं

तहसील	कालरा व अतिसार		चेचक	
	ग्रसित	मृत्युएं	ग्रसित	मृत्युएं
सदर ..	२११	..	३१२	१०६
महाराजगंज ..	७२	..	२२७	५९
कांसगांव ..	२०२	११*	१११	५२
फरेंदा ..	८६	..	२०६	४७

*उक्त कालरा की ११ मृत्युओं में से ३ मृत्युएं सन् १९५८ में हुई तथा ८ सन् १९५९ में। ३ मृत्युओं के तहसीलवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सन् १९५९ में रिपोर्ट की हुई ८ मृत्युएं महाराजगंज तहसील में हुईं।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४८ पर)

(१) चेचक की रोकथाम के लिये शीतला निवारक टीके लगाये जाते हैं।

(२) कालरा तथा अतिसार की रोकथाम के लिये खास तौर से एन० ई० एस० ब्लाक में स्थित कुओं में दवाई डाली जाती है। स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा कटे हुए फलों तथा खुले हुए खाने के सामान पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं।

(३) जिन क्षेत्रों में कालरा फैलने का भय होता है वहां बड़े पैमाने पर हैजा निवारक टीके लगाय जाते हैं।

संसद सदस्य

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५१ पर)

फतेहपुर जिले में १ जनवरी, सन् १९५८ से १५ अगस्त, सन् १९५९ तक कत्ल तथा डकैतियों की तहसीलवार संख्या

तहसील	कत्ल	डकैती
फतेहपुर	२५	६
बिन्दकी	१६	४
खागा	२०	४
योग ..	६१	१४

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५२ पर)

प्रत्येक कमिश्नरी में १९५८ में हुई आत्म हत्याओं की संख्या निम्नलिखित है

१—मेरठ	कमिश्नरी	१८९
२—आगरा	,, ...	३७४
३—रुहेलखंड	,, ...	२३५
४—इलाहाबाद	,, ...	३५५
५—झांसी	,, ...	१८५
६—वाराणसी	,, ...	१५०
७—गोरखपुर	,, ...	१००
८—कुमायूं	,, ...	१७
९—लखनऊ	,, ...	२७८
१०—फैजाबाद	,, ...	१६९
११—गवर्नमेंट रेलवे, पुलिस के अनुभागों में	.. ..	२०५
योग	..	२,२५७

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५३ पर)

सोशलिस्ट पार्टी देवरिया द्वारा १० मई, १९५९ को जिलाधीश को दिये गये मांग पत्र में उल्लिखित विभिन्न मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में विवरण

१—(क) गल्ले की राज्य व्यापार की योजना का अनतव्य, जिसके अन्तर्गत गेहूं और चावल की खरीदारी की जा रही है, फसली वर्ष के अन्दर अनाज के दामों में कम से कम अन्तर रखने का है। अतः इस मांग की पूर्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ख) इस समय अनाज की कीमतें स्वतः बढ़ी हुई हैं और उनको ठीक स्तर पर लाने के लिये हर प्रयत्न किये जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस मांग पर इस समय किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

२—(क) वैधानिक तथा व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अंग्रेजी के स्थान पर पूरी तौर से हिन्दी के इस्तेमाल में अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल शनैः-शनैः समाप्त किया जा सकता है। अंग्रेजी का सार्वजनिक इस्तेमाल तत्काल समाप्त करना सम्भव नहीं है। यह शनैः-शनैः ही होगा।

(ख) सामान्यतया सरकार की नीति अधिक से अधिक विज्ञापन हिन्दी पत्रों में ही देने की है—८० प्रतिशत हिन्दी पत्रों में और २० प्रतिशत अंग्रेजी पत्रों में। टेक्निकल विषयों के विज्ञापन अंग्रेजी अखबारों को इस अनुपात से अधिक दिये जाते हैं, अंग्रेजी अखबारों को पूर्णरूप से विज्ञापन देना बंद करना संभव नहीं है।

(ग) (दूसरा भाग)—अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय नहीं है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय घोषित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(घ) यह मांग माध्यमिक शिक्षा परिषद् को उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई है।

३—इस मांग के तीनों खंडों का तात्पर्य केवल जिला देवरिया से प्रतीत होता है। इनके संबंध में स्थिति इस प्रकार है:—

(क) देवरिया जिले में पिछली रबी की फसल को इतनी कम क्षति पहुंची थी कि नियमों के अन्तर्गत उस जिले में मालगुजारी में कोई छूट नहीं दी जा सकती। अतः मांग की पूर्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ख) सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या आवश्यकतानुसार पिछले जुलाई के महीने से बढ़ा दी गई है।

(ग) इस मांग के सम्बन्ध में कोई आगे आदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया।

४—इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५६ पर)

जिला गोरखपुर व देवरिया में वित्तीय वर्ष १६५६–६० में किये टेस्ट वर्क तथा उन पर हुए व्यय का विवरण

नाम टेस्ट वर्क	व्यय
	रु०
जिला गोरखपुर	
१—चेहरी बांध	२,६०६.००
२—मखनहा बांध	४,६७६.००
३—नगवा बांध	१,६५१.००
४—सहुआ नाला बांध	१,७५१.००
५—कोठा रखत बांध	५,४०८.००
६—राजधानी बांध	१२,५३८.००
७—भगने-कटसिकरा बांध	८,६८६.००
८—चितहरी-धून्ही बांध	२०,२२०.००
योगफल ..	५८,४३५.००
जिला देवरिया	
१—करमपुर-सरमोहना बांध	६,७६८.६६
२—बनकाटी-धरमपुर बांध	१०,७२८.३७
योगफल ..	२०,५२७.०३

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १७० एल० ए०—१६५६—८४५ ।